खण्ड-464, अंक-1
बुधवार, 06 आषाढ़, शक संवत् 1929
(27 जून, 2007 ई0)

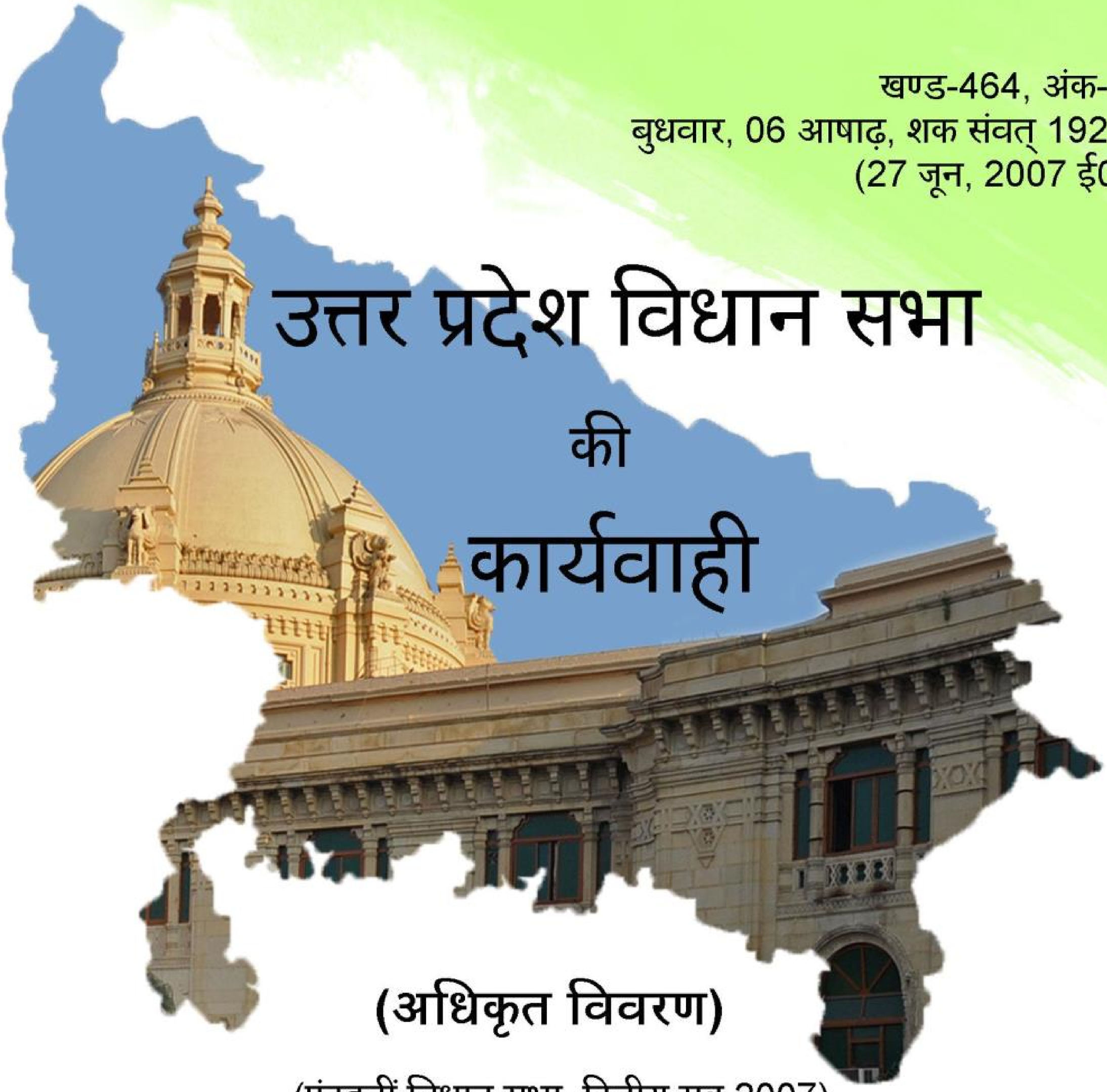

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2007)

खण्ड 464 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2007

---

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

## विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची ... ... ... | क-ड |
| उपस्थित सदस्य ... ... ... | ण-प |
| राष्ट्रीय गीत ... ... ... | 1 |
| सदन में मोबाइल फोन आदि न ले आने हेतु सभी सदस्यों एवं मीडिया के प्रतिनिधियों से श्री अध्यक्ष का अनुरोध ... ... | 1 |
| नियम-300 के अन्तर्गत सूचनाओं को उठाने का प्रयास ... ... | 1-2 |
| विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री चन्द्रजीत यादव, श्री सूरज लाल गुप्त, श्री चन्द्रशेखर सिंह, श्री ओम प्रकाश उर्फ राम मिलन सिंह, श्री इस्माइल तथा श्री गणेश राजभर के निधन पर शोकोद्गार ... ... | 2-4 |
| प्रदेश के कुछ जेलों में हुई अप्रिय एवं हिंसात्मक घटनाओं के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य ... ... ... | 4-6 |
| पूर्व विधायक श्री गुरु प्रसाद शास्त्री के निधन की सूचना प्राप्त न होने की शिकायत ... ... ... | 6 |
| मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय सम्बन्धी सूचना को उठाने का प्रयास ... | 7-9 |
| नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें ... ... ... | 9 |
| खीरी के मोहम्मदी क्षेत्रान्तर्गत जल संरक्षण हेतु ग्राम सभा स्तर पर तालाबों की खुदाई ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत जाब कार्ड धारकों से कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 10 |
| प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 1992-93 से वर्ष 2006-07 तक के सभी समग्र एवं अम्बेडकर ग्राम की बहुत सी ग्राम सभाओं में समुचित विकास कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 10 |
| हाथरस के सिकन्दराराऊ क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक हंसायन के दो क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण/मरम्मत कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 10-11 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| गोरखपुर महायोजना 2021 के अभी तक स्वीकृत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 11-12 |
| मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा दुर्बल आय वर्ग के गरीब व्यक्तियों को आवंटित मकानों पर देय ब्याज माफ करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 12 |
| शाहजहांपुर नगर के तीन नालों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 12 |
| कुशीनगर के नौरंगिया क्षेत्रान्तर्गत सुरक्षा की दृष्टि से बार्डर सिक्योरिटी फोर्स एवं हनुमानगंज ग्राम पंचायत में पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ... | 13 |
| मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर पर सुनियोजित ढंग से असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किये जाने एवं उक्त विश्वविद्यालय ट्रस्ट तथा श्री मोहम्मद आजम खाँ पर मुकदमा कायम किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न... | 13-29 |
| पूर्व विधायक श्री कृष्णानन्द राय के गृह जनपद गाजीपुर स्थित आवास पर एक साजिश के तहत बम विस्फोट किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ... | 29-41 |
| उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को रुपये 500/- मासिक भत्ता एवं कन्याओं को शिक्षा हेतु रुपये 20,000/- बजट में स्वीकृत होने के बावजूद वर्तमान सरकार द्वारा उक्त दोनों योजनायें समाप्त कर शासनादेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ... ... ... | 41-44 |
| उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-1 सन् 2007) (सदन के पटल पर रखा गया) ... | 44 |
| उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2007) (सदन के पटल पर रखा गया)... | 45 |
| किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-3 सन् 2007) (सदन के पटल पर रखा गया) ... | 45 |
| उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-4 सन् 2007) (सदन के पटल पर रखा गया)... ... | 45 |
| उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-5 सन् 2007) (सदन के पटल पर रखा गया) ... | 45 |


उत्तर प्रदेश विधान सभा

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6 सन् 2007) (सदन के पटल पर रखा गया) ... | 45 |
| उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-7 सन् 2007) (सदन के पटल पर रखा गया)... ... ... | 46 |
| उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-8 सन् 2007) (सदन के पटल पर रखा गया)... | 46 |
| उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-9 सन् 2007) (सदन के पटल पर रखा गया) ... | 46 |
| उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-10 सन् 2007) (सदन के पटल पर रखा गया) ... | 46 |
| उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण मान्यता और विनियमन) (निरसन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-11 सन् 2007) (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 46 |
| उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-12 सन् 2007) (सदन के पटल पर रखा गया) ... | 47 |
| उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-13 सन् 2007) (सदन के पटल पर रखा गया) ... | 47 |
| उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-14 सन् 2007) (सदन के पटल पर रखा गया) ... | 47 |
| उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-15 सन् 2007) (सदन के पटल पर रखा गया) ... | 47 |
| उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-16 सन् 2007) (सदन के पटल पर रखा गया)... | 47 |
| उत्तर प्रदेश अनसूचित जाति और अनसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-17 सन् 2007) (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 47 |
| श्री राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल महोदय का उत्तर... | 48 |
| कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव... (स्वीकृत) ... ... ... | 48-50 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| भारत की मूल निवासी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को बधाई संदेश भेजे जाने का सुझाव ... ... ... | 51 |
| महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आश्रमों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिये बोर्ड में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव .... (स्वीकृत) ... ... ... | 51 |
| उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) ... ... ... | 52 |
| उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक. 2007 (पुरःस्थापित) ... | 52-53 |
| उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) ... ... ... | 53 |
| कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी) ... ... | 53-55 |
| विधान सभा का सदस्य न होने पर मुख्य मंत्री को नेता सदन का सम्बोधन किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ... ... | 56-58 |
| कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें ... ... ... | 59-72 |
| नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें ... ... ... | 72-73 |


उत्तर प्रदेश विधान सभा

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

(पन्द्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अंगद यादव, श्री | आजमगढ़ |
| 2. | अकबर हुसैन, श्री | मुरादाबाद |
| 3. | अकीलुर्रहमान, श्री | मुरादाबाद |
| 4. | अखिलेश कुमार सिंह, श्री | रायबरेली |
| 5. | अजय कपूर, श्री | कानपुर नगर |
| 6. | अजय तोमर, डा0 | बागपत |
| 7. | अजय पाल सिंह, कुंवर | रायबरेली |
| 8. | अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री | गोण्डा |
| 9. | अजय यादव, श्री | एटा |
| 10. | अजय राय, श्री | वाराणसी |
| 11. | अजय सिंह, श्री | जालौन |
| 12. | अनिल कुमार, श्री | कन्नौज |
| 13. | अनिल कुमार, श्री | बुलन्दशहर |
| 14. | अनिल कुमार, श्री | मुजफ्फरनगर |
| 15. | अनिल कुमार अहिरवार, श्री | महोबा |
| 16. | अनिल कुमार मौर्य, श्री | मिर्जापुर |
| 17. | अनिल कुमार सिंह यादव, श्री | एटा |
| 18. | अनिल चौधरी, डा0 | हाथरस (महामायानगर) |
| 19. | अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री | पीलीभीत |
| 20. | अनुग्रह नारायण सिंह, श्री | इलाहाबाद |
| 21. | अनूप कुमार गुप्ता, श्री | सीतापुर |
| 22. | अनूप सण्डा, श्री | सुल्तानपुर |
| 23. | अब्दुल कलाम, श्री | सन्तकबीरनगर |
| 24. | अब्दुल मन्नान, श्री | हरदोई |
| 25. | अब्दुल वारिस खाँ, श्री | मुजफ्फरनगर |
| 26. | अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री | वाराणसी |
| 27. | अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री | फैजाबाद |
| 28. | अमरमणि त्रिपाठी, श्री | महराजगंज |
| 29. | अमरेश कुमार शुक्ल, श्री | बाराबंकी |
| 30. | अमीता सिंह, श्रीमती | सुल्तानपुर |
| 31. | अम्बिका चौधरी, श्री | बलिया |
| 32. | अम्बिका सिंह, श्री | गोरखपुर |
| 33. | अमेरिका प्रधान, श्री | गाजीपुर |
| 34. | अयोध्या प्रसाद पाल, श्री | फतेहपुर |
| 35. | अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री | बाराबंकी |
| 36. | अरविन्द गिरि, श्री | लखीमपुर खीरी |
| 37. | अरविन्द सिंह, श्री | कन्नौज |
| 38. | अरशद खान, श्री | पीलीभीत |
| 39. | अरूण कुमार यादव, श्री | आजमगढ़ |
| 40. | अरूणा तोमर, श्रीमती | कानपुर नगर |
| 41. | अर्चना सरोज, श्रीमती | सन्तरविदास नगर (भदोही) |
| 42. | अलाउद्दीन, श्री | बलरामपुर |
| 43. | अलीम हाजी, श्री | बुलन्दशहर |
| 44. | अवध पाल सिंह यादव, श्री | एटा |
| 45. | अवधेश कुमार वर्मा, श्री | शाहजहाँपुर |
| 46. | अवधेश प्रसाद, श्री | फैजाबाद |
| 47. | अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री | महराजगंज |
| 48. | अवस्थी बाला प्रसाद, श्री | लखीमपुर खीरी |
| 49. | अशोक कुमार, श्री | औरैया |
| 50. | अशोक कुमार कंसल, श्री | मुजफ्फरनगर |
| 51. | अशोक कुमार राणा, श्री | बिजनौर |
| 52. | अशोक कुमार सिंह, श्री | रायबरेली |
| 53. | अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री | हमीरपुर |
| 54. | अशोक यादव पुत्र महेश्वर सिंह, श्री | फिरोजाबाद |
| 55. | अशोक सिंह चौहान, श्री | मैनपुरी |
| 56. | आदित्य पाण्डेय, श्री | फतेहपुर |
| 57. | आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री | इलाहाबाद |

58. आनन्द सेन, श्री — फैजाबाद
59. आर0 ए0 उस्मानी, श्री — लखीमपुर खीरी
60. आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
61. आर0 के00 शर्मा, पंडित — बरेली
62. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — गोण्डा
63. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
64. आसिफ, श्री — हरदोई
65. इकबाल, श्री — बिजनौर
66. इकबाल मसूद, श्री — मुरादाबाद
67. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
68. इमरान महसूद, श्री — सहारनपुर
69. इरफान सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
70. ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री — सिद्धार्थनगर
71. उदयभान करवरिया, श्री — इलाहाबाद
72. उदयराज, श्री — उन्नाव
73. उदयलाल मौर्य, श्री — वाराणसी
74. उपेन्द्र तिवारी, श्री — हरदोई
75. उमलेश यादव, श्रीमती — बदायूँ
76. उमेश पाण्डेय, श्री — मऊ
77. उस्मानुल हक, श्री — मुरादाबाद
78. ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
79. ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री — सुल्तानपुर
80. ओमवती देवी, श्रीमती — बिजनौर
81. कमलेश चन्द्र, श्री — कानपुर देहात
82. कादिर राणा, श्री — मुजफ्फरनगर
83. कामेश्वर उपाध्याय, श्री — देवरिया
84. कालीचरन, श्री — गाजीपुर
85. काशीराम, श्री — रामपुर
86. कुवेर सिंह, श्री — एटा
87. कुलदीप सिंह गंगवार, श्री — फर्रूखाबाद
88. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
89. कृपा शंकर सिंह, श्री — उन्नाव
90. कृष्ण कुमार, श्री — बहराइच
91. कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री — हरदोई
92. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री — लखीमपुर खीरी
93. कृष्णाराज, श्रीमती — लखीमपुर खीरी
94. के0 के0 सचान, डा0 — जौनपुर
95. केदारनाथ वर्मा, श्री — बलिया
96. कैलाश चौरसिया, श्री — मिर्जापुर
97. कैलाश सिंह राजपूत, श्री — कन्नौज
98. कौकब हमीद खाँ, श्री — बागपत
99. कौशल किशोर, डा0 — लखीमपुर खीरी
100. कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत — बलरामपुर
101. गजेन्द्र सिंह, श्री — बुलन्दशहर
102. गिरीश चन्द्र, श्री — मुरादाबाद
103. गुटियारी लाल दुबेश, श्री — आगरा
104. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री — इलाहाबाद
105. गुलाम मोहम्मद खान, श्री — बहराइच
106. गेंदा लाल चौधरी, श्री — हाथरस (महामायानगर)
107. गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
108. घूराराम, श्री — बलिया
109. चन्द्रदेव, श्री — आजमगढ़
110. चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री — सुल्तानपुर
111. चन्द्रभद्र सिंह, श्री — सुल्तानपुर
112. चन्द्रमणि प्रसाद, श्री — सोनभद्र
113. चन्द्रवीर सिंह, श्री — मेरठ
114. चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री — सिद्धार्थनगर
115. छत्रपाल सिंह, श्री — बरेली
116. छोटे सिंह, श्री — जालौन
117. जगदीश नारायण, श्री — जौनपुर
118. जगदीश सोनकर, श्री — जौनपुर
119. जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा

120. जगपाल, श्री — सहारनपुर
121. जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री — महराजगंज
122. जमीरउल्ला, श्री — अलीगढ़
123. जमुना निषाद, श्री — गोरखपुर
124. जयवीर सिंह, श्री — मैनपुरी
125. जयवीर सिंह, ठाकुर — अलीगढ़
126. जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री — कुशीनगर
127. जावेद अंसारी, श्री — जौनपुर
128. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री — चन्दौली
129. जितेन्द्र कुमार, श्री — बस्ती
130. जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री — फैजाबाद
131. जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री — आगरा
132. जोखू लाल यादव, श्री — इलाहाबाद
133. ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 — वाराणसी
134. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री — फर्रुखाबाद
135. तौफीक अहमद, श्री — सिद्धार्थनगर
136. त्रिभुवन दत्त, श्री — अम्बेडकरनगर
137. दद्दन, श्री — श्रावस्ती
138. दद्दू प्रसाद, श्री — चित्रकूट
139. दयाराम, श्री — कौशाम्बी
140. दशरथ प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
141. दाउद अहमद, श्री — हरदोई
142. दिनेश प्रसाद, श्री — चित्रकूट
143. दीनानाथ कुशवाहा, श्री — देवरिया
144. दीनानाथ पाण्डेय, श्री — वाराणसी
145. दीपक कुमार, श्री — उन्नाव
146. दीप नारायण सिंह, श्री — झाँसी
147. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
148. दूधराम, श्री — बस्ती
149. धनंजय सिंह, श्री — जौनपुर
150. धनीराम, श्री — औरैया
151. धर्मपाल, श्री — गाजियाबाद
152. धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव, श्री — बदायूँ
153. धर्मपाल सिंह, डा0 — आगरा
154. धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकरनगर
155. धर्म सिंह सैनी, डा0 — सहारनपुर
156. धर्मी रावत, श्रीमती — बाराबंकी
157. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री — बरेली
158. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — बलरामपुर
159. धू राम लोधी, चौधरी, श्री — हमीरपुर
160. नकुल दूबे, श्री — लखनऊ
161. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री — इलाहाबाद
162. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती — गोण्डा
163. नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
164. नरेन्द्र सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
165. नरेन्द्र सिंह, श्री — सीतापुर
166. नसीरुद्दीन, श्री — फिरोजाबाद
167. नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री — ललितपुर
168. नारायण सिंह, श्री — आगरा
169. निर्मल वर्मा, श्री — सीतापुर
170. नीरज कुशवाहा, श्री — शाहजहाँपुर
171. पंकज कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
172. पशुपति, श्री — गाजीपुर
173. पी0 के0 राय, डा0 — कुशीनगर
174. पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री — बाँदा
175. पूजा पाल, श्रीमती — इलाहाबाद
176. पूरन प्रकाश, श्री — मथुरा
177. प्रजापालन, श्री — एटा
178. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती — कानपुर देहात
179. प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री — झाँसी
180. प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
181. प्रमोद तिवारी, श्री — प्रतापगढ़
182. प्रमोद सिंह, श्री — देवरिया

183. प्रवीण पटेल, श्री — इलाहाबाद
184. प्रेमलता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
185. प्रेमलता देवी, श्रीमती — अलीगढ़
186. फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
187. फरहत हसन, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
188. फरीद महफूज किदवई, श्री — बाराबंकी
189. फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी),श्रीमती — देवरिया
190. फागू, श्री — मऊ
191. बजरंग बहादुर सिंह, श्री — महराजगंज
192. बलबीर, श्री — मुजफ्फरनगर
193. बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
194. बिमलेश सिंह, श्रीमती — अलीगढ़
195. बिरजू राम, श्री — जौनपुर
196. बृजेश सौरभ, श्री — प्रतापगढ़
197. बैजनाथ दूबे, श्री — गोण्डा
198. ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
199. भगवत शरण गंगवार, श्री — बरेली
200. भगवती प्रसाद सागर, श्री — झाँसी
201. भगवान पाठक, श्री — सन्तकबीरनगर
202. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री — आगरा
203. भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
204. भीमराव अम्बेडकर, श्री — इटावा
205. भोली, श्री — आजमगढ़
206. मंजू, श्रीमती — बलिया
207. मदन भैया, श्री — बागपत
208. मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
209. मधुसूदन शर्मा, श्री — आगरा
210. मनोज चौधरी, श्री — सहारनपुर
211. ममतेश शाक्य, श्री — एटा
212. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
213. महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
214. महिपाल सिंह, श्री — सहारनपुर
215. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
216. महेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
217. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
218. महेश चन्द्र, श्री — कानपुर देहात
219. महेश चन्द्र, श्री — बदायूँ
220. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
221. माधव पासवान, श्री — गोरखपुर
222. मिथिलेश कुमार, श्री — शाहजहाँपुर
223. मिथलेश कुमारी, श्रीमती — कानपुर देहात
224. मीता गौतम, कु0 — बाराबंकी
225. मुख्तार अंसारी, श्री — मऊ
226. मुरलीधर, श्री — फतेहपुर
227. मुलायम सिंह यादव, श्री — इटावा
228. मुस्लिम खाँ, श्री — बदायूँ
229. मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
230. मोहम्मद इरशाद खान, श्री — लखनऊ
231. मोहम्मद गाजी, श्री — बिजनौर
232. मोहम्मद जलील खान, श्री — गोण्डा
233. मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री — सीतापुर
234. मोहम्मद ताबीश खां, श्री — सन्तकबीरनगर
235. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री — इलाहाबाद
236. यशपाल सिंह, श्री — बिजनौर
237. यशपाल सिंह चौहान, श्री — अलीगढ़
238. यशवन्त सिंह, डा0 — मुजफ्फरनगर
239. यसपाल सिंह रावत, श्री — गोरखपुर
240. याकूब हाजी, श्री — मेरठ
241. योगराज सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
242. योगेन्द्र सागर, श्री — बदायूँ
243. योगेश वर्मा, श्री — मेरठ
244. रंगनाथ मिश्र, श्री — सन्तरविदासनगर (भदोही)
245. रघुनाथ प्रसाद, श्री — कानपुर देहात

उत्तर प्रदेश विधान सभा

246. रघुराज प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
247. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री — फतेहपुर
248. रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुँवर — कुशीनगर
249. रतनलाल अहिरवार, श्री — झाँसी
250. रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — कुशीनगर
251. रमेश चन्द्र, श्री — गोण्डा
252. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 — मिर्जापुर
253. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — जौनपुर
254. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री — सहारनपुर
255. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री — महोबा
256. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 — इलाहाबाद
257. राकेश बाबू, श्री — फिरोजाबाद
258. राघव लखन पाल, श्री — सहारनपुर
259. राजकिशोर सिंह, श्री — बस्ती
260. राजकुमार सिंह गौतम, डा0 — गाजीपुर
261. राजकुमार रावत, श्री — मथुरा
262. राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
263. राजपाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
264. राजबली जैसल, श्री — इलाहाबाद
265. राजाराम त्यागी, श्री — रायबरेली
266. राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
267. राजीव चन्ना, श्री — मुरादाबाद
268. राजेन्द्र कुमार, श्री — मऊ
269. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़
270. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
271. राजेन्द्र सिंह, श्री — आगरा
272. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री — गोरखपुर
273. राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
274. राजेश कुमार, श्री — लखीमपुर खीरी
275. राजेश त्रिपाठी, श्री — गोरखपुर
276. राजेश यादव, श्री — शाहजहाँपुर
277. राजेश्वरी, श्रीमती — हरदोई
278. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 — गोरखपुर
279. राधे लाल रावत, श्री — उन्नाव
280. राधे श्याम गुप्ता, श्री — फतेहपुर
281. राधेश्याम जायसवाल, श्री — सीतापुर
282. राम अचल राजभर, श्री — अम्बेडकरनगर
283. राम किशुन, श्री — चन्दौली
284. राम कुमार तिवारी, पण्डित — ललितपुर
285. रामपाल राजवंशी, श्री — सीतापुर
286. रामपाल वर्मा, श्री — हरदोई
287. राम प्रकाश कुशवाहा, श्री — कानपुर नगर
288. राम प्रकाश यादव, श्री — फिरोजाबाद
289. राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
290. राम प्रसाद जायसवाल, श्री — देवरिया
291. राम बिशुन आजाद, श्री — गोण्डा
292. रामवीर उपाध्याय, श्री — हाथरस
293. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री — प्रतापगढ़
294. राम सागर अकेला, श्री — श्रावस्ती
295. राम सिंह, डा0 — अलीगढ़
296. रामसेवक, श्री — सुल्तानपुर
297. राम सेवक सिंह पटेल, श्री — बदायूँ
298. रामस्वरूप सिंह, श्री — कानपुर देहात
299. रामहेत भारती, श्री — सीतापुर
300. रिजवान अहमद खाँ, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
301. रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत
302. रोशन लाल वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
303. लक्ष्मी नारायण, श्री — मथुरा
304. लखीराम नागर, श्री — मेरठ
305. लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
306. लालजी टंडन, श्री — लखनऊ
307. लालजी यादव, श्री — सिद्धार्थनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

308. लालजी वर्मा, श्री — अम्बेडकरनगर
309. वकार अहमद शाह, डा0 — बहराइच
310. वाचस्पति, श्री — कौशाम्बी
311. वारिस अली, श्री — बहराइच
312. वासुदेव सिंह "बाबा", श्री — बुलन्दशहर
313. विजय कुमार, श्री — गाजीपुर
314. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री — मुरादाबाद
315. विजय कुमार मिश्र, श्री — सन्तकबीरनगर (भदोही)
316. विजय पाल सिंह, श्री — बरेली
317. विजय बहादुर यादव, श्री — गोरखपुर
318. विद्या चौधरी, श्रीमती — आजमगढ़
319. विद्यासागर गुप्त, श्री — लखनऊ
320. विनोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
321. विनोद सिंह, श्री — सुल्तानपुर
322. विनोद कुमार हरित, श्री — मेरठ
323. विनोद चतुर्वेदी, श्री — जालौन
324. विवेक कुमार सिंह, श्री — बांदा
325. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
326. विशम्भर सिंह यादव, श्री — बांदा
327. विश्वनाथ, श्री — कुशीनगर
328. वीरेन्द्र कुमार, श्री — हरदोई
329. वीरेन्द्र सिंह, श्री — बरेली
330. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री — बुलन्दशहर
331. वेदराम भाटी, श्री — बुलन्दशहर
332. शब्बीर अहमद, श्री — बहराइच
333. शम्भू चौधरी, श्री — कुशीनगर
334. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री — बरेली
335. शारदा प्रसाद, श्री — चन्दौली
336. शहनवाज, श्री — बिजनौर
337. शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
338. शिव गणेश, श्री — रायबरेली
339. शिवपाल सिंह यादव, श्री — इटावा
340. शिवबालक पासी, श्री — रायबरेली
341. शिवशंकर, श्री — बलिया
342. शीशराम, श्री — बिजनौर
343. शेखर, श्री — औरैया
344. शेरबहादुर, श्री — अम्बेडकरनगर
345. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री — जौनपुर
346. श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा) — वाराणसी
347. श्याम नरायण यादव, श्री — आजमगढ़
348. श्याम लाल, श्री — बलरामपुर
349. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
350. श्रीपति आजाद, श्री — महराजगंज
351. श्रीभगवान पाटक, श्री — बलिया
352. श्रीभगवान शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
353. संग्राम सिंह, श्री — बाराबंकी
354. संजय, श्री — प्रतापगढ़
355. संजय कपूर, श्री — रामपुर
356. संजीव दरियाबादी, श्री — कानपुर नगर
357. संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
358. संध्या, कुमारी — मैनपुरी
359. सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
360. सत्य नारायण जैसल, श्री — सोनभद्र
361. सत्यपाल सिंह, चौ0 — अलीगढ़
362. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री — मेरठ
363. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री — गौतमबुद्धनगर
364. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 — बागपत
365. सदल प्रसाद, श्री — गोरखपुर
366. सनातन, श्री — बलिया
367. सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री — आजमगढ
368. सलिल विश्नोई, श्री — कानपुर नगर
369. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू भइया), श्री — बरेली

| | | |
|---|---|---|
| 370. | सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री | गाजीपुर |
| 371. | सीमा, श्रीमती | जौनपुर |
| 372. | सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री | फतेहपुर |
| 373. | सुखदेव राजभर, श्री | आजमगढ़ |
| 374. | सुखलाल, श्री | पीलीभीत |
| 375. | सुधीर कुमार, श्री | उन्नाव |
| 376. | सुनील कुमार शर्मा, श्री | गाजियाबाद |
| 377. | सुन्दर लाल लोधी, श्री | उन्नाव |
| 378. | सुन्दर सिंह, श्री | बुलन्दशहर |
| 379. | सुभाष, श्री | बलिया |
| 380. | सुभाष पाण्डेय, श्री | जौनपुर |
| 381. | सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री | आजमगढ़ |
| 382. | सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री | वाराणसी |
| 383. | सुरेश तिवारी, श्री | देवरिया |
| 384. | सुरेश कुमार खन्ना, श्री | शाहजहांपुर |
| 385. | सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री | लखनऊ |
| 386. | सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री | लखनऊ |
| 387. | सुरेश्वर सिंह, श्री | बहराइच |
| 388. | सुल्तान बेग, श्री | बरेली |
| 389. | सुशील कुमार, श्री | चन्दौली |
| 390. | सूरजपाल ठाकुर, श्री | आगरा |
| 391. | सूरज सिंह शाक्य, श्री | एटा |
| 392. | सूर्यभान, श्री | मिर्जापुर |
| 393. | सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती | गाजीपुर |
| 394. | सोबरन सिंह, श्री | मैनपुरी |
| 395. | हरगोविन्द भार्गव, डा0 | सीतापुर |
| 396. | हरपाल सिंह, श्री | मुरादाबाद |
| 397. | हरिओम, श्री | जालौन |
| 398. | हसरत उल्ला, श्री | एटा |
| 399. | हुकुम सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |
| 400. | होराम सिंह, श्री | गौतमबुद्धनगर |
| 401. | रिक्त | मनोनीत |
| *402. | रिक्त | बदायूं |
| *403. | रिक्त | रामपुर |
| *404. | रिक्त | फर्रुखाबाद |

* श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा दिनांक 16 मई, 2007 के अपराह्न से गुन्नौर (बदायूं) से त्याग-पत्र के फलस्वरूप।

** श्री काजिम अली उर्फ नवेद मियां नवाब द्वारा दिनांक 23 मई, 2007 के अपराह्न से त्याग-पत्र के फलस्वरूप।

*** श्री विजय सिंह द्वारा दिनांक 11 जून, 2007 के अपराह्न से त्याग-पत्र के फलस्वरूप।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## महामहिम राज्यपाल
## श्री टी0वी0 राजेस्वर

---

मंत्री

| क्रमांक | नाम | कार्य विभाग (पोर्टफोलियो) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | कुमारी मायावती<br>मुख्य मंत्री | सामान्य प्रशासन सचिवालय प्रशासन, गृह, गोपन, सतर्कता, कार्मिक नियुक्ति वित्त, न्याय, विधायी, नियोजन, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, राज्य सम्पत्ति, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, राजनैतिक पेंशन, भाषा, सूचना, बाह्य सहायतित परियोजना, नागरिक सुरक्षा औद्योगिक विकास, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, कृषि शिक्षा, धर्मार्थ कार्य, मुस्लिम वक्फ, होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षा दल, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, परिवार कल्याण, अवस्थापना विकास, महिला कल्याण तथा स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क। |
| 2 | श्री सतीश चन्द्र मिश्रा | मुख्य मंत्री जी से सम्बद्ध |
| 3 | श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी | आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग |
| 4 | श्री रामवीर उपाध्याय | ऊर्जा एवं ग्रामीण समग्र विकास |
| 5 | श्री लालजी वर्मा | संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण |
| 6 | श्री इन्द्रजीत सरोज | समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि नीति |
| 7 | श्री ठाकुर जयवीर सिंह | माध्यमिक शिक्षा |
| 8 | श्री स्वामी प्रसाद मौर्य | राजस्व |
| 9 | श्री वेदराम भाटी | श्रम एवं सेवायोजन |
| 10 | श्री लक्ष्मी नारायण | कृषि (कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात तथा कृषि विपणन को छोड़कर) |
| 11 | श्री राकेश धर त्रिपाठी | उच्च शिक्षा |
| 12 | श्री बाबू सिंह कुशवाहा | भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज |
| 13 | श्री जगदीश नारायण राय | वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग |
| 14 | श्री फागू चौहान | कारागार प्रशासन एवं सुधार |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 15 | श्री नकुल दुबे | नगर विकास (नगरीय विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को छोड़कर), पर्यावरण, संस्कृति, शहरी समग्र विकास एवं संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन (स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क को छोड़कर) |
| 16 | श्री ददूदू प्रसाद | ग्राम्य विकास |
| 17 | श्री नरायन सिंह | उद्यान |
| 18 | श्री सुधीर गोयल | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी |
| 19 | श्री राम प्रसाद चौधरी | खाद्य एवं रसद |
| 20 | डॉ0 धर्म सिंह सैनी | बेसिक शिक्षा |
| 21 | श्री राम अचल राजभर | परिवहन |
| | | **राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)** |
| 1 | श्री अनीस अहमद खाँ | अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज |
| 2 | श्री अयोध्या अहमद पाल | खेलकूद एवं युवा कल्याण |
| 3 | श्री जमुना निषाद | मत्स्य एवं सैनिक कल्याण |
| 4 | श्रीमती ओमवती | खादी एवं ग्रामोद्योग |
| 5 | श्री बादशाह सिंह | लघु उद्योग |
| 6 | श्री रंगनाथ मिश्र | ग्रामीण अभियंत्रण सेवा |
| 7 | श्री विनोद कुमार | पर्यटन |
| 8 | श्री फतेह बहादुर सिंह | वन, जन्तु उद्यान |
| 9 | श्री लखीराम नागर | लघु सिंचाई |
| 10 | श्री अवधेश कुमार वर्मा | पिछड़ा वर्ग कल्याण |
| 11 | श्री रघुनाथ प्रसाद | भूमि विकास एवं जल संसाधन (परती भूमि विकास को छोड़कर) |
| 12 | श्री राम हेत | निर्वाचन |
| 13 | श्री रामपाल वर्मा | परती भूमि विकास |
| 14 | श्री अनंत कुमार मिश्रा | स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, सहकारिता |
| 15 | श्री अवधपाल सिंह यादव | पशुधन एवं दुग्ध विकास |
| 16 | श्री अकबर हुसैन | अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत |
| 17 | श्री सदल प्रसाद | प्राविधिक शिक्षा |
| 18 | श्री यशवंत | नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम |
| 19 | श्री रतनलाल अहिरवार | अम्बेडकर ग्राम विकास |
| 20 | श्री आनन्द सेन यादव | खाद्य प्रसंस्करण |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## राज्य मंत्री

| क्रमांक | नाम | कार्य विभाग (पोर्टफोलियो) |
|---|---|---|
| 1 | श्री संग्राम सिंह | कुटीरोद्योग एवं रेशम उद्योग |
| 2 | श्री अब्दुल मन्नान | कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात |
| 3 | श्री योगराज सिंह | कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान |
| 4 | श्रीमती विद्या चौधरी | महिला कल्याण विभाग |
| 5 | श्री राजेश तिवारी | होम्योपैथिक चिकित्सा एवं धर्मार्थ कार्य |
| 6 | श्री शहाजेल इस्लाम अंसारी | मुस्लिम वक्फ |
| 7 | श्री दद्दन मिश्रा | आयुर्वेदिक चिकित्सा |
| 8 | श्री हरिओम | होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षा दल |
| 9 | श्री यशपाल सिंह | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी |

## नेता विरोधी दल

श्री मुलायम सिंह यादव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

**अध्यक्ष**

**श्री सुखदेव राजभर**

**उपाध्यक्ष**

**रिक्त**

**प्रमुख सचिव**

**श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय**

**अधिष्ठाता मण्डल**

1-श्री भगेलू राम, सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर),
2-श्री फरीद महफूज किदवई, सदस्य, विधान सभा (बाराबंकी),
3-श्री बृजेश सौरभ, सदस्य, विधान सभा (प्रतापगढ़),
4-श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा (अम्बेडकरनगर),
5-श्री भगवती प्रसाद सागर, सदस्य, विधान सभा (झांसी),
6-श्री राम बिशुन आजाद, सदस्य, विधान सभा (गोण्डा),
7-श्री अरविन्द गिरी, सदस्य, विधान सभा (खीरी),
8-डॉ0 पी0 के0 राय, सदस्य, विधान सभा (कुशीनगर),
9-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा (गोरखपुर),
10-श्री प्रदीप माथुर, सदस्य, विधान सभा (मथुरा)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 27 जून, 2007

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे उध्यक्ष श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

## उपस्थित सदस्य-364

| | |
|---|---|
| अंगद यादव, श्री | आजमगढ़ |
| अकबर हुसैन, श्री | मुरादाबाद |
| अर्कीलुर्रहमान, श्री | मुरादाबाद |
| अजय कपूर, श्री | कानपुर नगर |
| अजय तोमर, डा0 | बागपत |
| अजय पाल सिंह, कुंवर | रायबरेली |
| अजय यादव, श्री | एटा |
| अजय सिंह, श्री | जालौन |
| अनिल कुमार, श्री | कन्नौज |
| अनिल कुमार, श्री | बुलन्दशहर |
| अनिल कुमार, श्री | मुजफ्फरनगर |
| अनिल कुमार अहिरवार, श्री | महोबा |
| अनिल कुमार मौर्य, श्री | मिर्जापुर |
| अनिल कुमार सिंह यादव, श्री | एटा |
| अनिल चौधरी, डा0 | हाथरस (महामायानगर) |
| अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री | पीलीभीत |
| अनुग्रह नारायण सिंह, श्री | इलाहाबाद |
| अनूप कुमार गुप्ता, श्री | सीतापुर |
| अनूप सण्डा, श्री | सुल्तानपुर |
| अब्दुल कलाम, श्री | सन्तकबीरनगर |
| अब्दुल मन्नान, श्री | हरदोई |
| अब्दुल वारिस खाँ, श्री | मुजफ्फरनगर |
| अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री | फैजाबाद |
| अमरेश कुमार शुक्ल, श्री | बाराबंकी |
| अम्बिका सिंह, श्री | गोरखपुर |
| अमेरिका प्रधान, श्री | गाजीपुर |
| अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री | बाराबंकी |
| अरविन्द गिरि, श्री | लखीमपुर खीरी |
| अरविन्द सिंह, श्री | कन्नौज |
| अरशद खान, श्री | पीलीभीत |
| अरूण कुमार यादव, श्री | आजमगढ़ |
| अरूणा तोमर, श्रीमती | कानपुर नगर |
| अर्चना सरोज, श्रीमती | सन्तरविदासनगर (भदोही) |
| अलाउद्दीन, श्री | बलरामपुर |
| अलीम हाजी, श्री | बुलन्दशहर |
| अवध पाल सिंह यादव, श्री | एटा |
| अवधेश कुमार वर्मा, श्री | शाहजहाँपुर |
| अवधेश प्रसाद, श्री | फैजाबाद |
| अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री | महराजगंज |
| अवस्थी बाला प्रसाद, श्री | लखीमपुर खीरी |
| अशोक कुमार, श्री | औरैया |
| अशोक कुमार कंसल, श्री | मुजफ्फरनगर |
| अशोक कुमार राणा, श्री | बिजनौर |
| अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री | हमीरपुर |
| अशोक सिंह चौहान, श्री | मैनपुरी |
| आदित्य पाण्डेय, श्री | फतेहपुर |
| आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री | इलाहाबाद |
| आर0 ए0 उस्मानी, श्री | लखीमपुर खीरी |
| आर0 के0 चौधरी, श्री | लखनऊ |
| आर0 के0 शर्मा, पंडित | बरेली |
| आरिफ अनवर हाशमी, श्री | गोण्डा |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | |
|---|---|
| आलोक कुमार शाक्य, श्री | मैनपुरी |
| आसिफ, श्री | हरदोई |
| इकबाल, श्री | बिजनौर |
| इकबाल महमूद, श्री | मुरादाबाद |
| इन्द्रजीत सरोज, श्री | कौशाम्बी |
| इमरान महमूद, श्री | सहारनपुर |
| इरफान सोलंकी, श्री | कानपुर नगर |
| ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री | सिद्धार्थनगर |
| उदयभान करवरिया, श्री | इलाहाबाद |
| उदयराज, श्री | उन्नाव |
| उदयलाल मौर्य, श्री | वाराणसी |
| उमलेश यादव, श्रीमती | बदायूँ |
| उमेश पाण्डेय, श्री | मऊ |
| उस्मानुल हक, श्री | मुरादाबाद |
| ओम प्रकाश सिंह, श्री | मिर्जापुर |
| ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री | सुल्तानपुर |
| ओमवती देवी, श्रीमती | बिजनौर |
| कमलेश चन्द्र, श्री | कानपुर देहात |
| कामेश्वर उपाध्याय, श्री | देवरिया |
| कालीचरन, श्री | गाजीपुर |
| काशीराम, श्री | रामपुर |
| कुबेर सिंह, श्री | एटा |
| कुलदीप सिंह गंगवार, श्री | फर्रुखाबाद |
| कुलदीप सिंह सेंगर, श्री | उन्नाव |
| कृपा शंकर सिंह, श्री | उन्नाव |
| कृष्ण कुमार, श्री | बहराइच |
| कृष्ण गोपाल पटेल, श्री | लखीमपुर खीरी |
| कृष्णाराज, श्रीमती | लखीमपुर खीरी |
| के0 के0 सचान, डा0 | जौनपुर |
| केदारनाथ वर्मा, श्री | बलिया |
| कैलाश चौरसिया, श्री | मिर्जापुर |
| कैलाश सिंह राजपूत, श्री | कन्नौज |
| कौकब हमीद खाँ, श्री | बागपत |
| कौशल किशोर, डा0 | लखीमपुर खीरी |
| कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत | बलरामपुर |
| गजेन्द्र सिंह, श्री | बुलन्दशहर |
| गिरीश चन्द्र, श्री | मुरादाबाद |
| गुटियारी लाल दुबेश, श्री | आगरा |
| गुरू प्रसाद मौर्य, श्री | इलाहाबाद |
| गुलाम मोहम्मद खान, श्री | बहराइच |
| गेंदा लाल चौधरी, श्री | हाथरस (महामायानगर) |
| गौरी शंकर एडवोकेट, श्री | लखनऊ |
| घूराराम, श्री | बलिया |
| चन्द्रदेव, श्री | आजमगढ़ |
| चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री | सुल्तानपुर |
| चन्द्रभद्र सिंह, श्री | सुल्तानपुर |
| चन्द्रमणि प्रसाद, श्री | सोनभद्र |
| चन्द्रवीर सिंह, श्री | मेरठ |
| चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री | सिद्धार्थनगर |
| छत्रपाल सिंह, श्री | बरेली |
| छोटे सिंह, श्री | जालौन |
| जगदीश नारायण, श्री | जौनपुर |
| जगदीश सोनकर, श्री | जौनपुर |
| जगन प्रसाद गर्ग, श्री | आगरा |
| जगपाल, श्री | सहारनपुर |
| जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री | महराजगंज |
| जमीरउल्ला, श्री | अलीगढ़ |
| जमुना निषाद, श्री | गोरखपुर |
| जयवीर सिंह, श्री | मैनपुरी |
| जयवीर सिंह, ठाकुर | अलीगढ़ |

जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री चन्दौली
जितेन्द्र कुमार, श्री बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री आगरा
जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री फर्रूखाबाद
तौफीक अहमद, श्री सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
दद्दन, श्री श्रावस्ती
दद्दू प्रसाद, श्री चित्रकूट
दयाराम, श्री कौशाम्बी
दशरथ प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
दाउद अहमद, श्री हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
दीपक कुमार, श्री उन्नाव
दीप नारायण सिंह, श्री झाँसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
दूधराम, श्री बस्ती
धनंजय सिंह, श्री जौनपुर
धनीराम, श्री औरैया
धर्मपाल, श्री गाजियाबाद
धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव, श्री बदायूँ
धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बलरामपुर
धू राम लोधी चौधरी, श्री हमीरपुर

नकुल दूबे, श्री लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री हरदोई
नरेन्द्र सिंह, श्री फर्रूखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री ललितपुर
नारायण सिंह, श्री आगरा
निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
नीरज कुशवाहा, श्री शाहजहाँपुर
पंकज कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
पशुपति, श्री गाजीपुर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
प्रजापालन, श्री एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री बेलरिया
प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
फरहत हसन, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
फागू, श्री मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
बलबीर, श्री मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | |
|---|---|
| बिरजू राम, श्री | जौनपुर |
| बृजेश सौरभ, श्री | प्रतापगढ़ |
| बैजनाथ दूबे, श्री | गोण्डा |
| ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री | देवरिया |
| भगवत शरण गंगवार, श्री | बरेली |
| भगवती प्रसाद सागर, श्री | झाँसी |
| भगवान पाठक, श्री | सन्तकबीरनगर |
| भगवान सिंह कुशवाहा, श्री | आगरा |
| भगेलू राम, श्री | सुल्तानपुर |
| भीमराव अम्बेडकर, श्री | इटावा |
| भोला, श्री | आजमगढ़ |
| मंजू, श्रीमती | बलिया |
| मदन भैया, श्री | बागपत |
| मदन चौहान, श्री | गाजियाबाद |
| मधुसूदन शर्मा, श्री | आगरा |
| मनोज चौधरी, श्री | सहारनपुर |
| ममतेश शाक्य, श्री | एटा |
| महबूब अली, श्री | ज्योतिबाफूलेनगर |
| महिपाल सिंह, श्री | सहारनपुर |
| महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री | सीतापुर |
| महेन्द्र सिंह, श्री | अलीगढ़ |
| महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री | इटावा |
| महेश चन्द्र, श्री | कानपुर देहात |
| महेश चन्द्र, श्री | बदायूँ |
| माता प्रसाद पाण्डेय, श्री | सिद्धार्थनगर |
| माधव पासवान, श्री | गोरखपुर |
| मिथिलेश कुमार, श्री | शाहजहाँपुर |
| मिथलेश कटियार, श्रीमती | कानपुर देहात |
| मीता गौतम, कु0 | बाराबंकी |
| मुख्तार अंसारी, श्री | मऊ |
| मुरलीधर, श्री | फतेहपुर |
| मुलायम सिंह यादव, श्री | इटावा |
| मुस्लिम खाँ, श्री | बदायूँ |
| मोहम्मद आजम खां, श्री | रामपुर |
| मोहम्मद इरशाद खान, श्री | लखनऊ |
| मोहम्मद गाजी, श्री | बिजनौर |
| मोहम्मद जलील खान, श्री | गोण्डा |
| मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री | सीतापुर |
| मोहम्मद ताबीश खां, श्री | सन्तकबीरनगर |
| मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री | इलाहाबाद |
| यशपाल सिंह, श्री | बिजनौर |
| यशपाल सिंह चौहान, श्री | अलीगढ़ |
| यशवन्त सिंह, डा0 | मुजफ्फरनगर |
| यसपाल सिंह रावत, श्री | गोरखपुर |
| योगराज सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |
| योगेन्द्र सागर, श्री | बदायूँ |
| योगेश वर्मा, श्री | मेरठ |
| रंगनाथ मिश्र, श्री | सन्तरविदासनगर (भदोही) |
| रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 | कानपुर देहात |
| रघुराज प्रताप सिंह, श्री | प्रतापगढ़ |
| रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री | फतेहपुर |
| रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री | कुशीनगर |
| रमेश चन्द्र, श्री | गोण्डा |
| रमेश चन्द्र विन्द, डा0 | मिर्जापुर |
| रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री | जौनपुर |
| रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री | सहारनपुर |
| राकेश कुमार गोस्वामी, श्री | महोबा |
| राकेश धर त्रिपाठी, डा0 | इलाहाबाद |
| राकेश बाबू, श्री | फिरोजाबाद |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | |
|---|---|
| राघव लखन पाल, श्री | सहारनपुर |
| राजकुमार सिंह गौतम, डा0 | गाजीपुर |
| राजकुमार रावत, श्री | मथुरा |
| राजपाल त्यागी, श्री | गाजियाबाद |
| राजपाल सिंह, श्री | गाजियाबाद |
| राजबली जैसल, श्री | इलाहाबाद |
| राजाराम त्यागी, श्री | रायबरेली |
| राजीव कुमार सिंह, श्री | बाराबंकी |
| राजीव चन्ना, श्री | मुरादाबाद |
| राजेन्द्र कुमार, श्री | मऊ |
| राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री | प्रतापगढ़ |
| राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री | बस्ती |
| राजेन्द्र सिंह, श्री | आगरा |
| राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री | गोरखपुर |
| राजेश अग्रवाल, श्री | बरेली |
| राजेश कुमार, श्री | लखीमपुर खीरी |
| राजेश त्रिपाठी, श्री | गोरखपुर |
| राजेश यादव, श्री | शाहजहाँपुर |
| राजेश्वरी, श्रीमती | हरदोई |
| राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 | गोरखपुर |
| राधे लाल रावत, श्री | उन्नाव |
| राधे श्याम गुप्ता, श्री | फतेहपुर |
| राधेश्याम जायसवाल, श्री | सीतापुर |
| राम अचल राजभर, श्री | अम्बेडकरनगर |
| राम किशुन, श्री | चन्दौली |
| राम कुमार तिवारी, पण्डित | ललितपुर |
| रामपाल राजवंशी, श्री | सीतापुर |
| रामपाल वर्मा, श्री | हरदोई |
| राम प्रकाश कुशवाहा, श्री | कानपुर नगर |
| राम प्रकाश यादव, श्री | फिरोजाबाद |
| राम प्रसाद चौधरी, श्री | बस्ती |
| राम प्रसाद जायसवाल, श्री | देवरिया |
| राम बिशुन आजाद, श्री | गोण्डा |
| रामवीर उपाध्याय, श्री | हाथरस |
| राम शिरोमणि शुक्ल, श्री | प्रतापगढ़ |
| राम सागर अकेला, श्री | श्रावस्ती |
| राम सिंह, डा0 | अलीगढ़ |
| रामसेवक, श्री | सुल्तानपुर |
| राम सेवक सिंह पटेल, श्री | बदायूँ |
| रामस्वरूप सिंह, श्री | कानपुर देहात |
| रामहेत भारती, श्री | सीतापुर |
| रिजवान अहमद खाँ, श्री | ज्योतिबाफूलेनगर |
| रियाज अहमद, श्री | पीलीभीत |
| रोशन लाल वर्मा, श्री | शाहजहाँपुर |
| लक्ष्मी नारायण, श्री | मथुरा |
| लखीराम नागर, श्री | मेरठ |
| लल्लू सिंह, श्री | फैजाबाद |
| लालजी टंडन, श्री | लखनऊ |
| लालजी यादव, श्री | सिद्धार्थनगर |
| लालजी वर्मा, श्री | अम्बेडकरनगर |
| वकार अहमद शाह, डा0 | बहराइच |
| वाचस्पति, श्री | कौशाम्बी |
| वारिस अली, श्री | बहराइच |
| वासुदेव सिंह "बाबा", श्री | बुलन्दशहर |
| विजय कुमार, श्री | गाजीपुर |
| विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री | मुरादाबाद |
| विजय कुमार मिश्र, श्री | सन्तकबीरनगर (भदोही) |
| विजय पाल सिंह, श्री | बरेली |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | |
|---|---|
| विजय बहादुर यादव, श्री | गोरखपुर |
| विद्या चौधरी, श्रीमती | आजमगढ़ |
| विद्यासागर गुप्त, श्री | लखनऊ |
| विनोद कुमार, श्री | प्रतापगढ़ |
| विनोद सिंह, श्री | सुल्तानपुर |
| विनोद कुमार हरित, श्री | मेरठ |
| विनोद चतुर्वेदी, श्री | जालौन |
| विवेक कुमार सिंह, श्री | बांदा |
| विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री | बांदा |
| विशम्भर सिंह यादव, श्री | बांदा |
| विश्वनाथ, श्री | कुशीनगर |
| वीरेन्द्र कुमार, श्री | हरदोई |
| वीरेन्द्र सिंह, श्री | बरेली |
| वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री | बुलन्दशहर |
| वेदराम भाटी, श्री | बुलन्दशहर |
| शब्बीर अहमद, श्री | बहराइच |
| शम्भू चौधरी, श्री | कुशीनगर |
| शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री | बरेली |
| शारदा प्रसाद, श्री | चन्दौली |
| शहनवाज, श्री | बिजनौर |
| शाहिद मंजूर, श्री | मेरठ |
| शिव गणेश, श्री | रायबरेली |
| शिवबालक पासी, श्री | रायबरेली |
| शिवशंकर, श्री | बलिया |
| शेखर, श्री | औरैया |
| शेरबहादुर, श्री | अम्बेडकरनगर |
| शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री | जौनपुर |
| श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा) | वाराणसी |
| श्याम नरायण यादव, श्री | आजमगढ़ |
| श्याम लाल, श्री | बलरामपुर |
| श्याम सुन्दर शर्मा, श्री | मथुरा |

| | |
|---|---|
| श्रीपति आजाद, श्री | महराजगंज |
| श्रीभगवान पाठक, श्री | बलिया |
| संग्राम सिंह, श्री | बाराबंकी |
| संजय, श्री | प्रतापगढ़ |
| संजय कपूर, श्री | रामपुर |
| संदीप अग्रवाल, श्री | मुरादाबाद |
| संध्या, कुमारी | मैनपुरी |
| सतीश महाना, श्री | कानपुर नगर |
| सत्य नारायण जैसल, श्री | सोनभद्र |
| सत्यपाल सिंह, चौ0 | अलीगढ़ |
| सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री | मेरठ |
| सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री | गौतमबुद्धनगर |
| सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 | बागपत |
| सदल प्रसाद, श्री | गोरखपुर |
| सनातन, श्री | बलिया |
| सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री | आजमगढ़ |
| सिनोद कुमार शाक्य (दीपू भइया), श्री | बरेली |
| सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री | गाजीपुर |
| सीमा, श्रीमती | जौनपुर |
| सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री | फतेहपुर |
| सुखदेव राजभर, श्री | आजमगढ़ |
| सुखलाल, श्री | पीलीभीत |
| सुधीर कुमार, श्री | उन्नाव |
| सुनील कुमार शर्मा, श्री | गाजियाबाद |
| सुन्दर लाल लोधी, श्री | उन्नाव |
| सुन्दर सिंह, श्री | बुलन्दशहर |
| सुभाष, श्री | बलिया |
| सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री | आजमगढ |
| सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री | वाराणसी |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | | | |
|---|---|---|---|
| सुरेश तिवारी, श्री | देवरिया | सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती | गाजीपुर |
| सुरेश कुमार खन्ना, श्री | शाहजहांपुर | सोबरन सिंह, श्री | मैनपुरी |
| सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री | लखनऊ | हरगोविन्द भार्गव, डा0 | सीतापुर |
| सुरेश्वर सिंह, श्री | बहराइच | हरपाल सिंह, श्री | मुरादाबाद |
| सुल्तान बेग, श्री | बरेली | हरिओम, श्री | जालौन |
| सूरजपाल ठाकुर, श्री | आगरा | हसरत उल्ला, श्री | एटा |
| सूरज सिंह शाक्य, श्री | एटा | हुकुम सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |
| सूर्यभान, श्री | मिर्जापुर | होराम सिंह, श्री | गौतमबुद्धनगर |

नोटः- लोक निर्माण एवं सिचाई मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी), भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## राष्ट्रीय-गीत

### वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम् ।।
सुजलाम्।
सुफलाम्।
मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम्।
मातरम् । वन्दे मातरम्।।
शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्
फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्
सुहासिनीम्
सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम्
वरदाम्
मातरम्। वन्दे मातरम्।।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(श्री हुकुम सिंह के खड़े होने पर)

### सदन में मोबाइल फोन आदि न ले आने हेतु सभी सदस्यों एवं मीडिया के प्रतिनिधियों से श्री अध्यक्ष का अनुरोध

श्री अध्यक्ष-

एक आवश्यक सूचना मुझे सदन को देनी है कि सदन की कार्यवाही के मध्य में मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों के सक्रिय होने से सदन की कार्यवाही में व्यवधान पड़ता है और सदन की ध्वनि प्रणाली पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः सभी माननीय सदस्यों और मीडिया के प्रतिनिधियों से मेरा अनुरोध है कि सदन में कोई मोबाइल फोन या अन्य उपकरण ले करके न आयें।

(व्यवधान के मध्य)

### नियम-300 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को उठाने का प्रयास

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

मान्यवर, मैंने नियम-300 के अन्तर्गत नोटिस दी है और मैं चाहूंगा कि आप उस पर मुझे सुन लें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा गम्भीरता पूर्वक आग्रह है कि आखिर कौन सी साजिश थी, किस विधायक की हत्या करने के लिये बम बनाया जा रहा था। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है, विधायक की सुरक्षा से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी, निधन के निदेश होने हैं, कृपया पहले निधन के निदेश ले लेने दीजिये।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, शोक-प्रस्ताव पहले ले लीजिये।

**विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री चन्द्रजीत यादव, श्री सूरज लाल गुप्त, श्री चन्द्रशेखर सिंह, श्री ओम प्रकाश उर्फ राम मिलन सिंह, श्री इस्माइल तथा श्री गणेश राजभर के निधन पर शोकोद्गार**

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री चन्द्रजीत यादव का 25 मई, 2007 को निधन हो गया। वे लगभग 77 वर्ष के थे। श्री चन्द्रजीत यादव का जन्म 01 जनवरी, 1930 को ग्राम सरूपहा, जिला आज़मगढ़ में हुआ था। उन्होंने एम0ए0, एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री चन्द्रजीत यादव वर्ष 1957 तथा 1962 में निर्वाचन क्षेत्र मोहम्मदाबाद गोहना, तत्कालीन जिला आज़मगढ़ से कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे चौथी, पाँचवीं, आठवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे थे। श्री चन्द्रजीत यादव लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र आन्दोलन के नेता रहे थे तथा उन्होंने स्टूडेन्ट्स यूनियन के कार्य-कलाप में सक्रिय भाग लिया था। वे अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के महामंत्री रहे थे। वे केन्द्रीय सरकार में इस्पात एवं खान मंत्री रहे थे। वे अस्पृश्यता उन्मूलन में गहरी दिलचस्पी रखते थे तथा तैराकी एवं बागवानी का उन्हें शौक था। श्री चन्द्रजीत यादव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। श्री चन्द्रजीत यादव जी मेरे जनपद के थे, हम लोगों को बहुत बीच-बीच में मार्ग-दर्शन देते रहते थे। उनके निधन से हमारे पूरे जनपदवासियों को भी और पूरे देश एवं प्रदेश को और व्यक्तिगत तौर से हमें बहुत आघात पहुँचा है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सूरज लाल गुप्त का 27 मई, 2007 को निधन हो गया। वे लगभग 85 वर्ष के थे। श्री सूरज लाल गुप्त का जन्म वर्ष 1922 में तत्कालीन जिला गोण्डा की तहसील उतरौला में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बी0ए0, एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सूरज लाल गुप्त वर्ष 1962 तथा 1969 में

निर्वाचन क्षेत्र उतरौला, तत्कालीन जिला गोण्डा से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री सूरज लाल गुप्त वर्ष 1958 में सत्याग्रह में जेल गये थे। वे वकालत का कार्य करते थे तथा जिला बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष भी रहे थे। वे जिला भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष रह चुके थे। वे भारतीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उतरौला के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक रहे थे तथा अनेक शिक्षा संस्थाओं से भी सम्बद्ध थे। कला, कृषि तथा बागवानी में उनकी रुचि थी। श्री सूरज लाल गुप्त के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री चन्द्र शेखर सिंह का 31 मई, 2007 को निधन हो गया। वे लगभग 82 वर्ष के थे। श्री चन्द्र शेखर सिंह का जन्म 1925 में ग्राम सोनबरसा, तत्कालीन जिला बस्ती में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री चन्द्र शेखर सिंह वर्ष 1967 तथा 1974 में जनसंघ के टिकट पर, वर्ष 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर तथा वर्ष 1989, 1991 तथा 1993 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र मेंहदावल, तत्कालीन जिला बस्ती से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री चन्द्र शेखर सिंह ने अनेक राजनैतिक आन्दोलनों में भाग लिया था तथा वे तिहाड़ जेल, दिल्ली, गोरखपुर और बस्ती जेलों में अनेक बार बन्दी रहे थे। वे श्री राम नरेश यादव मंत्रि-मण्डल में राज्य मंत्री तथा श्री कल्याण सिंह मंत्रि-मण्डल में राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) रहे थे। समाज सेवा तथा राजनीति में उनकी विशेष रुचि थी तथा हॉकी, वालीबाल, ताश और शतरंज के खेल उन्हें प्रिय थे। श्री चन्द्र शेखर सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री ओम प्रकाश उर्फ राम मिलन सिंह का 1 जून, 2007 को निधन हो गया। वे लगभग 88 वर्ष के थे। श्री ओम प्रकाश उर्फ राम मिलन सिंह का जन्म 1 जुलाई, 1919 को हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट तथा संस्कृत मध्यमा की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री ओम प्रकाश उर्फ राम मिलन सिंह वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र कप्तानगंज, जिला बस्ती से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य भी रहे थे। श्री ओम प्रकाश उर्फ राम मिलन सिंह वर्ष 1942 के आन्दोलन में लगभग ढाई वर्ष तक जेल में रहे थे। वे बस्ती जिले की जिला परिषद् के कई वर्ष तक सदस्य रहे थे। वे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं संचालक पदों पर रहे थे। वे केन यूनियन, बस्ती के संचालक तथा जिला भारतीय क्रांति दल के मंत्री रहे थे। उन्होंने शिक्षा संस्थाओं की स्थापना में भी अपना योगदान दिया था। कृषि तथा शिक्षा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री ओम प्रकाश उर्फ राम मिलन सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री इस्माइल का 13 जून, 2007 को निधन हो गया। श्री इस्माइल वर्ष 1977 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र बागपत, जिला मेरठ से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री इस्माइल एक योग्य एवं कुशल नेता थे। वे सदैव अपने क्षेत्र के उत्थान हेतु प्रयत्नशील रहते थे। समाजसेवा में उनकी रुचि थी श्री इस्माइल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गणेश राजभर का 14 जून, 2007 को निधन हो गया। वे लगभग 61 वर्ष के थे। श्री गणेश राजभर का जन्म 15 जनवरी, 1946 को ग्राम मखदूमपुर, जिला गाजीपुर में हुआ था। उन्होंने स्नातक तथा डी0पी0एड0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री गणेश राजभर वर्ष 1996 में निर्वाचन क्षेत्र जहूराबाद, जिला गाजीपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री गणेश राजभर भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री, जिला उपाध्यक्ष तथा प्रान्तीय प्रतिनिधि रहे थे। अध्यापन कार्य में उनकी विशेष रुचि थी तथा राजनीति प्रिय थी। श्री गणेश राजभर के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

अब हम माननीय सदस्यों से अनुरोध करेंगे कि कृपया मृतक आत्माओं की शांति के लिये खड़े होकर दो मिनट का मौन रखें।

(सभी सदस्यों ने खड़े होकर दो मिनट का मौन रखा।)

सदन की सम्वेदना दिवंगत आत्माओं के शोक सन्तपत परिवारों तक पहुंचा दी जायेंगी।

श्री उदयभान करवरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक महत्वपूर्ण सूचना थी....

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय सदस्य, माननीया नेता सदन खड़ी हैं।...

श्री अध्यक्ष-

माननीया नेता सदन बोलने के लिये खड़ी हैं इसलिये आप कृपया आसन ग्रहण करें।

**प्रदेश के कुछ जेलों में हुई अप्रिय एवं हिंसात्मक घटनाओं के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य**

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

मा0 अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों में प्रदेश की कुछ जेलों में अप्रिय एवं हिंसात्मक घटनायें घटित हुई हैं, जिनके क्रम में मेरी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण नीति विषयक निर्णय लिये हैं जो मैं इस सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहती हूँ। मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त व दुरुस्त करने की है। मेरा यह मत है कि जब तक अपराधियों के मन में अदालतों, पुलिस तथा जेल का भय नहीं होगा तब तक प्रदेश की

कानून व्यवस्था को सुधारा नहीं जा सकता है। इसी उद्देश्य से मैंने प्रदेश की प्रमुख जेलों में अचानक छापा डलवाया ताकि अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके और जेल प्रशासन की स्थिति की भी सही जानकारी मिल सके। इन छापों में काफी अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं। इन छापों से बौखलाए अपराधी तत्वों ने दिनांक 25 जून, 2007 को सुल्तानपुर जेल में एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत हिंसात्मक आक्रमण किया और काफी हिंसा फैलाई। इस घटना को तत्परता से नियंत्रण में लाया गया यद्यपि इसमें 6 लोगों की जानें गयीं। मैंने इस मामले को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुये कल 26 जून, 2007 को प्रदेश के नये डी0जी0पी0 श्री विक्रम सिंह को मामले की जांच के लिये सुल्तानपुर भेजा। उनकी रिपोर्ट के आधार पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं, जिनकी सूचना मैं आपके माध्यम से सदन को देना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य में कारागार विभाग प्रमुख सचिव, गृह के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा। इस् आशय के आदेश भी जारी कर दिये गये हैं अब प्रमुख सचिव, गृह, प्रमुख सचिव, कारागार का कार्य भी देखेंगे इससे पुलिस और जेल प्रशासन के मध्य बेहतर तालमेल स्थापित होगा और कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने में सहयोग भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि प्रदेश के कुछ चयनित जेलों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के लिये कुछ वरिष्ठ एवं योग्य आई0पी0एस0 अधिकारियों को डी0आई0जी0 जेल और आगे चलकर यदि आवश्यक हुआ तो आई0जी0 तथा ए0डी0जी0 जेल के रूप में तैनात किया जायेगा ताकि अपराध नियंत्रण की समस्त व्यवस्थायें जेलों में प्रभावी तौर पर लागू हो सकें। मेरी सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि जेल प्रशासन को बेहतर एवं आधुनिक सुविधायें प्रदान की जायेंगी और इसके लिये पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित भी की जायेगी। मेरा विश्वास है कि इन कदमों से जेल प्रशासन की व्यवस्था में मूल भूत परिवर्तन आयेगा और जेलों को अपराधियों के वर्चस्व एवं प्रभाव से मुक्त किया जा सकेगा। जिससे प्रदेश में भयमुक्त, अपराधमुक्त एवं अन्यायमुक्त व्यवस्था लागू हो सकेगी। धन्यवाद!

*श्री हुकुम सिंह-

कानून व्यवस्था केवल जेलों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिये। पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है वह भी कानून व्यवस्था में परिभाषित होना चाहिये। कल ही गाजीपुर में हमारे एक पूर्व विधायक के घर पर गोली बारी हुई और वहां पर एक गनर की मृत्यु हो गयी। आप किस तरह से प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर सकते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

इस मामले में मैंने भी सूचना दी है इस मामले में अगर भारतीय जनता पार्टी को सुना जाय तो मुझे भी अवसर मिले।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(व्यवधान)

यह मस्जिद तुड़वा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के यहां बम बनते हैं। उन्हें माफी मांगनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी आपकी 300 में सूचना है।

श्री प्रमोद तिवारी-

साथ में ले लीजिये।

श्री हुकुम सिंह-

आपने अनुमति मुझे दी है फिर यह बीच में क्यों बोल रहें हैं ?

श्री अध्यक्ष-

नियम 301 की सूचना पहले ले लें।

श्री प्रमोद तिवारी-

अगर यह बम बनवायेंगे तो हम बोलेंगे जरूर।

**पूर्व विधायक श्री गुरु प्रसाद शास्त्री के निधन की सूचना प्राप्त न होने की शिकायत**

*श्री उदयभान करवरिया-

श्रीमन्, विशेष ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। अभी आपने निधन की सूचना सदन को दी है। मेरे क्षेत्र के पूर्व विधायक गुरु प्रसाद शास्त्री जी का 24 तारीख को निधन हो गया, उसकी सूचना नहीं आयी है। वह पूर्व विधायक रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। उनके निधन की सूचना नहीं आई।

श्री अध्यक्ष-

इसको दिखवा लीजियेगा।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

इसमें नियम यह है कि जिलाधिकारी के माध्यम से सूचना आती है उसको मंगवा लिया जायेगा।

श्री उदयभान करवरिया-

इस सूचना को मंगवा लिया जाये और यह सुनिश्चित करवा लिया जाये कि आज 27 तारीख हो गयी। 24 तारीख को उनका निधन हो गया उसकी सूचना अब तक क्यों नहीं आई ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय सम्बन्धी सूचना को उठाने का प्रयास

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

मैंने सूचना दी है। वह ऐसी नहीं है कि पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में कुछ कहना हो या मुझे अपने व्यक्तिगत मामले में कुछ कहना हो। यह शैक्षणिक संस्था का मामला है एक लम्बे अंतराल के बाद ऐसा काम हुआ है। जिससे समाज का भला हो सकता है। एक तरफ तो हम बड़ी-बड़ी कमेटीज बनाते हैं पार्लियामेंट और बड़े-बड़े नेता घोषणा करते हैं कि पिछड़ों का, मुसलमानों का शैक्षणिक विकास होना चाहिये। उनको शिक्षा मिलनी चाहिये।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

पहले 301 ले लें।

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

उसको लूटा जाये बरवाद किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

आजम साहब, आपको सुन लिया जायेगा। आप बैठ जाएं।

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

हमें संरक्षण चाहिये। मैं समझता हूँ आप संरक्षण दें यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जिसे मैं उठाना चाहता हूं। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का कानून यहीं से पास हुआ और खून की एक-एक बूँद से यह विश्वविद्यालय बना है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें आपकी पूरी बात सुनी जायेगी।

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

जो कोई इसको बरबाद करना चाहेगा इतिहास में उसका नाम काले अक्षरों में लिखा जायेगा। भारत में ऐसा विश्वविद्यालय 130 वर्ष के बाद वजूद में आ रहा है इसको बनने से न रोका जाये।

श्री अध्यक्ष-

पूरी बात सुनी जायेगी। पहले मुझे कह लेने दीजिये। पूरी बात अभी कह देंगे तो बाद में क्या बचेगा कहने के लिये ?

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

मान्यवर, हर सूचना की अलग अहमियत होती है अगर विश्वविद्यालय को बरबाद करने के लिये कोई सुनियोजित षडयंत्र है तो शर्मनाक है। माना कि आज हम इस हैसियत में नहीं हैं

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लेकिन मान्यवर सोचा न था कि इतना पाप हो सकता है कि एक बने हुये विश्वविद्यालय को बरबाद किया जाये उसे लूट लिया जाये उसकी दीवारों को गिरा दिया जाये।

इससे ज्यादा पाप नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने कह दिया इसको ले लिया जायेगा। मा0 आज़म खाँ कई सदस्य हैं। मैं पूरा सम्मान कर रहा हूँ, इज्जत कर रहा हूँ लेकिन आपकी जब सूचना आये तब कहिये।

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

इसे आप सुनें। पूरा देश सुनना चाहता है। इसे आप क्यों बरबाद कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

सुनूंगा, कह दिया है।

*नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर विषय है। यह विश्वविद्यालय केवल हिन्दुस्तान के लिये नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा है। ऐसा नहीं है किसी समाचार-पत्र में न पढ़ा हो उसकी दीवारें गिराई जा रही हैं और दीवारें गिराते हुये देखना भी चाहते हैं तो उन्हें भी जान का खतरा है।

अब इसी तरह से आप देखेंगे कि जब आज़म साहब ने उसका विरोध किया तो उस विरोध का परिणाम है कि आजम खाँ साहब के खिलाफ ही लिख दिया गया। वहाँ दीवारें तोड़ी जा रही हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का विषय है और समाचार-पत्रों में आ रहा है, विभिन्न चैनलों में भी आपने देख लिया है। यह गम्भीर मामला है। हम मानते हैं कि आप नियम के तहत सुनेंगे लेकिन आपको अधिकार है कि नियमों को स्थगित करके सुन लीजिये, भले ही ज्यादा समय न दीजिये।

(श्री मोहम्मद आजम खाँ के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया। उन्होंने नियमों के महत्व को भी कहा कि यह महत्वपूर्ण घटना है, उसके सम्बन्ध में सुन लीजिये। मैंने भी आश्वस्त किया। पहले 301 की सूचनायें पहले ले लें उसके बाद सुन लिया जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, जौहर विश्वविद्यालय की समस्या एक गम्भीरतम् समस्या है। मैं किसी पार्टी विशेष या राजनैतिक स्तर पर नहीं रख रहा हूँ, एक बना हुआ विश्वविद्यालय तोड़ दिया जाये, यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहुत ही गम्भीर विषय है। किसी राजनीतिक दल को उसे बर्बाद करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

(व्यवधान के मध्य)

## नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 27 जून, 2007 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 7 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं।

(इसी मध्य श्री मोहम्मद आजम खां समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्यों के साथ सदन के फ्लोर में आकर अपनी सूचना को तत्काल सुने जाने की मांग करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया।)

पहली सूचना श्रीमती कृष्णाराज की खीरी के मुहम्मदी क्षेत्रान्तर्गत जल संरक्षण हेतु ग्राम सभा स्तर पर तालाबों की खुदाई में ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत जॉब कार्ड धारकों से कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 1992-93 से वर्ष 2006-07 तक के सभी समग्र एवं अम्बेडकर ग्राम की बहुत सी ग्राम सभाओं में समुचित विकास कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

तीसरी सूचना श्री यशपाल सिंह चौहान की हाथरस के सिकन्दराराऊ क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक हंसायन के दो क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण/मरम्मत कराने के सम्बन्ध में है,

चौथी सूचना डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर महायोजना-2001 के अभी तक स्वीकृत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

पाँचवी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा दुर्बल आय वर्ग के गरीब व्यक्तियों को आवंटित मकानों पर देय ब्याज माफ करने के सम्बन्ध में है,

छठवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर नगर के तीन नालों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में और सातवीं सूचना श्री शम्भू चौधरी की कुशीनगर के नौरंगिया क्षेत्रान्तर्गत सुरक्षा की दृष्टि से बार्डर सिक्योरिटी फोर्स एवं हनुमानगंज ग्राम पंचायत में पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में है।

(सभी स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं )

**खीरी के मोहम्मदी क्षेत्रान्तर्गत जल संरक्षण हेतु ग्राम सभा स्तर पर तालाबों की खुदाई ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत जॉब कार्ड धारकों से कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्रीमती कृष्णा राज-

[अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी (लखीमपुर खीरी) में विकास खण्ड-पसगवां, मोहम्मदी एवं मितौली में जल संरक्षण हेतु जो तालाब खोदे गये हैं वो मानक के अनुरूप नहीं हैं, तालाबों की खुदाई में जे0सी0वी0 एवं ट्रैक्टर का उपयोग किया गया है। जबकि सरकार की मंशा ग्रामीण स्तर पर सभी बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देना है परन्तु तालाबों की खुदाई में जांब कार्ड धारकों से कार्य न लेकर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, जिससे बेरोजगार व्यक्तियों का परिवार भुखमरी के कगार पर है, उनमें काफी रोष व्याप्त हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को शासन के संज्ञान में लाते हुये बेरोजगार जॉब कार्ड धारकों को न्याय दिलाये जाने हेतु तथा सरकारी योजनाओं को अमल में न लेने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

**प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 1992-93 से वर्ष 2006-07 तक के सभी समग्र एवं अम्बेडकर ग्राम की बहुत सी ग्राम सभाओं में समुचित विकास कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[अध्यक्ष महोदय, जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के वर्ष 1992-93 से वर्ष 2006-07 तक के सभी समग्र एवं अम्बेडकर ग्राम की बहुत सी ग्राम सभायें, अनुसूचित बस्ती विद्युतीकरण, पक्के मार्ग, पेयजल, इन्दिरा आवास, नाली, खड़न्जा प्राथमिक एवं सीनियर विद्यालय की सुविधा से वंचित हैं साथ ही बने सम्पर्क मार्ग भी क्षतिग्रस्त हैं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

**हाथरस के सिकन्दराराऊ क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक हंसायन के दो क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण/मरम्मत कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री यशपाल सिंह चौहान-

[अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ जनपद (हाथरस) महामायानगर के ब्लाक हंसायन के अन्तर्गत आने वाले प्रमुख मार्गों का निर्माण/मरम्मत न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

---

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दाराऊ जनपद हाथरस के ब्लाक हंसायन के अन्तर्गत आने वाला मार्ग जी0टी0 रोड से रतभानपुर से भैकुरी मार्ग लगभग 5 किमी0 का निर्माण लगभग 10 वर्ष पूर्व 1998-99 में कराया गया था। इसके बाद से आज तक उक्त मार्ग का निर्माण/मरम्मत नहीं कराया गया जिसके कारण मार्ग खराब होने के कारण आवागमन में कठिनाई हो रही है। मार्ग में इतने गड्ढे हो गये हैं कि यह पता नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। मार्ग में क्षतिग्रस्त होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती हैं। यह दो ब्लाकों सिकन्दराराऊ और हंसायन को तथा तहसील सिकन्दराराऊ मुख्यालय को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। इस पर कई कालेज भी पड़ते हैं।

इसी प्रकार से ब्लाक हंसायन का पुरदिल नगर से सिंचावली मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के कारण संचालन योग्य नहीं रहा गया है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये जनपद हाथरस के ब्लाक हंसायन के उपरोक्त दो मार्गों का निर्माण अविलम्ब कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।।

**गोरखपुर महायोजना 2021 के अभी तक स्वीकृत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर महानगर के सुनियोजित विकास के लिये महायोजना 2021 की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। अगस्त, 2004 से यह प्रस्ताव प्रस्तावित महायोजना विभिन्न प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कारणों से सचिवालय के गलियारों में घूम रही है। योजना के समाप्त होने में ही अब सिर्फ 14 वर्ष शेष हैं।

महायोजना 2021 की स्वीकृति न मिलने के कारण महानगर का सुनिश्चित विकास नहीं हो पा रहा है। पूरे महानगर में ढेर सारी अनिर्धारित कालोनियां निर्मित हो रही हैं। जिनमें प्राधिकरण को राजस्व की हानि उठानी पड़ रही है। नागरिकों के नक्शे पास न होने के कारण न सिर्फ उन्हें बैंकों से ऋण नहीं मिल पा रहा है, बल्कि उनको अभियन्ताओं के शोषण का भी शिकार होना पड़ रहा है। विकास प्राधिकरण ने ऐसे हजारों नागरिकों के पूर्व में किये आवंटन इस आधार पर निरस्त कर दिये हैं कि शासन ने अभी तक योजना की स्वीकृति नहीं दी।

नागरिकों में इस प्रशासनिक [illegible] ता, लालफीताशाही तथा लेट-लतीफी के विरुद्ध अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है। यह [illegible] आवश्यक है कि सदन को यह बताया जाय कि किन-किन कर्मियों के कारण मह[illegible] को अभी तक स्वीकृति नहीं दी गयी।

---

नोटः- [illegible] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 301 के तहत इस विषय को सदन में उठाने हेतु स्वीकृति प्रदान करें।]

## मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा दुर्बल आय वर्ग के गरीब व्यक्तियों को आवंटित मकानों पर देय ब्याज माफ करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

[अध्यक्ष महोदय, मेरठ विकास प्राधिकरण ने 750 रु0 प्रतिमाह की आय वालों के लिये एक कमरे का मकान दुर्बल आय वर्ग ई0 डब्लू0 एस0 को वर्ष 1989 में 20 हजार में आवंटित किया था। जिसमें आवंटी को 136 से 140 रु0 प्रतिमाह की दर से किस्त अदा करनी थीं। इसमें समस्त आवंटी ऐसे हैं जो मजदूरी करके रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। गरीब व्यक्ति किस्तों की अदायगी नहीं कर पाये प्राधिकरण ने मकानों की कीमत 20 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दी है। किस्तें जमा न करने पर 18% का ब्याज लगाया जा रहा है। इस प्रकार एक मकान पर 5 से 6 हजार रु0 प्रतिवर्ष का ब्याज लग रहा है। इस प्रकार के गरीब व्यक्तियों जिन्हें ई0डब्लू0एस0 मकान आवंटित हैं सरकार उनका ब्याज माफ करे।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।

## शाहजहांपुर नगर के तीन नालों की सफाई कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, शाहजहांपुर नगर के नालों की सफाई न होने के कारण पानी सड़कों पर बहता हैं।

(1) शहीद उद्यान के पश्चिम वाला नाला पूरी तरह भरा है।

(2) कटिया टोला से झंडा कलां होता हुआ हद्दफ की पुलिस चौकी से ककरा कलां जाने वाला नाला सिंचाई के लिये बन्धा बांधने के कारण भरा चल रहा है।

(3) अन्टा के चौराहा वाला नाला पानी सड़कों पर चलता है। जनहित में तीनों नालों की सफाई आवश्यक है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त नालों की सफाई शीघ्र करवा देवें।

---

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

## कुशीनगर के नौरंगिया क्षेत्रान्तर्गत सुरक्षा की दृष्टि से बार्डर सिक्योरिटी फोर्स एवं हनुमानगंज ग्राम पंचायत में पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शम्भू चौधरी-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र नौरंगिया की सीमा नेपाल एवं बिहार से सटे होने के कारण दस्यु एवं तस्करों से प्रभावित होने की समस्या की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र नौरंगिया जनपद कुशीनगर की सीमा नेपाल एवं बिहार से सटी हुई है जिसके कारण यहां पर निवास करने वाली जनता को धन एवं जन की भी काफी हानि होती है तथा यहां के लोगों में हमेशा भय व्याप्त रहता है। इसलिये यहां की सुरक्षा को देखते हुये काफी समय से बार्डर सिक्योरिटी फोर्स एवं हनुमानगंज ग्राम पंचायत में एक पुलिस चौकी की स्थापना की मांग की जा रही है। परन्तु आज तक इस दिशा में शासन एवं प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिससे यहां के नागरिकों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये बार्डर सिक्योरिटी फोर्स एवं हनुमानगंज ग्राम पंचायत में एक पुलिस चौकी की स्थापना की मांग करता हूं।

## मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर पर सुनियोजित ढंग से असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किये जाने एवं उक्त विश्वविद्यालय ट्रस्ट तथा श्री मोहम्मद आजम खाँ पर मुकदमा कायम किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष जी, मा0 आजम खाँ साहब, मैंने निवेदन भी किया कि आपकी भावनाओं को स्वीकार किया जायेगा। मा0 आजम खाँ साहब ने सूचना दी है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

अध्यक्ष जी, आप राजनीतिक मामलों में सत्तापक्ष का पक्ष लें, हम मानते हैं, वह आपको जरूर करना चाहिये लेकिन शिक्षा के बारे में, मो0 अली जौहर विश्वविद्यालय के मामले में इतना पक्षपात होगा तो यह संदेश आज का नहीं, इतिहास का दुःखद संदेश होगा। आज इस काम से इतिहास में आप स्याह अक्षरों में देखे जायेंगे।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

अध्यक्ष जी, पहले सदस्यगण अपने स्थानों पर चले जायें, फिर आप उनकी बात सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपकी पूरी बात सुनने के लिये तैयार हूँ। आप माननीय सदस्यों को वापस बुला लें।

(वेल में आये हुये सपा के सदस्यगण वापस चले गये)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अगर अनुमति हो तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, मैंने सदन को संचालित करने हेतु श्री मोहम्मद आजम खाँ को बोलने के लिये अनुमति दे दी है। थोड़ा व्यतिक्रम हो सकता है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, मदद कर दें। पहले उन्हें सुन लें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

माननीय अध्यक्ष जी, सदन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें अक्सर एक राय होकर सदन फैसले लेता है। जब कभी हमारे 25-30 साल के सदन के इतिहास में ऐसे मौके आये हैं जब सदन का कोई सदस्य या समाज का कोई ऐसा सवाल जिससे आम आदमी की जिंदगी का कोई लेनादेना हो तो सदन ने पार्टी की बंदिशों से ऊपर उठकर बहस भी की है और फैसले भी लिये हैं। मान्यवर, हम अपने छात्र जीवन में जिस विश्वविद्यालय में पढ़े वहाँ हम सुनते थे कि-चश्में सैयद नगरा है कि फिर उठे में शायद, कोई दीवाना अलीगढ़ के बयाबानों से। उस समय खयाल आता था कि कभी कोई ऐसा काम शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहिये। एक लम्बा राजनीतिक जीवन गुजरा। विधायक बने, सांसद बने, कई बार मंत्री भी हुये लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम कोई बड़ा काम नहीं कर सके। जब माननीय नेता जी की सरकार आई तो एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ कम से कम 130 साल के बाद उन अल्पसंख्यकों जिन्हें हिन्दुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी को मुसलमान कहते हैं उनके लिये एक फैसला लिया गया और यह वह फैसला था जो सच्चर कमेटी ने लिया था। लेकिन कमेटी का फैसला सिर्फ कागजों पर लिखे हुये अक्षरों की हद तक ही था। सच्चर समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आजाद हिन्दुस्तान में जिन्होंने भी पिछले पचास सालों तक राज किया उन्होंने मुसलमानों के साथ बड़ी नाइन्साफी की और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे रखा। यह सोचें कि 50 साल तक सरकार में रहने वाले कौन लोग थे ? सच्चर समिति ने उन्हें शिक्षा देने के लिये, उनकी जहालत को दूर करने के लिये बहुत से सुझाव भी दिये। फिर भारत सरकार ने हिन्दुस्तान में बहुत सी यूनिवर्सिटीज बनाने की घोषणा भी की थी। समय-समय पर राज्य सरकारें भी ऐसी घोषणायें करती रहीं लेकिन शिक्षा का स्तर कहां चला गया, शिक्षा का प्रतिशत कहाँ है ? यह हमसे अच्छा मान्यवर, आप जानते हैं । ऐसी मायूसी के माहौल में एक फैसला लिया और एक बहुत कमजोर आदमी ने इस बात की हिम्मत की कि वह ऐसी शैक्षिक संस्था बनायें जहाँ कमजोरों के लिये, उपेक्षितों के लिये, अल्पसंख्यकों,

मुसलमानों के लिये, बहुसंख्यकों के लिये जो इस मुल्क में रहने वाले हैं अगर यह जाहिल रहेंगे, कमजोर रहेंगें, भूखे-नंगे रहेंगे तो मान्यवर, यह धरती का बोझ बन जायेंगें।

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

हिन्दुओं के लिये भी है।

*श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जौहर विश्वविद्यालय सबके लिये है हिन्दू-मुसलमानों सबके लिये। समय आयेगा जब धरती जालिमों का बोझ ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिये शिक्षा के क्षेत्र में उनको कुछ आगे ले जाने के लिये मेरे जैसे कमजोर आदमी ने जिसके दामन पर आप अच्छी तरह वाकिफ हैं पक्ष में बैठें हुये लोग जो कभी विपक्ष में थे उन्हें भी यह मालूम है कि कम से कम यह दामन ऐसा है जिस पर कोई दाग अभी तक नहीं लग सका है। अगर कोई यह समझता है कि पूरे जीवनकाल में एक बूंद रिश्वत की, हराम की हमारे जीवन में हो तो हम अपनी मां के दूध को अपने लिये हराम मानते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को जिसने यह निर्णय लिया हो और खून की बूंदों से, लहू के कतरों से एक-एक रुपये से ढाई सौ एकड़ जमीन खरीदी हो मान्यवर, किसी से खैरात नहीं ली और बीसों-पचासों करोड़ रुपये की इमारतें मान्यवर, दरवाजे-दरवाजे चंदा लेकर बनवाई है। मान्यवर, जो चिट्ठी आपको दी है जिसमें यूनिवर्सिटी की कुछ इमारतें और उसका दरवाजा अगर आप देखेंगे तो वह दरवाजा मुसलमानों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा नजर नहीं आयेगा उसमें हिन्दुओं के निशान भी मिलेंगे, सिखों के निशान और मुसलमानों के निशान भी मिलेंगे। तो एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसका दरवाजा सबके लिये खुला हो उसे बरबाद करने का क्या आप किसी को अधिकार देंगे ? सिर्फ इसलिये कि इस विश्वविद्यालय को एक कमजोर आदमी ने बनाया है, जिसके पास बहुत बड़ा बंगला नहीं है, जिसके पास बड़ा बैंक बैलेन्स नहीं है, जिसके पास कारों की कतार नहीं है, जिसके पीछे कोई शर्मनाक इतिहास नहीं है, जो खुद अपराधी नहीं है उसे इस काम की सजा देंगे। मैं तो यह समझता था कि लोग इसे सराहेंगे। आप जाकर देखें, यह सरकार के लोग जाकर देखें दो किलोमीटर लम्बी सड़क पर दोनों तरफ बनी आलीशान इमारतें हम ख्वाब देखते हैं कि कल बच्चे और बच्चियां इससे बाहर निकलेंगे। मैं चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ और पिछले कई महीनों से सुन रहा हूँ कि गोली चली और गुजरते हुये बच्चे को गोली लग गयी और मर गया। कई हत्यायें हो चुकी हैं तो हमने इरादा किया कि ऐसा विश्वविद्यालय बनायेंगे जिसके चारों तरफ दीवारें होंगी और उन दीवारों पर वह तार लगाये जायेंगे जो सरहदों पर लगते हैं, दरवाजे से एन्ट्री कम्प्यूटर कोड से होगी लेकिन वह सारे सपने चकनाचूर हो गये हैं। जब रातो रात, मान्यवर, मुझे आप इजाजत दें यह कहने कि हम आज भी लड़ रहे हैं। उस सिस्टम से, उस निजाम से, उस नवाबी निजाम

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से जो जुल्म का प्रतीक है। 1857 में मेरठ से चली टुकड़ी का कत्लेआम रामपुर की फौज ने किया था वरना 98 वर्ष पहले हिन्दुस्तान आजाद हो गया होता। उस परिवार के जरिये जो आपकी शरण में आ गया है और हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि अगर आप ऐसे लोगों को संरक्षण देंगे, उस व्यवस्था को जिन्होंने सैकड़ों साल पहले हिन्दुस्तान को गुलामी की मजबूत जंजीर में जकड़ रखा है और आज भी यही सपना देखते हैं कि वह कल के राजा और कल के नवाब होंगें तो मान्यवर, यह अच्छा तजुर्बा नहीं होगा। उन लोगों के जरिये हमारी दीवारें तुड़वायी जायेंगी, एक-एक रुपया चन्दा करके बनी हमारी इमारतों से सामान लूटा जायेगा, मान्यवर, खून की बूंदों से जमा किया गया एक आलीशान विश्वविद्यालय इसलिये बरबाद किया जा रहा है कि उसे हमने बनाया है। रपट हमारे खिलाफ लिखी जायेगी, जो कार्यालय में बैठा फाइलें देख रहा है अकेला। यहाँ से भेजिये किसी अधिकारी को जब हमारे ऊपर हमला हुआ है मेरे अलावा मान्यवर, कोई व्यक्ति नहीं था वहाँ। आपने तस्वीरें देखी होंगी, भाले-बल्लम लिये हुये लोग, लाठी लिये हुये लोग पथराव कर रहे हैं। कोई विश्वविद्यालय अगर अपराधियों के साथ समझौता करेगा तो वह नहीं रह सकता और कोई सरकार अगर यह छूट दे देगी तो कोई विश्वविद्यालय ही नहीं कोई मामूली से मामूली स्कूल भी नहीं बच सकेगा, यह अन्याय है उन लोगों के साथ जिन्होंने ख्वाब देखा अच्छा, उनके ख्वाब को शर्मिन्दये ताबीर होने दीजिये, उसे बरबाद मत कीजिये। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के साथ मत कीजिये नाइन्साफी, उसे चलाने का सर्टिफिकेट जारी करें, हजारों बच्चे हिन्दुस्तान के इंतजार कर रहें हैं इस विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिये। यहाँ मान्यवर, उर्दू, फारसी या अरबी की ही शिक्षा नहीं दी जायेगी। यह विश्वविद्यालय जिस दिन आप चलाने की इजाजत देंगे इसमें चार ब्रॉचेज इंजीनियरिंग कालेज की चलायी जायेंगी, इसमें साइंस फैकल्टी, इसमें आर्ट्स फैकल्टी, आने वाले वक्त में इसमें मैडिकल कालेज, लॉ फैकल्टी, एजूकेशन डिपार्टमेंट, नर्सिंग ट्रेनिंग की व्यवस्था की जायेगी। जाकर देखिये मान्यवर, आलीशन इमारतें बनी हुई हैं इसे बरबाद मत होने दीजिये। सरकारी और सियासी ताअस्सुर से मो0 अली जौहर यूनिवर्सिटी के साथ नाइन्साफी हिन्दुस्तान में रहने वाले करोड़ों कमजोरों के साथ और मुसलमानों के साथ नाइन्साफी होगी। यूनिवर्सिटी से लगी हुई जमीन मान्यवर, कस्टोडियन की है। कुरैशी साहब पाकिस्तान चले गये। यह जमीन 1760/- रुपया एकड़ के हिसाब से भारत सरकार ने कस्टोडियन डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी को एलाट कर दी। लेकिन जिलाधिकारी को यहाँ से टेलीफोन गया एक बहुत भारी भरकम बजीर साहब का कि इसका पैसा जमा न किया जाय। तो क्या सरकारें कानून से ऊपर हो जायेंगी विश्वविद्यालय को बरबाद करने के लिये ? हमारा घर ले लें आप, हमें फुटपाथ पर ले जाइये मान्यवर और जनता में भी कहा था कि मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय हमारी जिन्दगी की आखिरी ख्वाहिश है और हम खुदा की कसम खाकर कहना चाहते हैं, अपने मालिक को हाजिर नाजिर जानकर कहना चाहते हैं कि मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रहेगा तो हम रहेंगे

वरना हम जीना ही नहीं चाहते। हम मर जाना चाहते हैं। हमें मरवा दें आप। हमारे जैसे व्यक्ति की शतप्रतिशत सुरक्षा वापस लेकर मरवा दो आप हमें, हम नहीं जीना चाहते। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रहेगा तो हम जीना चाहते हैं वरना हम जीना ही नहीं चाहते हैं दिनांक 23-06-2007 को जब कातिलाना हमला हुआ है और यूनिवर्सिटी को लूटा गया है और इस सरकार ने रपट नहीं कायम होने दी, मान्यवर, हमें संरक्षण चाहिये आपसे, फाइनल रिपोर्ट लगा दीजिये आप लेकिन पूरे प्रदेश में फैला हुआ आतंक, अपराध किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक अंग्रेजी की कहावत है "लल बिफोर द स्टार्म" तूफान से पहले की खामोशी और सन्नाटा, इस सन्नाटे को बनाये रखने में हमारा पूरा सहयोग है। हम पूरा मौका देना चाहते हैं मान्यवर, करो जुल्म लेकिन मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के साथ जुल्म, यह याद रहे मान्यवर, "लमहों ने खता की थी," सदियों ने सजा पाई, हम भी सजा पा रहे हैं और इस सजा से आप भी नहीं बचोगे, नहीं बचेंगे मान्यवर, इसलिये मेरा आपसे आग्रह है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि 23-06-2007 की रपट लिखी जानी चाहिये। कानून को इतना राजनीति की लौंडी न बनाइये, कानून को राजनीति को लौंडी न बनने दीजिये, रपट लिखवाइये मान्यवर, हमारे खिलाफ मुकदमा कायम हो मान्यवर, हम सिलाई की मशीन चोरी करेंगे ? शरम नहीं आती सरकार को, अरे हमने दिया है लिया नहीं इस कार्यालय से, मशीनें हमेशा बंटी हैं और बंटेंगी मान्यवर, कम्बल बंटे हैं, बंटेंगे, बाजू बंटें हैं बंटेंगें, बैसाखियां बंटी है बटेंगी। हम मान्यवर, चोरी करेंगें ? हमारे ऊपर मुकदमा मशीनें चोरी करने का कायम कराया जायेगा, यह इस तरह सरकार का कार्य है ? अपने अधिकारियों को सज़ा दिलवाकर उनके निकम्मेपन की सज़ा दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें, आपकी बात आ गई। अब सरकार इस पर स्थिति स्पष्ट कर दें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

नहीं मान्यवर, अभी पूरी बात नहीं आई है, मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं, बात आपने सुनी है, निर्देश आप जारी करेंगे कि 23 जून, 2006 की घटना की रपट लिखी जाये, मुकदमा कायम हो। आप लगा दीजिये फाइनल रिपोर्ट, आप हमें मुजरिम करार दे दीजिये इसमें लेकिन जैसा मैंने कहा कि कानून को राजनीति की लौंड़ी न बनने दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें, आपका मैंने अदब किया है आपको मैंनें बहुत सुना है नियम-300 पर, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बोलने दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जहां तक मुसलमानों के जज्बात को उठाने का सवाल है, कुछ लोग मुसलमानों के जज्बात को उठाते हैं और बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार मुसलमानों

के हितों के लिये काम करती है, जज्बात उठाने का काम नहीं करती है। मान्यवर, जहां तक राजनीति के लिये राजनीति की लौंडी शब्द का प्रयोग किया है इस शब्द का प्रयोग करने वाले और इस कार्य को करने वाले लोगों को जनता ने उसका करारा जवाब देने का काम किया है। मान्यवर, अपराधियों से समझौता करने वाले लोगों को प्रदेश की जनता ने देखा है और प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिये बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया है। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार जिसकी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी हैं कानून को किसी भी व्यक्ति को चाहे कितना भी बड़ा हो, अपने हाथों का खिलौना नहीं बनने देगी और कानून के अनुसार कार्यवाही करने का काम किया जाय। प्रदेश में शिक्षा को बढ़ाने के लिये, अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिये कानून के अनुसार कार्यवाही करने का काम किया जायेगा। सिलाई मशीन का जिक्र माननीय उप नेता समाजवादी पार्टी ने किया है कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो मान्यवर, क्या उसको इस बात की इजाजत है कि सरकारी मशीनों को लेकर स्वयं गलत तरीके से उसको बांटने का काम करे, अगर वह सरकारी धन था तो निश्चितरूप से उसे उस विभाग को वापस करना चाहिये था, उसको वापस न करके अनधिकृत रूप से बांटने की इजाजत किसने दी है ? किस कानून के तहत आपको इजाजत मिली है ? निश्चित रूप से मान्यवर यह सरकार कानून को अपने हाथों में लेने की इजाजत नहीं देगी। जहां तक मान्यवर इस सूचना को नियम 300 में देने का प्रश्न हैं, आपने उसे पढ़ने का काम किया है। मान्यवर, इस नियम में हैं-"औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।" इसके बाद है-"औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा"।

मान्यवर, इस तरह से माननीय आजम खाँ साहब, जो उप नेता, समाजवादी पार्टी हैं, ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है वह स्वीकार करने योग्य नहीं है। अग्राह्य किये जाने योग्य है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इस सूचना को अग्राह्य करने का काम करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय आजम खाँ साहब बात आ गयी।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, क्या मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को आज की सरकार के हाथों में बर्बाद किया जायेगा ? क्या इसे बिकवा दिया जायेगा, इसे तुड़वा दिया जायेगा ?

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, पूरा जवाब सरकार की ओर से नहीं आया है इस पर। उन्होंने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का प्रश्न उठाया और संसदीय कार्य मंत्री जी सिलाई मशीन का सवाल उठाने लगे। जो वहां हमले की घटना हुयी हैं उसकी रिपोर्ट लिखे जाने की बात है।

श्री अध्यक्ष-

नियम 300 की इस सूचना पर सरकार की ओर से उत्तर आ गया है।

जो सूचना दी है उसमें कार्य स्थगन के तरह की भाषा है। तब भी मैंने आजम खाँ साहब को उस पर सुन लिया और सरकार की ओर से उसमें उत्तर भी दिया गया है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने उस घटना पर उत्तर नहीं रखा है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर जो 23 तारीख की घटना है उसको सदन के सामने मैंने रखा है अखबारों की कटिंग आपके समक्ष रखी हैं। कानून अपना काम करें। मान्यवर लेकिन वह जो हादसा हुआ है। आज यूनिवर्सिटी को तुड़वाने का काम किया जा रहा है, सामान लुटवाया जा रहा है पत्थर फेंके जा रहें हैं। सैकड़ों हथियारबंद आदमी वहां पर थे। आप सरकार को रिपोर्ट दर्ज करने के लिये निर्देशित करने का काम करें मान्यवर, मैं यह चाहता हूँ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया कि हमारी सरकार की नजर में कोई भी व्यक्ति कानून के दायरे से ऊपर नहीं है। कानून के अन्तर्गत जो भी करना होता है वह निश्चित रूप से कानूनी कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष-

जो आपने नियम 300 के अन्तर्गत सूचना दी है उसकी ग्राह्यता पर मैंने माननीय आजम खाँ साहब को और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। इसमें सरकार की ओर से उत्तर आया है। मैं इस सूचना को निरस्त करता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, पिछली बार इस सरकार के पतन का कारण यही हुआ था। थानों में रिपोर्ट लिखना बन्द कर दिया गया था, हत्या लूट और बलात्कार की घटनाओं की रिपोर्ट तक नहीं लिखी गयीं। मैं भी चाहता हूं कि कानून इसमें अपना काम करें। हम भी मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। न सरकार, न मंत्री और न विधायक। मैं भी यही चाहता हूँ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि रिपोर्ट लिखी जानी चाहिये या यह बात इनकी तरफ से आ जाये कि जो हमला हुआ है उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष-

सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब आ गया है कि कानूनन इसमें कार्यवाही होगी।

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, रपट क्यों नहीं लिखी जायेगी ? इनसे पूछिये रपट लिखायेगें या नहीं लिखायेंगें। आप जांच करवा लीजिये या चाहे जो करवा लें लेकिन रपट क्यों नहीं लिखी गयी इसको गम्भीरता से लें, बाकायदा हमला हुआ है आपके पास सारे अखबार रखें हैं, एक नहीं कई अखबार हैं।

श्री अध्यक्ष-

इसको सुना गया है, इसको निरस्त कर दिया है। दो सूचनायें इसी घटना से सम्बन्धित हुकुम सिंह जी की और ओम प्रकाश सिंह जी की है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

क्या नेता विरोधी दल का प्रश्न जवाब देने के लायक भी नहीं है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो सवाल उठाया है मान्यवर, मैंने पहले ही कहा है कि कानून के आधार पर जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी, निश्चित रूप से वह किया जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, 23 तारीख को पुलिस अधीक्षक और थाने में दोनों में रपट लिखकर दी जा चुकी है उसके कायम होने की बात कर रहा हूँ मैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह बात तय होनी चाहिये कि यूनिवर्सिटी का भविष्य क्या होगा ? मान्यवर, यह तय होना चाहिये कि मौजूदा सरकार मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लुटवाना चाहती है, तुड़वाना चाहती है, बरबाद करना चाहती है या उसको रहने देना चाहती है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय आजम खां साहब, आपकी सूचना पर निश्चित तौर पर आपको सुना गया, आपने उस पूरे घटनाक्रम को बहुत अच्छी ढ़ंग से रखा। (श्री मो0 आजम खाँ द्वारा बोलने का प्रयास करते रहने पर व्यवधान बना रहा) माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की तरफ से उस पर अपना विचार आया। उसकी ग्राह्यता का जहां तक सवाल है उस पर मैंने निर्णय दे दिया। एक बार निर्णय हो गया तो दुबारा उस पर कुछ कहना यह संसदीय प्रणाली नहीं है। उसका विनिश्चय हो गया, निस्तारित हो गया, एक निर्णय आ गया।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, यह पूरे देश और दुनिया में जायेगा कि आज यह सरकार मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को बर्बाद करना चाहती है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मोहम्मद जौहर अली विश्वविद्यालय का भविष्य सुनिश्चित कराया जाय। यह किसी व्यक्ति का या राजनीतिक प्रश्न नहीं है यह आने वाले सदियों का सवाल है मान्यवर, लाखों करोड़ों लोगों का प्रश्न है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हम लोग खामोशी से बैठे रहे अब मेरी बात को सुना जाय।

श्री अध्यक्ष-

आजम खाँ साहब, आप मदद करें तो आपकी भी बात सुन लें। माननीय आजम खाँ साहब को सुना और इतना सम्मान किया कि ग्राह्यता पर जितना सुनना था उससे ज्यादा सुन लिया। अब माननीय हुकुम सिंह जी एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहते हैं जो आप सबकी भावना से जुड़ा है। बहुत ही संवेदनशील विषय पर बोलना चाहते हैं। आजम खाँ साहब, आपकी पूरी बात आ गयी है। आपसे मेरी विनती है कि वह महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहते हैं उनको भी मौका दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरा सिर्फ यह कहना है कि इमारतों को नुकसान पहुंचाने की, दीवारे गिराने की, कातिलाना हमले की रपट कायम होनी चाहिये। मान्यवर, जांच करायें आप, हम झूंठे हों तो हमें मुल्जिम बना दें आप। (व्यवधान)

इसका मतलब यह हुआ कि सरकार इस बात को मानती है कि रपट कायम नहीं हो रही है। इससे यह तय है कि पूरे प्रदेश में अपराध की रपट नहीं लिखी जा रही है। मुकदमा कायम नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात इस पूरे सदन ने बहुत शालीनता से सुनी है, नेता प्रतिपक्ष के सम्मान में, आपके सम्मान में उस पर एक निर्णय हो गया पीठ से वह नोटिस निरस्त कर दी गयी।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, जौहर विश्वविद्यालय का भविष्य क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष-

एक निर्णय हो गया है, माननीय आजम खां साहब उस नोटिस पर एक निर्णय हो चुका है आप फिर उस पर बोल रहें हैं। मैं समझता हूँ कि आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको सुनने के बाद वह नोटिस निरस्त कर दी गयी एक निर्णय हो गया फिर घूमफिर कर उसी पर चर्चा करते रहेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मौलाना मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

हम समय बरबाद नहीं करना चाहते थे और केवल आप ही इसमें निर्देश दे सकते थे रिपोर्ट लिखी जायेगी कि नहीं लिखी जायेगी या जौहर विश्वविद्यालय का भविष्य क्या है, इतना बता दें ? यह सरकार समझती है कि हम बहुमत में हैं। हमने बहुत बड़े-बड़े बहुमत देखे हैं, दिल्ली के बहुमत देखे हैं। आप घमंड में चूर मत हो जाइये। ऐसा मत समझाना, हम लोग मौन हैं। हमने बड़े-बड़े बहुमत देखे हैं। इसी सदन के भी देखे हैं और दिल्ली के भी देखे हैं और हम लोगों से टकराने वाले कभी बहुमत पा लेंगे, पता नहीं चला है, यह भी नोट कर लें, यह दिन आने वाले हैं। बहुत जल्दी आने वाले हैं, बहुत घमंड हो गया है आप लोगों को।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गयी और नोटिस निरस्त हो गयी है। सरकार पक्ष की तरफ से भी आ गया कि इसको दिखवा लूँगा, न्याय करूँगा, यह बात आ गयी। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

नहीं मान्यवर, यह बताया जाय कि जौहर विश्वविद्यालय का भविष्य क्या है ?

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आखिर आपको ग्राह्यता पर बुलवाने का मतलब क्या है। आपको इतना समय तक बुलवाने का [illegible] यह नहीं हुआ कि और सदस्यों के हक मारे जायें और महत्वपूर्ण विषय न लिये जायें।

(इस बीच श्री मोहम्मद आजम खाँ, डॉ0 वकार अहमद शाह, श्री राम किशुन, श्री गौरी शंकर, श्री जर्नादन प्रसाद ओझा तथा श्री इकबाल महमूद आदि समाजवादी पार्टी के अनेक माननीय सदस्य सदन की वेल में आकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मैंने गंभीरतापूर्वक आपकी बात को नियम-300 के अन्तर्गत जितना सुनने का काम किया, नेता प्रतिपक्ष जी को सुना, आपको भी सुना, नियम-300 के अर्न्तगत जितना मैं आपको सुना हूँ और आपकी कद्र की है। अब आप दूसरे माननीय सदस्यों की इतनी महत्वपूर्ण घटनाओं को आप महत्व नहीं दे रहें हैं। कम से कम उन महत्वपूर्ण घटनाओं को भी तो आने दीजिये। माननीय हुकुम सिंह जी जिस महत्वपूर्ण घटना को यहाँ कहना चाह रहें हैं।

(सदन के वेल से समाजवादी पार्टी सदस्यों द्वारा लगातार नारे लगाये जाते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

मैनें नियम-300 पर आपको इतना सुना। लेकिन कम से कम आप इतना मदद कर देते, जितना सुना हूँ, नियम-300 की सूचनाओं पर कोई इतना सुनने नहीं देता था। मैंने व्यक्तिगत तौर पर आपका आदर करते हुये 300 की सूचना पर इतना सुना। सरकार का पक्ष भी आ गया और उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त भी कर दिया कि मैं इसको दिखवा लूँगा। सब कुछ तो कह दिया सरकार पक्ष ने। सरकार पक्ष की तरफ से यह बात भी आ गयी कि यह ग्राह्य नहीं है। मैंने नोटिस निरस्त कर दिया, आप फिर उसी पर जोर दे रहें हैं। जबकि माननीय हुकुम सिंह जी महत्वपूर्ण विषय को उठाना चाहते हैं, माननीय प्रमोद तिवारी जी का जो मसला है, आप लोग उनको और हुकुम सिंह जी को तो बोलने दें। माननीय हुकुम सिंह जी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोल रहे हैं। अगर यह परम्परा बनेगी कि अपनी बात कहने के बाद सदन का कोई सदस्य महत्वपूर्ण विषय पर बोल न पाये तो यह अच्छी बात नहीं है। माननीय आजम खाँ साहब जितना मैंने आपको सुना है और 300 की सूचना पर आपकी पूरी बात आ गयी, सरकार पक्ष की तरफ से भी एक निर्देश आ गया, अंत में इसकी ग्राह्यता पर हमको निर्णय लेना था और इस सूचना को हमने अग्राह्य कर दिया, जब एक निर्णय पीठ का हो गया तो आप लोगों को इसे मानना भी चाहिये। कुछ तो कम से कम आप लोग नियमों, परम्पराओं का पालन करें।

(वेल में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपनी बात कहने का प्रयास करने पर-व्यवधान के मध्य)

सत्ता पक्ष की तरफ से आ गया, आपकी बात पूरी सुन ली गयी, आपको माननीय सदस्य मैं भी सम्बोधित कर रहा हूँ। माननीय आजम खाँ साहब की बात को मैंनें पूरा सुना और 300 की सूचना पर निर्णय लेना था कि यह सूचना ग्राह्य है कि नहीं ग्राह्य है, घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुये मैंने भी सुना, सत्ता पक्ष की तरफ से भी बात आ गयी अब तो वह नोटिस अग्राह्य कर दी गयी, आप [illegible] जोर देगें तो माननीय हुकुम सिंह जी की जो महत्वपूर्ण सूचना है, उनकी प्रथम [illegible] पर सूचना थी फिर भी मैं आपके सम्मान में व्यतिक्रम किया हूँ, तब भी आप सदन को चलाने का काम तो करें। माननीय आजम खाँ की नियम-300 की सूचना के बाद हमारे पास नियम-300 की तीन सूचनायें आई, माननीय श्री प्रमोद तिवारी

जी, माननीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी, माननीय श्री हुकुम सिंह जी की, माननीय श्री सुरेश खन्ना जी, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री यशपाल सिंह चौहान, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री जगन प्रसाद गर्ग जी, श्रीमती कृष्णा राज जी, श्री नरेश अग्रवाल जी, इन माननीय सदस्यों की सूचनाएं आई हैं.....

(समाजवादी पार्टी के सदस्यगण सदन के वेल में बैठ गये)

**(व्यवधान के मध्य)**

माननीय हुकुम सिंह जी को आप सुनने नहीं दे रहे हैं, उनकी भी तो महत्वपूर्ण सूचना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री ओम प्रकाश जी की महत्वपूर्ण सूचना है। प्रमोद तिवारी जी की सूचना है। हुकुम सिंह को सुन लें उसके बाद प्रमोद तिवारी जी को सुनना है इसलिये मैं बार-बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप इनकी भी सूचना को सुन लें। मैंने आपका पूरा सम्मान किया हैं अब आप अन्य माननीय सदस्यों की सूचनाओं को भी सुनने दें। मैंने आपका इतना अदब किया है, इतना सम्मान किया है, आधे घण्टे तक आपकी सूचना को मैंनें सुना है। माननीय हुकुम सिंह जी बोलना चाहते हैं, प्रमोद तिवारी जी महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहते हैं, इनकी सूचनाओं को भी सुनना जरूरी है। माननीय नेता प्रतिपक्ष आप से मेरा आग्रह है कि आप सदन को व्यवस्थित करायें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, हम भी आपसे उम्मीद करते थे कि जब तीन साल पुराने मुकदमें लिखे जा सकते हैं तो फिर अभी 23 तारीख का मुकदमा क्यों नहीं लिखा जा सकता है ? यह निर्देश तो आप भी दे सकते थे कि रिपोर्ट लिखी जाये, आप कोई एक दल के सदस्य नहीं हैं। दोनों बाते हैं, दोनों में आप निर्देश दे सकते थे। जब तीन साल पुराने मुकदमें लिख जा सकते हैं तो फिर हाल का मुकदमा क्यों नहीं लिखा जा सकता है ? अध्यक्ष महोदय, आप भी इसमें निर्देश दे सकते थे, आप केवल इतना निर्देश दे दें कि रिपोर्ट लिखी जावे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, आपकी बातें आ गई [illegible] आमंत्रित किया और सरकार ने भी कह दिया कि किसी के साथ अन्याय नहीं [illegible] की जायेगी, तो इसमें सभी कुछ तो आ गया, कोई [illegible] नहीं है। [illegible] कि कार्रवाही करेंगे तो सारी बातें उसमें आ गयी। सरकार ने कह दिया [illegible] लूँगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूँगा तो सरकार पूरी कार्यवाही करे[illegible]। किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूँगा जब यह वर्जन सरकार का आ गया तब तो पूरी बात आ गयी है इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आपकी सारी बातें आ गयी हैं और सरकार का उत्तर भी आ गया है, अब आप सदन को व्यवस्थित करायें। माननीय हुकुम सिंह और माननीय प्रमोद तिवारी जी बहुत महत्वपूर्ण

मामला उठाना चाहते हैं। बहुत गम्भीर मामले हैं जब आप दूसरे को अवसर नहीं देंगे तो गम्भीर मामले कैसे आ पायेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने जिस बिन्दु को उठाया है। सरकार ने एक आदेश जारी किया कि कोई भी व्यक्ति तीन साल पुरानी अपनी रिपोर्ट लिखा सकता है।

श्री अध्यक्ष-

उस जी0ओ0 से सभी को लाभ मिलेगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

नहीं श्रीमन् जब यह अधिकार है कि हम रिपोर्ट लिखायेंगे तो पुलिस को एफ0आई0आर0 लिखनी पड़ेगी। गलत है तो फाइनल रिपोर्ट लगा दे और अगर सही है तो कार्यवाही करें। इतना ही तो स्पष्ट करना चाहते हैं कि एफ0आई0आर0 दर्ज होनी चाहिये। तीन साल पुराने मामले जिनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी है, उनकी रिपोर्ट लिखी जायेगी तो मान्यवर, जब तीन साल पुरानी रिपोर्ट लिखी जा सकती है तो इस रिपोर्ट को भी लिखना पड़ेगा। यह निर्देश तो आप भी दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

जब सरकार ने जी0ओ0 जारी कर दिया कि सभी की रिपोर्टें लिखी जायेंगी तो उसी का पालन करने को सरकार ने कहा है। सरकार उसी को कह रही है कि कार्यवाही की जायेगी अन्याय नहीं होने दिया जायेगा। जब सरकार ने यह कह दिया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे तब फिर सारी बातें आ गयी है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, हम लोगों को आपका संरक्षण चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन संरक्षण सदन के लोगों को भी मिलना चाहिये। माननीय हुकुम सिंह और प्रमोद तिवारी के विषय भी महत्वपूर्ण हैं, वह भी अपने विषय को उठाना चाहते हैं, उनको भी सुन लें। संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे तो यह सरकार के पक्ष से आ गया तब तो कोई बात रह ही नहीं जाती है। नेता प्रतिपक्ष महोदय सरकार ने पूरी तरह से आश्वासन किया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूँगा। किसी के साथ अगर अन्याय होगा तो कार्यवाही करेंगे। पूरी बात आ गयी, सरकार ने कह दिया। अब और भी महत्वपूर्ण सूचनायें हैं, मा0 हुकुम सिंह जी और प्रमोद तिवारी जी भी अपनी सूचना पर कुछ कहना चाहते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ (वेल से)-

मान्यवर, मैं मानता हूँ कि न्याय होगा, तो मुकदमा कायम होना चाहिये। सरकार मुकदमा कायम करने का आदेश दे दे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, वेल से बोलने की नई परम्परा मत डालिये।

श्री मोहम्मद आजम खाँ (वेल से)-

वगैर रपट के न्याय होगा, अब हिन्दुस्तान में यह भी होगा।

श्री अध्यक्ष-

आजम खाँ साहब आप अपनी सीट पर जाकर बोलिये, आपका पूरा आदर है। आप वेल से बोल रहें हैं क्या यह औचित्यपूर्ण है ? आप वरिष्ठ सदस्य हैं, अगर आप लोग इस तरह का आचरण करेंगे तो नये माननीय सदस्यों पर क्या असर पड़ेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

आप देख चुके हैं। आज छापे डाले जा रहे हैं, पुरानी रिपोर्ट को बहाना बनाकर कि मुझे कलाँ समय धमकी दी थी, उस आधार पर मैनपुरी के अन्दर छापे मारे जा रहे हैं। रिपोर्ट अगर लिखा नहीं जायेगा तो किस आधार पर कार्यवाही होगी। रिपोर्ट लिखने में क्या हिचकिचाहट है। रिपोर्ट लिखिये भले ही उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दीजिये। इससे पहले भी सरकार की सदन के अन्दर जो जवाब माँगा गया उसको दिया गया, जिस माननीय सदस्य ने भी सुरक्षा माँगी उसे दी गयी।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, ददूदू प्रसाद जी ने सुरक्षा माँगी तुरन्त दी गयी थी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल, मा0 आजम खाँ साहब कि नियम 300 की सूचना की ग्राह्यता के जवाब पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं अन्याय नहीं होने दूँगा, कार्यवाही करूँगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जब यह वर्जन सरकार का आ गया तो पूरी बात स्पष्ट हो गयी है। उसी आधार पर नोटिस को अग्राह्य कर दिया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव-

**मान्यवर, इस सदन की पुरानी परम्परायें देखिये, यदि इस सदन के किसी सदस्य ने स्वयं अपनी बात रखी है तो उसको सच मानकर सरकार द्वारा निर्णय लिये गये हैं, कार्यवाही की गयी है। लेकिन आप इतना नहीं कह सकते कि रिपोर्ट लिखी जाये।**

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सदन की परम्पराओं को हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से सदन में बोलने से रोकने का प्रयास किया गया, यह भी देखा है कि धमकियाँ किस तरह से दी गयी हैं। बदले की भावना से कोई कार्यवाही यह सरकार नहीं करेगी और कानूनन जो भी जरूरी होगा यह सरकार करेगी।

श्री अध्यक्ष-

कानूनन कार्यवाही करने के लिये सरकार ने आश्वस्त कर दिया है। अब आप लोग अपने आसन पर चलिये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इनकी नोटिस देख लें। इसमें लिखा है कि मौलाना मो0 अली जौहर विश्वविद्यालय तथा ट्रस्ट के खिलाफ एवं मेरे . द्ध थाना अजीम नगर द्वारा मुकदमा कायम किया जाना। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय देश के करोड़ों लोगों की आशा का केन्द्र है। इस पर हमला कमजोरों पर हमला है। अतः सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा की माँग करता हूँ।

यह नियम-300 के अन्तर्गत स्वतः ही नहीं आता है। निश्चित तौर पर तमाम अवसर मिलेंगें इसे नियमों के तहत उठाने का। आज जो स्थिति है, पूरे सदन को हाईजैक करने की जो परिस्थितियाँ रही हैं, जो चाहत रही है, यह लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में सार्थक कदम नहीं है। हम लोकतंत्र की परम्पराओं के अनुसार सदन को चलाना चाहते हैं। हमने आपको पूरी गम्भीरता से सुना, टीका-टिप्पणी नहीं की। नियमों के अनुसार सदन चलेगा। आपसे पुनः अपील करना चाहूँगा, नेता प्रतिपक्ष से अपील करना चाहूँगा कि अध्यक्ष जी इतने दयालू होकर सहयोग कर रहे हैं तो आप भी उनकी भावनाओं का आदर करते हुये सदन चलाने में सहयोग करें।

(व्यवधान के मध्य)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

संसदीय कार्य मंत्री जी ने आरोप लगाया कि हम सदन ो हाइ ैक कर रहें हैं। श्रीमन् अगर हम अपने अधिकारों की मांग कर रहें हैं तो इसका मतलब कि हम सदन को हाइजैक कर रहें हैं। हम तो सदन को चलाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

इस मामले में सरकार की ओर से उत्तर आ गया है अब इसमें कुछ बचा नहीं है नियम 300 में आपने सूचना लगाई और अब कार्य स्थगन करके चर्चा की मांग कर रहे हैं। आप नोटिस में 23-9-07 तारीख दिखा रहें है तो अभी यह तारीख कहाँ आई है। जब यह तारीख ये तब बहस करके कार्यवाही की मांग करिये।

*ग्राम्य विकास मंत्री, (श्री दद्दू प्रसाद)-

अध्यक्ष जी, आजम साहब ने किसी भी घटना का उल्लेख नहीं किया है। जब घटना ही नहीं तो एफ0आई0आर0 किसकी ? घटना होगी तो उस पर संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है कि एफ0आई0आर0 दर्ज की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

अब तो सरकार की तरफ से बात आ गयी। एफ0आई0आर0 दर्ज करने के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास मंत्री श्री दद्दू प्रसाद ने कह दिया है। नेता प्रतिपक्ष अब आप वेल से अपने दल के सदस्यों को बुला लें।

श्री मो0 आजम खाँ-

हमारे साथी ने आदेश दिया है कि अगर हादसा हुआ है तो उसकी रिपोर्ट लिखी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

जब आप बात कर रहे हैं तब तो अपने आसन पर जायं।

श्री लालजी वर्मा-

मैंने यह कहा कि यह सरकार घटनाओं को छिपाने वाली सरकार नहीं है। हम कानून का पूरी तरह से सम्मान देते है। कानून के अनुसार किसी के साथ भेद भाव नहीं किया जायेगा। इस बात को मैंने पहले भी कहा था और इस बात को मैंने साबित भी किया है। हमारे लिये सत्ता पक्ष और विपक्ष मायने नहीं रखता है। सत्ता पक्ष का भी कोई अगर कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी और विपक्ष का भी अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

आजम साहब अब तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया कि न्याय होगा।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

न्याय होगा उसकी प्रक्रिया क्या होगी ? न्याय की प्रक्रिया क्या होगी। क्या कोई नया कानून बनेगा, क्या नया सी0आर0पी0सी0 बनाया जायेगा, नया प्रोसीजर कोर्ट बनाया जायेगा, क्या इस सरकार ने नया आई0पी0सी0 बनाया है ?

श्री अध्यक्ष-

वेल से आप क्यों बोल रहे हैं ? अपने आसन पर जायं। हमने आपको आदर देकर पहले बुलवाया जबकि हुकुम सिंह जी की और प्रमोद तिवारी की भी सूचना लगी थी वह भी महत्वपूर्ण थी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, हमने आपकी बात मान ली अब यह बता दें कि कब तक निर्णय कर देंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

इस पर आप चाहेंगे तो हम पूरा वक्तव्य देने के लिये भी तैयार हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

वक्तव्य कब तक दे देंगे ?

(घोर व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव-

शाम को देंगे, कल देंगे कब देंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

कल डिसीजन दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

कल दे देंगे।

श्री लालजी वर्मा-

हमारी सरकार ने तो जो हमारे सांसद थे जिसने कानून का उल्लंघन किया है। स्वयं उसको पकड़वाकर दिखाया है। यह किसी सरकार में दम नहीं है। यह इस बात का परिचय है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आप निर्देश दे दें कब देंगे।

श्री अध्यक्ष-

कल के लिये कह दिया गया है। कल वक्तव्य देंगे।

(फ्लोर पर आये हुये समाजवादी पार्टी के सभी सदस्यगण अपने अपने स्थान पर वापस चले गये)

**पूर्व विधायक श्री कृष्णानन्द राय के गृह जनपद गाजीपुर स्थित आवास पर एक साजिश के तहत बम विस्फोट किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न**

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय को प्रस्तुत करने का मुझे अवसर दिया। मान्यवर आपको स्मरण होगा कि विगत विधान सभा में हमारे मा0 सदस्य

---

आ[illegible]ा ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कृष्णानन्द राय जी, विधायक के रूप में वह थे उनकी निर्मम हत्या कर दी गयी थी और उस वक्त एक आन्दोलन का रूप सारे उत्तर प्रदेश में हो गया था क्योंकि उस हत्या के पीछे बहुत बड़े माफिया का हाथ था। बहुत बड़े अपराधियों का हाथ था और हमें यह आशंका थी कि स्थानीय पुलिस उसमें न्याय नहीं कर पायेगी। इसको लेकर के हमने सी0बी0आई0 जाँच की मांग की थी और सी0बी0आई0 के जाँच के पक्ष में हमारे राष्ट्रीय नेताओं तक ने धरना दिया लेकिन हम तात्कालिक सरकार को इसके लिये तैयार नहीं कर पाये और उन्होंने हमारी मांग को नहीं माना। तब हमें मजबूर होकर के उच्च न्यायालय में जाना पड़ा। उच्च न्यायालय ने तर्क सुनने के बाद सी0बी0आई0 की जाँच के आदेश दिये। सी0बी0आई0 की जाँच होने के पश्चात् जो बड़े-बड़े माफिया गिरफ्त में आने वाले थे जब यह प्रमाणित हो गया कि इतने बड़े-बड़े सबूत मिल गये हैं कि उनको सजा मिलने से कोई बचा नहीं पायेगा कल उन्होंने इतना बड़ा षडयंत्र किया कि विधायक जी के यहां जाकर उन्होंने बमबारी की। उसमें एक गनर की मृत्यु हो गयी। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है अपराध तो हो सकते हैं कभी भी हो सकते हैं। किसी भी सरकार में हो सकते हैं लेकिन अपराध होने के बाद में पुलिस का यह वर्जन आये और उसको प्रेस के सामने भी पेश किया जाये कि यह तो किसी विधायक की हत्या करने का षडयंत्र था। फलां जगह से विस्फोट मंगाया गया था। फलाँ जगह से व्यक्ति मंगाये गये थे जब पुलिस का ही यह वर्जन हो जायेगा उसके बाद हम स्थानीय पुलिस पर कैसे आश्वस्त हो जायेंगे। निश्चित रूप से स्थानीय पुलिस अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है और वह जाँच करने में कोई न कोई नई कहानी गढ़ कर लायेगी। विधायक जी अपनी जान से गये। विधायक के परिवार पर बम से हमले हो रहें हैं और पुलिस जैसे पहले थी उससे भी ज्यादा खराब परिवर्तन लेकर यहां आ रही है। हमारी मांग यह है मान्यवर, कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये। किसी को बचाने की बात नहीं मान्यवर, जनता के सामने सारी की सारी कहानी साफ होकर आनी चाहिये। इसलिये हम चाहते हैं कि वर्तमान सरकार, सी0बी0आई0 की जाँच कल की घटना के बारे में, जो गाजीपुर जिले में उनके घर पर हुई है उस घटना की जाँच की सरकार सी0बी0आई0 की सिफारिश कर दे। सी0बी0आई0 की जाँच हो जाये और जो अपराधी उसमें हैं उन अपराधियों के खिलाफ सी0बी0आई0 की जाँच नहीं होगी तो हमारे मन में इस बात का विश्वास नहीं हो पायेगा। हमें स्थानीय पुलिस पर न पहले विश्वास था न आज विश्वास हैं । दुर्भाग्य की बात यह है मान्यवर, सरकार के बदलते ही इस प्रकार से पुलिस सरकार की वाणी बोलने लगती है और सरकार उसका समर्थन करने लगती है। जैसे आपने कहा जाँच को न्याय मिलेगा, अपराध मुक्त हो जायेगा बड़े होर्डिंग तो लगे हैं इस बात के....

मान्यवर, अन्याय मुक्त और अपराध मुक्त समाज की बात कही जा रहीं है। हाँ, अपराधी भयमुक्त जरूर हो गये हैं, जहाँ चाहो बम फेंक दो। कोई भी प्राथमिकता सरकार की

कानून-व्यवस्था को सुधारने की नहीं है। अभी मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमने जेलों के सुधार के लिये छापे मरवाये, लेकिन जो अपराधी जेल से बाहर हैं उनको कैसे नियन्त्रित किया जायेगा ? आज पूरा पुलिस और प्रशासन पंगु होकर रह गया है। जिस तरह थाने से लेकर एसएसपी तक को यह नहीं मालूम है कि वह 2 घण्टे रहेंगे, 4 घण्टे रहेंगे या 6 घण्टे रहेंगे, उसे पता नहीं हैं ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कल जो घटना हुयी है, श्री कृष्णानन्द राय जी के घर पर, उस घटना की सी0बी0आई0 से जाँच कराई जाये और आज ही इसकी घोषणा होनी चाहिये।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, सी0बी0आई0 से जाँच कराने का औचित्य क्या है ? नम्बर-1, हमारा कहना है, हमारे दल का कहना है, उस परिवार का कहना है कि उस परिवार को मारने की साजिश के तहत् यह किया गया। मुकदमें में जो गवाह हैं, उनको डराने-धमकाने के लिये यह कार्यवाही की गयी है। लेकिन पुलिस ने इतनी जल्दी यह कह दिया कि एक विधायक को मारने के लिये यह कार्य किया गया है। 26 तारीख को 10 बजे दिन की यह घटना है, 27 को सदन है और 26 को जिस विधायक को आना है, वह आ जाये तो क्या दिन में कोई प्लानिंग होती है ? हो सकता है कि अपराधियों के साथ गनर तक मिला हुआ हो। हमारे एक साथी जो सत्ता के हमेशा सहयोगी रहते हैं, वह जानना चाहते हैं कि वह विधायक कौन है, उसका पर्दाफाश होना चाहिये। सीधे-सीधे वह भारतीय जानता पार्टी का नाम भी ले रहें हैं। हम तो किसी का नाम भी नहीं ले रहें हैं। अपराधियों द्वारा गवाहों को डराने के लिये यह कार्य किया गया है। इसमें पुलिस का वर्जन है कि विधायक की हत्या के लिये यह हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि वह विधायक कौन हैं जिनके लिये यह किया जा रहा था ? इसमें गनर तक अपराधियों के हाथ पहुँचे थे और आई0एस0आई0 तक का हाथ इसमें हो सकता है। अध्यक्ष जी, पुलिस का वर्जन इतना जल्दी आया है, यह विश्वसनीय नहीं हैं पुसिल सत्ता के नियन्त्रण में काम करने की आदी हो गयी है। जो तथ्य हैं, वह उजागर हों और यह कार्य केवल सी0बी0आई0 ही कर सकती है। कृष्णानन्द राय हत्याकाण्ड के पूरे प्रकरण की जाँच सी0बी0आई0 पहले से ही कर रहीं है इसलिये इस भाग की जांच भी सी0बी0आई0 को दे देनी चाहिये। मैं चाहता हूँ कि पहले सरकार इसके बारे में बता दे फिर मान्यवर, आप दूसरा विषय लें। पहले सी0बी0आई0 से जांच की बात [illegible] जायें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 प्रमोद तिवारी जी की भी इस विषय पर सूचना है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, पहले सरकार की बात आ जाये।

श्री अध्यक्ष-

आप मा0 प्रमोद तिवारी जी पर इतनी शंका न करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

हम शालीनता से अपनी बात कह रहें हैं इसलिये हमारी बात नहीं मानेंगे ? उनका अपना वर्जन है। हमारी सूचना पर पहले शासन का पक्ष तो आ जाये।

श्री अध्यक्ष-

जिस घटना का जिक्र आपने किया है, दोनों की उस पर सूचना है, वह दोनों आ जायें, उसके बाद सरकार का पक्ष आ जायेगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, शासन का पक्ष तो आ जाये।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, को भी सुन लें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, पहले शासन का पक्ष तो आ जाये। शासन का पक्ष पहले आना चाहिये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हमारे साथ अन्याय न करें। हमने तथ्य रखें हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, क्या आप यह चाहेंगे कि हम भी वेल में आयें ?

श्री अध्यक्ष-

आपसे यह उम्मीद नहीं है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

लेकिन हमें आपसे उम्मीद है। शासन का पक्ष तो पहले बतला दें कि शासन का पक्ष क्या है ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैंने कहा कि पहले इन्हें बोलने का मौका दे दीजिये। अगर मेरे बोलने से इनको इतना डर लग रहा है तो मुझे आपत्ति नहीं हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

पहले शासन का पक्ष तो आ जाये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

एक घटना के सन्दर्भ में आपको सुना है। श्री प्रमोद तिवारी जी का भी उसी घटना के क्रम में है। आप दोनों की नोटिसें सुन लें क्योंकि आप दोनों की सूचना उस घटनाक्रम में है। फिर आप दोनों की भावनाओं का आदर करते हुये सरकार अपना बयान देगी।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरी सूचना नियम 300 में थी, मुझे मौका मिलना चाहिये था लेकिन मैंने उन्हें मौका दिया।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, श्री कृष्णानन्द राय की हत्या की जांच हाई कोर्ट के निर्देश पर सी0बी0आई0 कर रहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं सी0बी0आई0 जाँच की बात का समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी की भी सूचना उसी क्रम में है। वह कह रहे हैं कि वह सी0बी0आई0 जांच का समर्थन कर रहें हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पहले हमें बोलने दें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हमारा आग्रह यह था कि जो बात हमने कही है उस पर सरकार का पक्ष आना चाहिये। श्री प्रमोद तिवारी जी का अपना स्टैण्ड होगा। राजनीतिक दल के रूप में अपनी पार्टी के विधायक की निर्मम हत्या के मामले में और उनके परिवार के ऊपर जो आतंक छाया हुआ है उस पर सरकार का पक्ष तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

श्री ओम प्रकाश सिंह जी और श्री हुकुम सिंह जी, जिस घटनाक्रम के सम्बन्ध में आपने जो भी विचार दिये हैं उससे सम्बन्धित ही माननीय तिवारी जी की भी नियम 300 में सूचना थी। उसे हमने क्लब कर दिया है। आपकी नियम-311 में सूचना थी।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, अगर शालीनता से व्यवहार कोई करे तो उसका सम्मान किया जाना चाहिये। कहीं ऐसा न हो कि वह कुछ करने के लिये बाध्य हो।

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी कह रहे है कि मैं भी सी0बी0आई0 की जाँच का समर्थन कर रहा हूँ। तो एक ही घटनाक्रम है इस पर उनको बोल लेने दें और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इन दोनों का जवाब एक साथ दे देंगे।

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

हमारे एक नये विधायक हैं उन्हें कहने में संकोच हो रहा है। उन्होंने मुझे बताया है कि उनकी बम से हत्या करने की साजिश की गयी तो उनको भी आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

पहले तिवारी जी को सुन लेते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमने भी नोटिस दिया था। मैं केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूँगा।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर आपके नेता बोल चुके हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

अगर दोबारा नेता बोलेंगे तो मेरे भी सदस्य बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय खन्ना साहब आप बैठ जायें, आपके नेता बोल चुके हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप बैठ जायें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि अंततः आपने मुझे सुनने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं सबसे पहले, मैं बहुत आदर करता हूँ, माननीय ओम प्रकाश सिंह जी का, जिन्होंने यह कहा कि आप अपने सांस्कृतिक धर्म का निर्वाह तो करेंगे ही। मैं अपने धर्म का निर्वाह करूं या न करूं लेकिन आप अपने भाई बहन वाले धर्म का निर्वाह तो करें। बहन के साथ जो गद्दारी करता है हमारे उधर उसे बहुत बुरी गाली दी जाती है।

श्री हुकुम सिंह-

भाई ने तो कर लिया है।

श्री प्रमोद तिवारी-

आप तो बहन हैं। तो मान्यवर, जो सी0बी0आई0 की मांग की गयी है उस मांग के साथ अपने को भी जोड़ना चाहता हूँ कि इस घटना की सी0बी0आई0 जाँच हो जाय, लेकिन मैं इस सम्बन्ध में कुछ तथ्य भी रखना चाहता हूँ। मान्यवर, कृष्णानन्द राय जी की बड़ी निर्मम हत्या हुई थी और सब लोग इससे दुखी थे। कल जब यह समाचार छपा कि विस्फोट हुआ, गोला बारी नहीं हुई, सबको चिन्ता हुई। मान्यवर, इस घटना में दो बातें उभर कर आयीं। बाहर की दीवार पर किसी तरह का कोई निशान नहीं है, खाली अंदरूनी दीवार पर है। इससे यह बात साफ हो गयी कि घर के अंदर से ही विस्फोट हुआ है। जो विस्फोट की जांच हुई है उसमें सल्फर और बारूद दो चीजें पायी गयीं। सल्फर और बारूद जब मिल जाये हैं तो यह बड़ा ही विनाशकारी होता है और यह ढाई गुना से ज्यादा प्रभावी हो जाती है। वह घर उड़ गया, उसकी छत उड़ गयी।

तो पहली बात, यह साजिश घर के अन्दर से रची गयी मान्यवर, मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह जरूर कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायिका अल्का राय जी का घर था और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद मनोज सिन्हा जी का घर था, इससे तो मेरे ख्याल से मेरे काबिल मित्र भी इन्कार नहीं करेंगे कि ये इन दोनों का घर था। वहां विस्फोट होता है मान्यवर, उसके बाद वहां एक आदमी पकड़ा जाता है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, वह रोहतास जिले बिहार का रहने वाला बाबू धन है। उसका नाम है बाबू धन, वह बिहार का भारतीय जनता पार्टी या आर0एस0एस0 का कार्यकर्ता नहीं है वह हिस्ट्रीशीटर है। उस पर कुल मिलाकर सिर्फ दो दर्जन मुकदमें चल रहें हैं और दो दर्जन जो मुकदमें चल रहें हैं उसमें बम बनाने का वह विशेषज्ञ है। जिस तरह डाक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं और कई तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं, उसी तरह से वह बम बनाने का स्पेशलिस्ट है। मैं जानना चाहता हूँ अपने मित्रों से कि बिहार का बम बनाने का विशेषज्ञ भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक के घर में क्या कर रहा था ? इस सवाल का जवाब चाहिये इस सदन को और इस सवाल का जवाब भी चाहिये इस सदन को मान्यवर कि बाबूधन जो रोहतास के ग्राम पुरवा का रहने वाला था उसने अपने बयान में कहा कि जो नन्द कुमार ठाकुर, जो सम्मानित विधायक ही हैं उनका गनर था वह और मनोज राय जो भतीजे हैं माननीय पूर्व विधायक जी के वह दोनों बिहार गये थे और उनको ससम्मान लाये थे और बम बनाने का प्रयास किया। मान्यवर, सरकमइस्टांसेस झूठ नहीं बोलते, साक्ष्य कभी झूठ बोल सकता है बोलने वाला लेकिन तारीखें झूठ नहीं बोला करती। यह सच है कि 27 तारीख को विधान सभा का सत्र है और यह भी सच है कि 26 तारीख को विधायकों को यहां आना था। मान्यवर विधायक की जान अगर इतनी सस्ती है कि उसके हत्यारों को बचाने की कोशिश की जा रहीं है तो यह एक साजिश है

और ऐसा करने वालों को सिर झुका कर पूरे सदन के सामने माफी माँगनी चाहिये, ललकार कर नहीं बोलना चाहिये।

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ और बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि एक विधायक मरते, कौन विधायक मरते मैं चाहता हूँ यह सरकार बताये, लेकिन उस विधायक को लाने वाले जो 15-20 सिपाही थे, उन्होंने क्या बिगाड़ा था ? वह 15-20 सिपाही मरते, उनकी बेटियां नहीं, उनके बेटे नहीं, उनकी पत्नियां नहीं है, उनकी अगर हत्या होती। मान्यवर, मैं तो ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ और उन्हें इस बात के लिये धन्यवाद देता हूँ कि जो कुछ हुआ बुरा हुआ और जो नहीं हुआ उससे बहुत सी जानें बच गयी हैं मान्यवर और इसीलिये मैं कहता हूँ कि इस घटना की सी0बी0आई0 जांच होनी चाहिये। क्या यह एक साजिश तो नहीं है ? मन्दिरों में विस्फोट करा कर, मस्जिदों में विस्फोट करा कर पूरे प्रदेश में एक साम्प्रदायिकता का माहौल फैलाने की उनकी कोशिश तो नहीं है ? जिन्हें जनता ने ठुकरा कर, निराश करके इनकी साम्प्रदायिकता को समाप्त कर दिया है। कहीं वह घर अड्डा तो नहीं बन गया था इस साम्प्रदायिकता का। क्या इसे हम बनारस के मन्दिरों के विस्फोट से जोड़ कर तो न देखें ? क्या अयोध्या में होने वाले विस्फोट से उसके तार तो नहीं जुड़े हुये हैं ? मैं तो कहूँगा उत्तर प्रदेश की पुलिस को इसमें हाथ नहीं लगाना चाहिये। इस पूरी घटना को सी0बी0आई0 को दे देना चाहिये और सारी वस्तुस्थिति जनता के सामने आनी चाहिये और यह पता लगना चाहिये कि एक राष्ट्रीय दल कितना गिर सकता है, साम्प्रदायिकता फैलाने की साजिश करते हुये मान्यवर मैं इसकी जांच की बात कर रहा हूँ। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मान्यवर, इसके साथ-साथ मैं एक बात बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहते हुये अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ मान्यवर, आवश्यकता इस बात की है कि सौहार्द का वातावरण बनाया जाय। विधायक किसी भी दल का हो मेरे ऊपर यह आरोप उठ सकता है कि मैं एक विधायक की जान का सवाल लेकर उठकर खड़ा हो गया। इतना याद रखियेगा पिछले 27 साल में मेरा जीवन साक्षी है मेरा इतिहास साक्षी है विधायक किसी भी दल का होगा अगर उसकी जान पर बात आयेगी तो दलों के बन्धन को तोड़कर मैं खड़ा होऊँगा और उसकी आवाज को उठाने का भरपूर प्रयास करूँगा और आपको भी दलों का बंधन तोड़ देना चाहिये आपको भी ऐसे आदमी को अपने दल से निकाल देना चाहिये, ऐसे भूतपूर्व सांसद और भूतपूर्व विधायक को निकाल कर के इसी सदन में बताना चाहिये था कि अगर उनके यहां विस्फोटक बरामद हुये हैं और उसमें सजिश थी तो हम उनको दल से निकालते हैं, आज यह कहना चाहिये था। आज यह नहीं कहना चाहिये था कि इसकी सी0बी0आई0 जाँच कराई जाय।

मान्यवर, दीवारों के अंदर फटा है। बाहर से गोलीबारी की बात कही जा रही है। जिस समय मान्यवर आपकी पीठ से इस पर निर्णय आयेगा उस समय उस विधायक की सूरत भी

आपके सामने होनी चाहिये। जान बची है ऊपर वाले की कृपा से। उन 15-20 सिपाहियों की सूरत भी आपके सामने होनी चाहिये। अपराधियों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। मैं और मेरा दल इस बात को यहां पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा है और मांग करता है कि इसकी सी0बी0आई0 से जांच होनी चाहिये।

श्री मुख्तार अंसारी-

मान्यवर, मेरी बात सुन ली जाये। जिस तरह इसमें हमले की साजिश रची गयी थी। आप हमें सुन लें फिर निर्णय लीजियेगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जिस तरह से माननीय प्रमोद जी ने तथ्य सामने रखे हैं, आप लीडिंग लॉयर हैं। अंदर की दीवारों पर दाग है। बम फेंका जायेगा तो दाग तो अंदर आयेंगे ही। आपने कहा कि गवाह झूठ बोल सकते हैं लेकिन परिस्थितियां झूठ नहीं बोल सकती है। सरकमस्टांसेस यही है कि एक अपराधी है उसकी हिस्ट्री शीट है। बम बनाने का माहिर है। कोई आकर बम फेंकेगा या किसी ने फिकवा दिया। जो आपने हम लोगों की ओर इशारा किया, हमारी पार्टी के सदस्य ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करते हैं। बिहार से कोई व्यक्ति आया और उसके बयान के आधार पर सारी कहानी गढ़ दी गयी। हमने सी0बी0आई0 की मांग इसलिये ही की है कि सारी घटना में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये और यह भी स्पष्ट हो जाय कि जो अपराधों पर रोकथाम का दावा इस सरकार का किस रूप से चल रहा है। यह भी स्पष्ट हो जायेगा कि सत्ता पक्ष में सही बात को रखने का कितना दम है और प्रमोद तिवारी जी ने जो आरोप लगाया है उसमें कितना दम है। यह सब बातें सामने आ जायें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं विधायकों को खतरा है जिन्होंने इसे बताया है। आप एक मिनट उन्हें सुन लीजिये।

*श्री मुख्तार अंसारी-

माननीय अध्यक्ष जी यह जो हमला हुआ है और जो बम फटा है इसके लिये आप जिस तरह से चाहें जांच करा लें। जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है इस प्रदेश में अराजकता और साम्प्रदायिकता का माहौल बनाने की, इस बिन्दु पर भी उसमें जांच करा ली जाये। कल जो हमला करने की योजना थी कि मुख्तार अंसारी की हत्या कर दी जाये, बल्कि यह भी थी कि इस प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगा कराके, इस प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। हमारी बहन जी मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि हमारी हुकूमत में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कानून का राज होगा। मैं समझता हूँ कि यह घटना उनको चुनौती है। यह उनका इल्जाम है कि पुलिस के लोग साजिश करके बदनाम करके फंसा रहे हैं। मान्यवर मैं आपसे मांग करता हूं कि पूर्ण घटना की जांच प्रदेश की एस0टी0एफ0 से करा ली जाये। उससे अच्छी एजेंसी और कोई नहीं है जो इसकी अच्छी जांच कर सकते हैं। उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। इस घटना को बहुत सोच समझ कर साजिश रची गयी। इसी 20 जून को हमारी दरख्वास्त थी। उस दरख्वास्त में अदालत में यह लिखकर के दिया गया था और उसमें उस सिपाही का नाम था जो बम के हमले में मरा है। इस घटना की पूरी प्लानिंग की गयी थी। [xxx]

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इस तरह से किसी का नाम लेना उचित नहीं है, यह बिल्कुल गलत बात है। यह इसी बात को कहने के लिये ही खड़े हुये थे।

श्री अध्यक्ष-

वह कार्यवाही से निकलवा दिया जायेगा।

श्री मुख्तार अंसारी-

जो भी अपराधी हैं उन पर कार्यवाही हो।

श्री अध्यक्ष-

मैंने उसको कार्यवाही से निकाल दिया है, आप बैठ जाइये। अब आपका नहीं लिखा जायेगा, आपकी पूरी बात आ गयी है, कोई चर्चा नहीं हो रही है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं दो बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री मुख्तार अंसारी-

मान्यवर, मैं आपसे यह मांग करता हूँ कि इसकी जांच एस0टी0एफ0 से करा लीजिये या इससे संतुष्ट न हो तो इसकी जांच सी0बी0आई0 से करा लीजिये। इसके लिये मैं तैयार हूँ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य जी, आप बैठ जाइये कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब आप बैठ जाइये, मैंने नेता प्रतिपक्ष जी का सम्मान किया

(श्री लाल जी वर्मा के बोलने के लिये खड़े होने पर)

माननीय ओम प्रकाश जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुन लें उसके बाद आप अपनी बात कहें, मैंने कार्यवाही से उसको निकाल दिया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगाये गये हैं उसको स्पष्ट करना जरूरी है। एक तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लिया गया है वह गलत है इसको कार्यवाही से निकाल दीजिये। यह बिल्कुल व्यक्तिगत आरोप है, सुनियोजित आरोप है।

श्री अध्यक्ष-

उसको निकलवा दिया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

भारतीय जनता पार्टी न तो कभी सम्प्रदायिक दंगा कराने में विश्वास रखती है, न कराती है, न कराई है न करायेगी।

(श्री मुख्तार अंसारी द्वारा बोलने का प्रयास करते रहने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें आपकी पूरी बात आ गयी है। माननीय सदस्य जी बैठ जायं, आप बैठ जायं कोई चर्चा नहीं हो रही है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, तीसरी बात यह है कि माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा इनको कहना चाहिये था माननीय विधायक की हत्या कराने की साजिश में इनके सदस्य हैं। मैं इस सदन में यह घोषणा करना चाहता हूँ कि अगर सी0बी0आई0 जांच में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का संलग्न व्यक्ति पाया गया किसी की हत्या कराने में या विस्फोट कराने में तो वह भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहने पायेगा, इस बात की मैं घोषणा करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, दिनांक 26-6-2007 सुबह लगभग 9.40 बजे थाना कोतवाली अन्तर्गत सिंचाई तिराहे के पास स्थित पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानन्द राय के मकान में एक विस्फोट हुआ जिसमें उक्त मकान की ऊपरी मंजिल की छत क्षतिग्रस्त हो गयी। सूचना पर स्थानीय पुलिस अधीक्षक सहयोगी अधिकारियों के साथ मौके पर पहुँचे तथा राहत कार्य प्रारम्भ कराया। मौके पर वहाँ पर एक बाहरी आदमी नाम बाबू धन पुत्र राजमेश चौधरी, निवासी चकपुरवा, थाना संधौली, जिला रोहतास, बिहार तथा श्री मनोज राज भतीजे स्व0 कृष्णानन्द राय मौजूद मिले जबकि 2-3 आदमी पुलिस के पहुँचाने से पहले भाग गये। पूछताछ में उक्त बाबू धन ने बताया कि मुझे कांस्टेबिल नन्द लाल ठाकुर गनर श्रीमती अलका राय बक्सर से 4 दिन पहले यह कहकर लाये थे कि गाजीपुर में एक विधायक की गाड़ी को विस्फोट से उड़ाना है सारा सामान

घर पहुँच गया है और पूर्ण व्यवस्था हो गयी है। यहाँ आने पर जिस मकान में विस्फोट हुआ मैं उसी मकान में उसी कमरे में रह रहा था जिसमें बक्से में सभी विस्फोटक सामान रखा था। सारी योजना मनोज राय के साथ कांस्टेबिल नन्द कुमार ठाकुर के साथ बनी। अभी काम 4-5 दिन बाद करना था और 2-3 आदमी बिहार से और आने हैं। ऐसा मनोज राय ने बताया। सामान विस्फोटक के पास कांस्टेबिल नन्द कुमार ठाकुर था। तभी लगभग 9.40 बजे रखे हुये सामान में भयंकर विस्फोट हुआ जिसमें छत गिरने से मौके पर ही नन्द कुमार मर गया। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस द्वारा अपराध संख्या-1050/07 अन्तर्गत धारा-3/4/5 विस्फोटक अधिनियम एवं 304/286/427 आई0पी0सी0 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। इस अभियोग में उपरोक्त बाबूधन एवं मनोज राय की गिरफ्तारी की गयी है। इसी घटना के सम्बन्ध में मनोज राय ने भी एक तहरीर स्थानीय थाने पर दी, जिसके आधार पर अपराध संख्या-1051/07 अन्तर्गत धारा 302/120 बी आई0पी0सी0 पंजीकृत किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सांसद श्री अफजाल अंसारी, विधायक मुख्तार अंसारी एवं उनके साथियों द्वारा मनोज राय को मारने की नीयत से बम फेंककर यह घटना की गयी क्योंकि मनोज राय स्व0 कृष्णानन्द राय केस में गवाह हैं। जो विस्फोटक मिला, उसका परीक्षण बम डिस्पोजल स्क्वायड द्वारा किया गया और उन्होंने सूचित किया कि इस घटना में प्रयोग किया गया विस्फोटक लो-एक्सप्लोजिव है तथा हाई सेंसिटिविटी का है। घटना स्थल पर निरीक्षण के लिये जिलाधिकारी गये, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी गये, पुलिस महानिरीक्षक, वाराणसी जोन भी मौके पर पहुँचे और घटना की गंभीरता को देखते हुये, स्वंय डी0जी0पी0 ने भी मौके का निरीक्षण किया। मान्यवर, इसलिये इस मामले में किसी भी तरह से सी0बी0आई0 जाँच की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से जो उचित कार्यवाही है वह पुलिस कर रही है और उसकी विवेचना की जा रही है साथ ही साथ मैजेस्टीरियल इन्क्वायरी के लिये भी दिया जा रहा है, इस लिये सी0बी0आई0 जाँच की आवश्यकता नहीं है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, जो आपने घटना बताई है वह तो अखबारों में भी आ गया है और इसमें कई एंगिल से संदेह है। सभी दलों ने कहा, किसी ने यह नहीं कहा कि कौन विधायक की हत्या की बात है यह संदिग्ध स्थिति है। शासन पर्दा डालना चाहता है और एक कहानी को अपने अनुसार मोड़ देना चाहता है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सी0बी0आई0 की जाँच, काँग्रेस की माँग और मेरी माँग के बावजूद भी नहीं कराई है, इसके विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं।

(श्री ओम प्रकाश सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यगण सदन का त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष-

नियम-300 के अन्तर्गत श्री प्रमोद तिवारी जी, श्री ओम प्रकाश सिंह जी, श्री हुकुम सिंह जी को सुना तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह नियम-300 की सूचना निरस्त की जाती है।

श्री मुख्तार अंसारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है जबकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो पढ़ा है उसमें मेरा नाम आया है मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप मेरे विधायक होने के नाते मेरे संरक्षक हैं, मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि जब मैं जेल से निकल रहा था, यह घटना घट चुकी थी मैं लिखकर अपने वकील को अपनी एक तहरीर देकर आया हूँ, जिस तरह से उनकी तहरीर पर हमारे खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी है, हमारे और हमारे बड़े भाई के ऊपर, मैं जो तहरीर देकर आया हूँ, मेरा वकील थाने पर जा रहा है और उसकी तहरीर नहीं लिखी जा रही है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी भी तहरीर ले ली जाये और मेरी भी एफ0आई0आर0 नोट कर ली जाये और इसकी जाँच आप जिससे भी चाहे, करा लें खुद पुलिस से करा लें, एस0टी0एफ0 से करा लें, चाहे सी0बी0आई0 से करा लें। यह भाजपा के लोग जो चले गये हैं, मैं इनको चुनौती देता हूँ यह कह रहे हैं कि भाजपा पार्टी से उनको निकाल देगें। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि अगर इस हमले में, इस हत्याकांड में सुई की नोक के बराबर भी मुख्तार अंसारी का हाथ शामिल होगा तो मैं विधान सभा से इस्तीफा देकर चला जाऊँगा सदन से। मैं आपसे साफ-साफ यह बता रहा हूँ, बहुत हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि मैं जो तहरीर वहां देकर आया हूँ, गाजीपुर कोतवाली में मेरी रखी गयी है, मेरी उस तहरीर से मेरी भी एफ0आई0आर0 कर ली जाय, जिस तरह से उनकी एफ0आई0आर0 की गयी है। तभी मैं समझूँगा कि हमारे साथ इसांफ हुआ है और तब आप जाँच कर लें जिसकी बात सच साबित हो, आप कानूनी कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष-

यह आपका व्यक्तिगत था, इसलिये आपको सुना गया। माननीय प्रमोद तिवारी, माननीय हुकुम सिंह और माननीय ओम प्रकाश जी को और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को मैंने सुना और मैं इस नियम-300 की सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

**उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को रुपये 500/- मासिक भत्ता एवं कन्याओं को शिक्षा हेतु रुपये 20000/- बजट में स्वीकृत होने के बावजूद वर्तमान सरकार द्वारा उक्त दोनों योजनायें समाप्त कर शासनादेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न**

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, इस औचित्य के माध्यम से मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस सदन में उठाना चाहता हूँ। मान्यवर, एक समस्या पैदा हो गयी है कि यह सदन बड़ा है या कार्यपालिका बड़ी है। श्रीमन्

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस सदन का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के अन्तर्गत हुआ और संविधान के अनुच्छेद 202 में सदन को वित्तीय अधिकार दिये गये है। उस अधिकार में बजट जो प्रस्तुत होता है उसमें सरकार की नीतियाँ स्पष्ट होती हैं और जो नीति सदन पास कर देता है उसके लिये धन आवंटित हो जाता है और अगर मान्यवर, नीति में बदलाव करना है तो उसे भी सदन के माध्यम से ही किया जा सकता है, यह कार्य कार्यपालिका के माध्यम से नहीं हो सकता है। नियमावली जो संविधान के अनुसार बनी है नियमावली के नियम-183 में जो आय-व्यय का अधिकार है और हम बजट पेश करते है। बहस 187 में करते हैं तथा 188 में मतदान होता है। पिछली सरकार ने 31 जुलाई तक का जो बजट पास किया उसमें बेरोजगारों को पाँच सौ रुपया मासिक बेरोजगारी भत्ता तथा लड़कियों को शिक्षा के लिये 20 हजार रुपये एकमुश्त साल में देने की सरकार की नीति पर सदन में चर्चा करायी गयी, मतदान हुआ, बजट स्वीकृत हुआ और मान्यवर, सरकार के बदलते ही एक शासनादेश के माध्यम से आदेश जारी कर दिया गया कि बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जायेगा, लड़कियों को बीस हजार रुपये नहीं दिया जायेगा। मान्यवर, प्रश्न इस बात का है कि जब इस सदन से 31 जुलाई तक एक बजट पास है, उसके लिये धन आवंटित हो चुका है तो क्या कार्यपालिका केवल एक शासनादेश के माध्यम से जो सदन ने निर्णय लिया उस निर्णय को बदल सकती है। मान्यवर, अगर यह हो गया तो फिर सदन का औचित्य क्या रह जायेगा ? सरकार जो बजट ला रही है उसमें अपनी नीति को स्पष्ट करेगी, विभागीय बजट पर माँग होगी, हम लोग अपना तर्क रखेंगे, गलत नीतियों की आलोचना करेंगे, समर्थन होगा और बजट पास हो जायेगा तो अब कार्यपालिका का काम है उसे लागू करना। मान्यवर, कार्यपालिका सरकार द्वारा लिये गये निर्णय को बदल नहीं सकती है। माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, सदन की अधिसूचना जारी हो चुकी है, नीतिगत घोषणायें सदन के बाहर हो रही है आज ही मैं अखबार पढ़ रहा था आज ही अखबार में निकला है कि माध्यमिक शिक्षामंत्री जी ने बयान दिया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, अपनी सूचना पर बोलें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, जो परम्परा पड़ती जा रही है इससे सदन का महत्व घटेगा, जब बजट सदन में पास हो गया तो उस नीतिगत निर्णय को अगर बदलना है तो उसे सदन में बदलने का निर्णय लें, सदन को उसके कारणों से अवगत करायें कि क्यों बदलना चाहते हैं क्या विकल्प है उसका बिना सदन को अवगत कराये जिस तरह से शासनादेश के माध्यम से निर्णय बदल दिया गया वह सीधे-सीधे सदन की अवमानना है। अगर कार्यपालिका को यह अधिकार दे दिया गया कि सदन से सर्वोच्च कार्यपालिका है तो लोकतंत्र जिन्दा नहीं रह पायेगा। मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से चाहता हूँ कि वह स्पष्ट करें कि इस तरह के आदेश सदन के बाहर कार्यपालिका द्वारा नहीं किये जा सकते हैं। यह सदन का अपमान है, सदन की अवमानना है, इसलिये मैं चाहता हूँ कि

संसदीय कार्य मंत्री इस पर स्पष्ट जवाब दें। लोकतंत्र सेनानियों वाला भी आपने खत्म किया है उस पर भी बतायें। इस तरह के आदेश सदन के बाहर कार्यपालिका द्वारा नहीं किये जा सकते यह सदन का अपमान है इसलिये मैं चाहता हूँ कि सरकार स्थिति स्पष्ट करें और महत्वपूर्ण निर्णय ले।

संसदीय कार्य मंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता, जो औचित्य के प्रश्न की परिभाषा है उसमें दिया गया है कि औचित्य का प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और इसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।

(श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मान्यवर, आप बीच में न बोलें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, दूसरा औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा तो मान्यवर, जो तत्काल सदन के संज्ञान में कोई बिन्दु आता है जो संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन है, ऐसा कोई विषय आता है तो निश्चित रूप से उस पर औचित्य का प्रश्न उठाया जा सकता है। मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न नहीं है।

जहाँ तक मान्यवर, सरकार की प्राथमिकता है हर सामान्य निर्वाचन में हर राजनीतिक पार्टी अपना एक घोषणा पत्र जारी करती है, अपने विचार प्रदर्शित करती है। हम वहीं काम कर रहे हैं जो चुनाव के पहले ही एलान किया था और जगह-जगह कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता नहीं देगें बल्कि रोजगार देंगे। हमने इस बात का ऐलान किया था और उसके आधार पर जनता ने समर्थन दिया तो निश्चित रूप से उसका अनुपालन का कार्य किया जाना उचित होगा। जहाँ तक बजट का सवाल है तो अभी 29 जून, 2007 को सदन में प्रस्तुत होगा जिसमें पूरे वित्तीय वर्ष की सारी चीजें रखी जायेंगी और उस बजट के माध्यम से ही जो खर्चा है प्रदेश के विकास के लिये उसको विधान सभा से पास होने के उपरांत ही किया जायेगा। कोई भी असंवैधानिक कार्य इसके माध्यम से नहीं किया है इसलिये यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। अतः मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

संसदीय कार्य मंत्री जी ने नियम-300 को पढ़ा। मैं भी उसे पढ़ रहा हूँ 'औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन

या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।'

जब सदन में पास हुआ तो तत्कालीन अध्यक्ष पीठ पर बैठे थे, यह उनके संज्ञान में हुआ। मैंने तो संविधान के अनुच्छेद और नियमावली के नियम दोनों को अंकित किया है। मैंने कहा है कि जब इस सदन में नियमावली के नियम 187 के तहत बजट पर चर्चा हुई। तत्कालीन सरकार ने बजट रखा था, घोषणा को सदन में रखा था। अगर इसको बदलना था तो बजट में ले आते, सदन के माध्यम से इसको समाप्त करते। लेकिन कार्यपालिका के आदेश से इसको समाप्त किया जाय यह उचित नहीं है। इसलिये यह औचित्य का प्रश्न बनता है।

श्री अध्यक्ष-

वर्ष 2007-2008 का बजट 29-06-2007 को रखा जायेगा। अभी तो 4 माह का लेखानुदान पास हुआ है। मैंने इस औचित्य के प्रश्न पर श्री नरेश अग्रवाल और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। प्रश्नगत मामला नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः इसे अग्राह्य करता हूँ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न तो बनता है।

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल साहब, आसन ग्रहण करिये, अब इस पर निर्णय हो गया।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, एक सूचना रखना चाहता हूँ उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

पहले एजेण्डा का मद लेने दीजिये।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-1 सन् 2007)

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-1 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

## उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2007)

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

## किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-3 सन् 2007)

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-3 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

## उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-4 सन् 2007)

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-4 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

## उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-5 सन् 2007)

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-5 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

## उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6 सन् 2007)

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

**उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-7 सन् 2007)**

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-7 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

**उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-8 सन् 2007)**

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-8 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

**उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-9 सन् 2007)**

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-9 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

**उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-10 सन् 2007)**

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-10 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

**उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण मान्यता और विनियमन) (निरसन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-11 सन् 2007)**

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण मान्यता और विनियमन) (निरसन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-11 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

**उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-12 सन् 2007)**

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-12 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

**उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-13 सन् 2007)**

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-13 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

**उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-14 सन् 2007)**

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-14 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

**उत्तर प्रदेश उच्चत्तर सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-15 सन् 2007)**

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-15 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

**उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-16 सन् 2007)**

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-16 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

**उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-17 सन् 2007)**

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री [illegible] वर्मा)-

**मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से [illegible]श अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-17 सन् 2007) को सदन के पटल पर रखता हूँ।**

**श्री राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल महोदय का उत्तर।**

श्री अध्यक्ष-

दिनांक 21 मई, 2007 को विधान सभा मण्डल के एक साथ समवेत् दानों सदनों के समक्ष राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुये उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय के उत्तर को मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 19 (8) के अन्तर्गत पढ़कर सुनाता हूँ।

आदरणीय श्री राजभर, आपके अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-352/अ वि0 स0/2007 दिनांक 15 जून, 2007 के लिये मैं अत्यन्त आभारी हूँ।

इस हेतु मैं आपको तथा आपके माध्यम से विधान सभा के माननीय सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-21 व मद संख्या-22 में कुछ नहीं है।

**कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव**

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 22 जून, 2007 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 27 जून से 27 जुलाई, 2007 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं:-

1-दिनांक 27 जून, 2007 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें ली जायें।

2-दिनांक 27 जून, 2007 को असरकारी दिवस न हो।

3-दिनांक 29 जून, 2007 को प्रश्नकाल न हो।

4-दिनांक 27 जून, 2007 से दिनांक 27 जुलाई, 2007 तक का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

<u>जून, 2007</u>

| | |
|---|---|
| 27 बुधवार | 1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना।<br>2-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापना आदि, यदि कोई हो। |
| 28 गुरुवार | विधायी कार्य। |

29 शुक्रवार 1-11.00 बजे पूर्वाह्न

(1) वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण।

(2) वित्तीय वर्ष 2007-2008 के एक भाग के लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण।

2-विधायी कार्य।

3-वित्तीय वर्ष 2007-2008 के एक भाग के लिये लेखानुदान के प्रस्ताव पर विचार, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

30 शनिवार
जुलाई, 2007
01 रविवार
} बैठक नहीं होगी।

02 सोमवार
03 मंगलवार
04 बुधवार
} विधायी कार्य।
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक पर [illegible] चर्चा।

05 गुरुवार

06 शुक्रवार

07 शनिवार
08 रविवार
09 सोमवार
} बैठक नहीं होगी।

1-वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-विधायी कार्य।

10 मंगलवार
11 बुधवार
12 गुरुवार
} वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

13 शुक्रवार 1-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

2-विधायी कार्य (आधा दिन)।

14 शनिवार
15 रविवार
} बैठक नहीं होगी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | |
|---|---|
| 16 सोमवार<br>17 मंगलवार<br>18 बुधवार | वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। |
| 19 गुरुवार | |
| 20 शुक्रवार | 1-असरकारी दिवस (आधा दिन)।<br>2-विधायी कार्य (आधा दिन)। |
| 21 शनिवार<br>22 रविवार | बैठक नहीं होगी। |
| 23 सोमवार<br>24 मंगलवार<br>25 बुधवार | वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। |
| 26 गुरुवार | |
| 27 शुक्रवार | 1-वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।<br>2-3.00 बजे अपराह्न<br>उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2007 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण। |

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

**मद संख्या-24 में कुछ नहीं है।**

उत्तर प्रदेश विधान सभा

भारत की मूल निवासी अन्तरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को बधाई संदेश भेजे जाने का सुझाव

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, दो मिनट मेरी बात सुन लें। एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ भारत की मूलतः निवासी सुनीता विलियम्स जिनका यू0एस0ए0 में निवास हो गया है लेकिन वह भारतवर्ष की रहने वाली है। उन्होंने एक इतिहास रचा है, वह छः महीने से ज्यादा अंतरिक्ष में रहकर आई हैं। वह भारतवर्ष की रहने वाली हैं मेरा आपसे आग्रह है कि एक बधाई संदेश उत्तर प्रदेश विधान सभा के द्वारा लाकर उनको बधाई दी जाए।

श्री अध्यक्ष-

नियमों में दे दें।

श्री उदयभान करवरिया-

मैं एक प्रस्ताव लाना चाहता हूँ।

श्री प्रमोद तिवारी-

नियम 110 के अन्तर्गत नेता विरोधी दल और नेता सदन से बात करके इसे रख लें। यह सुझाव अच्छा है।

श्री उदयभान करवरिया-

निर्णय के लिये संदर्भित कर दें।

**महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आश्रमों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिये नियंत्रण बोर्ड में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव**

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आश्रमों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिये नियंत्रण बोर्ड में कार्य करने के लिये अनाथालय एवं अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 की धारा-5 के उपधारा (2) (क) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आश्रमों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिये नियंत्रण बोर्ड में कार्य करने के लिये अनाथालय एवं अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 की धारा-5 के उपधारा (2) (क) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

## उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक 2007†

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूँ।

## उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007††

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इन्होंने अनुज्ञा मांगी है और अनुज्ञा दी गयी, लेकिन इतनी परम्परा तो है कि एक दिन का गैप तो होना चाहिये। साथ-साथ सारा काम हो जाये, इसका कारण क्या है ? कोई कारण तो हो। पहले भी ऐसा हुआ है लेकिन उसका कोई कारण तो हो। एक तरफ तो 27 जुलाई तक का कार्यक्रम पेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक्सप्रेस ट्रेन की तरह रोकना ही नहीं चाहते। आप के इरादे साफ नहीं हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हुकुम सिंह जी भाजपा के उप नेता है। निश्चित रूप से इनको यह बात पता होगी, हम पुरःस्थापति कर रहें हैं, आज पास नहीं करा रहे हैं।

---

† दिनांक 20-7-2007 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

†† दिनांक 20-7-2007 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूँ।

**उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007†**

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूँ।

**कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें**

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 27 जून, 2007 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 07 सूचनायें प्राप्त हुई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्री अजय कपूर, श्री राम सेवक, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री संजीव दरियाबादी, श्री माधो पासवान, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री पंकज मलिक, श्री प्रदीप जैन आदित्य और श्री अनूप सण्डा की दिनांक 25 जून, 2007 को जिला कारागार सुल्तानपुर में घटी घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

दूसरी सूचना डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल की-गोरखपुर महानगर के गोलघर बाजार में हुये बम विस्फोटों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

तीसरी सूचना श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल की-प्रदेश में माध्यमिक व उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

चौथी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की -वाराणसी महानगर में विशेष रूप से लोहता क्षेत्र में डायरिया फैलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

पांचवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद कन्नौज के छिबरामऊ स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया के कर्मचारी की हत्या के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। निम्नलिखित माननीय सदस्य की सूचना अस्वीकृत हुई:-

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं सदन में अत्यन्त गम्भीर प्रकरण की ओर आपके माध्यम से शासन और सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर, 25 जून, 2007 को जिला जेल, सुल्तानपुर में जिस तरह की घटना घटित हुई है वह अपने आपमें इस बात का प्रमाण है कि जेल मैनुअल का उल्लंघन खुलेआम कई वर्षों से हो रहा है। घटना कितनी गम्भीर थी इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लगभग 4-5 घण्टे तक जिला जेल पर अपराधियों का कब्जा रहा। उसमें 2 पुलिसकर्मी इस मुठभेड़ में मारे गये। मान्यवर, मुठभेड़ इसलिये कह रहा हूँ क्योंकि अपराधियों और जेल बंदी रक्षकों के बीच संघर्ष हुआ। इसमें एक जानकारी के अनुसार 3-4 लोगों ने अपनी जान दी है। कुल मिलाकर 5 या 6 लोगों का मारा जाना अपने आपमें दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता की बात है। मान्यवर, 25 जून, 2007 को जब यह जानकारी प्राप्त हुई कि अपराधियों ने कुछ मोबाइल छिपा रखे हैं तो जब वहाँ पर श्री आर0के0 मिश्रा, कारागार अधीक्षक गये तो उनके बीच कुछ कहासुनी हुई। यह अकेले सुल्तानपुर की घटना नहीं है बल्कि हमें पूरे प्रदेश के बारे में विचार करना होगा। जेल में दो तरह के कैदी होते हैं एक वह जो साधारण कैदी की तरह रहते हैं, आम नागरिक की तरह रहते हैं और वहां पर कैदियों का दूसरा वर्ग ऐसा होता है जो वहाँ पर अपनी दादागीरी से वहाँ पर रहकर अपहरण कराते हैं, अपराध कराते हैं और वहाँ पर उनका एक समानान्तर माफिया संगठन चलता है। यह एक जेल नहीं बल्कि कई जेलों की बात है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जनपद प्रतापगढ़ में जेल में जब वहाँ पर एक बाहुबली शोभा बढ़ा रहे थे तो वहाँ पर काव्य सम्मेलन और मुशायरा होता था और वहाँ पर दरबार लगता था और राजनीतिक विरोधियों को बुलाकर उन्हें धमकाया जाता था और मान्यवर, आज से एक साल पहले एक व्यक्ति ज्ञानेन्द्र सिंह को उल्टा लटकाकर मारा गया था, मान्यवर, एक घटना यह हुई थी कि स्कूल की लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कारी जेल मे रहने वाला कैदी था। मान्यवर, जेल के अंदर की स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। मान्यवर, इस प्रकरण को उठाने का आशय यह है कि जो साधारण कैदी है उनकी भी इस तरह के माफियाओं से रक्षा की जाये। यह माफिया कैदी उनका शोषण करते हैं, उनसे गुण्डा टैक्स वसूलते हैं, उन्हें उनके परिवार वालों से मिलने नहीं देते हैं। जबकि इस माफिया कैदियों के पास दवायें, वीडियो, टेलीफोन, हथियार भी मिल जायेगें। मान्यवर, इसी सुल्तानपुर जेल में एक कैदी रिवाल्वर से मारा गया था तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे वह हथियार वहाँ तक पहुंचा। मेरा कहना है कि वहाँ पर ऐसे अपराधियों को चिन्हित

किया जाये जो वहाँ पर रहकर माफियागीरी करते हैं। मान्यवर, सुल्तानपुर में पहले कैदियों की संख्या 432 थी अब बढ़कर 1000 हो गयी है। मान्यवर, अगर उन्हें खाना भी न मिले तो यह चिंता की बात है। मैं घटना की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। सामान्यतया एक कैदी पर भोजन में 15/- रुपया खर्च होता है, यह आंकड़े हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सुन लें। जेल मैनुअल के मुताबिक एक कैदी पर पन्द्रह रुपये खर्च होता है जबकि इसके बगल में जो चिड़िया घर है उसमें एक बंदर पर 15/- रुपया खर्च होता है यानि कैदी से ज्यादा चिड़िया घर के जानवरों पर ज्यादा खर्च हो रहा है। मैं यह रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह चिन्ता का विषय है और यहीं असंतोष का कारण बनता है, इस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिये। इसमें कोई दो राय नहीं है, आज स्थिति यह हो गयी है कि जो 62 जेल हैं, चाहे वह सेन्ट्रल जेल हो, आदर्श कारागार हो या अन्य जेल हो सबमें कैदी की संख्या क्षमता से ज्यादा है। चिकित्सा में एक साधारण कैदी पर 90 पैसा खर्च हो रहा है। मान्यवर, भदोही जेल में एक इलाहाबाद का कैदी मिल गया तो कुल मिलाकर यह सब देखना पड़ेगा। जेल में अपराधी स्वतंत्र है, वह अपना राज चला रहें हैं। वहाँ पर जंगल राज समाप्त होना चाहिये और इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये, इस तरह के अपराधियों को अलग रखा जाना चाहिये। इनके साथ किसी भी तरह की नम्रता नहीं बरती जानी चाहिये। यह लोक महत्व का प्रश्न है। चूंकि दो तीन दिन पहले यह घटना हुई हैं इसलिये अविलम्बनीय है और इसमें 6 लोगों की जाने गयी हैं इसलिये यह लोक महत्व का प्रश्न है इसलिये मैं चाहता हूँ कि इसमें सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इस घटना के महत्व को देखते हुये और प्रदेश में जेलों में जिस तरह से अव्यवस्था थी उसके सुधार के लिये स्वयं सरकार चिन्तित है और इसका परिचायक है कि माननीय नेता सदन ने स्वयं सुल्तानपुर की घटना को प्राथमिकता देते हुये प्रातः एक वक्तव्य देने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि माननीय नेता सदन के वक्तव्य के उपरान्त यह कार्य स्थगन के रूप में स्वीकार करने योग्य नहीं रह गया, अतः इसे अग्राह्य किया जाय। नेता सदन ने जिस मजबूती के साथ कहा है उससे और बोलने की आवश्यकता नहीं रह जाती है अतः आपसे अनुरोध है कि इसे अग्राह्य किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर मैंने माननीय तिवारी जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

श्री अनुप सन्डा-मान्यवर, मैं भी उसी क्षेत्र से विधायक हूँ जहाँ पर यह घटना हुई है। हमें भी दो मिनट का समय दिया जाय।

## विधान सभा का सदस्य न होने पर मुख्य मंत्री को नेता सदन का सम्बोधन किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर देते हुये यह कहा कि नेता सदन ने वक्तव्य दिया, तो नेता सदन कौन होता है ? नेता सदन वह होता है जो सदन का सदस्य हो। मुख्य मंत्री तो वह हो सकती है लेकिन नेता सदन नहीं हो सकती हैं। जब तक वह सदस्य नहीं बनेंगी तब तक वह नेता सदन नहीं हो सकती। मनमोहन सिंह जी भी नेता सदन नहीं है वह प्रधान मंत्री है। विदेश मंत्री जी वहाँ पर नेता सदन हैं।

यहाँ पर मान्यवर, जब तक वह सदस्य नहीं हो जायेंगी, नेता सदन यहाँ कोई होना चाहिये, उसका अभाव है। व्यवस्था का प्रश्न मेरा यह है कि इस सदन में आज कोई नेता सदन है ही नहीं। कोई भी विधान सभा का सदस्य नेता सदन हो सकता है। पहली बार हम देख रहें है कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष तो है लेकिन नेता सदन नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आज तो है, नेता सदन।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, इस व्यवस्था के प्रश्न पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मान्यवर, यह जो व्यवस्था का प्रश्न है यह चार बार इस सदन में पहले भी उठ चुका है। सबसे पहले जब त्रिभुवन नारायण सिंह जी मुख्य मंत्री बनकर उत्तर प्रदेश में आये तो वह राज्यसभा के सदस्य थे और उस पीठ पर ए0 जी0 खेर साहब बैठते थे और आपत्ति उठाने वाले, आपत्ति कर्ता श्री नारायणदत्त तिवारी जी थे जो नेता विरोधी दल के रूप में बैठते थे। उस समय ए0 जी0 खेर साहब ने यह फैसला दिया है कि कोई भी व्यक्ति या नेता जो सामान्यतः सरकार के कामकाज की ज्यादा जानकारी रखता हो वह नेता सदन हो सकता है। दूसरी बार यह प्रकरण मान्यवर, तब उठा है जब हुकुम सिंह जी भूल गये शायद तब वह लोकदल में थे। मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह जी जब आये तो वह लोकसभा के सदस्य थे, विधान सभा के सदस्य नहीं थे यह प्रश्न उठा था और उस समय इस पीठ पर परमश्रद्धेय श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी विराजमान थे। मान्यवर, इस पर भी यह निर्णय दे चुके हैं। मान्यवर, यही प्रश्न जिस व्यक्ति ने उठाया था श्री नारायणदत्त तिवारी जी, बड़ी विषम परिस्थिति हुई मान्यवर कि उन्होंने ही आपत्ति की थी और 1988 में यह उन्हीं के ऊपर लागू हो गया। नारायण दत्त तिवारी जी राज्यसभा के सदस्य रहते हुये आ गये और मुख्य मंत्री बन गये और उन्होंने उस समय टी0 एन0 सिंह के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खिलाफ जो प्रश्न उठाया था वैसा ही प्रश्न उनके खिलाफ यहां मे शतरूद्र प्रकाश जी ने, मुलायम सिंह जी ने और माता प्रसाद जी ने उठा दिया, मान्यवर, उस समय वहां पर नियाज हसन साहब विराजमान थे उस कुर्सी पर। नियाज हसन साहब ने भी फैसला दे दिया कि जिस व्यक्ति को सरकार के काम-काज की ज्यादा जानकारी हो, वह मुख्य मंत्री भी हो सकता है और नेता सदन भी हो सकता है। तो मान्यवर, बार-बार जब यह तय हो चुका है तो इस विषय को यहां उठाना उचित नहीं है और अगर उठाये तो मेरी राय यह है कि जो व्यक्ति मुख्य मंत्री होता है वह नेता सदन हो सकता है, फिर भी अगर आप चर्चा कराना चाहें तो विस्तार से चर्चा करायें मैं रूलिंग दे दूँगा।

श्री अध्यक्ष-

यह सुनिश्चित है, व्यवस्थायें हो चुकी है कि वह नेता सदन हैं तो इसमें बहस करने की क्या जरूरत है ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो यहां पर प्रश्न उठाये गये, नेता सदन में और मुख्य मंत्री में अन्तर है। मान्यवर, प्रश्न उठाये गये थे मुख्य मंत्री के रूप में, कि वह सदन के सदस्य नहीं हैं। मेरा कहना यह है कि मुख्य मंत्री तो हो सकते हैं, छः महीने तक की व्यवस्था संविधान में है, कोई मंत्री भी हो सकता है, मुख्य मंत्री भी हो सकता है। प्रश्न नेता सदन का है, हमारे सामने एक स्वस्थ परम्परा है, आज हम लोक सभा का उदाहरण दे सकते हैं कि डाक्टर मनमोहन सिंह, लोक सभा के सदस्य नहीं है और जब लोक सभा के सदस्य नहीं हैं तो लोक सभा के वह नेता सदन भी नहीं हैं और न ही नेता सदन के रूप में उनको जाना जाता है। आज वहां पर प्रणव मुखर्जी जो विदेश मंत्री हैं, आज वह नेता सदन वहां पर हैं। मैंने उस परिप्रेक्ष्य में यह बात उठाई। जो आपने रूलिंग दी है, देख लीजिये रूलिंग को निकलवा करके मान्यवर यह प्रश्न, इस रूप में उठाया ही नहीं गया था। नेता सदन के रूप में नहीं, मुख्य मंत्री के रूप में उठाया गया था यह प्रश्न। मान्यवर, आप देख लीजिये और मेरा आपसे आग्रह है, यहां पर बहुत बड़े वरिष्ठ सदस्य बैठे हुये हैं।

(श्री हुकुम सिंह और संसदीय कार्यमंत्री श्री लालजी वर्मा जी के एक साथ अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने से व्यवधान।)

(व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इस बिन्दु पर कई बार निर्णय हो चुका है और यहां की परम्परायें भी अलग हैं, मान्यवर बार-बार विधान परिषद में विधान परिषद सदस्य नहीं होता कोई वरिष्ठ मंत्री वहां पर नेता सदन होता है और इसी तरह से माननीय मुख्य मंत्री भी विधान सभा में माननीय नेता

सदन होते हैं और बार-बार इस पर रूलिंग आ चुकी है, निश्चितरूप से इसमें समय का अपव्यय है इसलिये मान्यवर इस व्यवस्था को निरस्त करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

इसमें आप पीठ से निर्णय आ जाने दीजिये इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उस पर विचार हो जाना चाहिये। हो सकता है उस समय ऐसे तर्कसंगत तर्क न रखे गये हो। मैंने एक समानान्तर व्यवस्था की बात कही है मान्यवर, आप लोगों के, अध्यक्षों के सम्मेलन भी होते हैं, वहां पर भी यह बात उठाई जाती है और उसकी अध्यक्षता लोक सभा के अध्यक्ष करते हैं इसलिये वहां पर भी एक स्वस्थ परम्परा है कि नेता सदन होने के लिये सदन का सदस्य होना जरूरी है। यह स्वस्थ परम्परा वहां चली आ रही है, उस परम्परा को यहां पर मानने में क्या दिक्कत की बात है ? यह हठधर्मी वाली बात नहीं है। एक व्यवस्था का प्रश्न मैंने उठाया है, उसका आप अध्ययन कर लीजिये, आप चाहें तो आज रूलिंग न दें। बाद में दे दें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मान्यवर, अगर आप चाहें तो अभी व्यवस्था दे दें या सुरक्षित कर लें।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर अध्यक्ष पीठ से एक व्यवस्था आने दीजिये, एक बार यह आधार बन जाय कि कोई सदन का सदस्य नहीं है और मुख्य मंत्री है तो नेता सदन हो सकता है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, लोक सभा में एक स्वस्थ परम्परा है। उस परम्परा का निर्वहन यहां पर भी किया जाय।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, हम कोई लोक सभा के [xxx] नहीं है। विधान सभा की व्यवस्था अलग है।

श्री अध्यक्ष-

इस तरह के व्यवस्था के प्रश्न सदन में आ चुके हैं पिछले कई दृष्टान्तों को भी दिया गया है कि जो माननीय मुख्य मंत्री होता है वह नेता सदन भी होता है। इसलिये अब इस पर कोई प्रश्न नहीं बनता है।

---

नोट:-[xxx] अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

## कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

माननीय अनूप सण्डा जी की अगली सूचना है वैसे मैंने सूचना को अग्राह्य कर दिया है। लेकिन आपके क्षेत्र का मामला है दो मिनट सुन लेता हूँ।

श्री अनूप सण्डा-

मान्यवर, दिनांक 25 जून, 2007 को सुल्तानपुर जिला कारागार में जो घटना हुयी है वह सुल्तानपुर जिला प्रशासन की अदूरदर्शिता एवं ज्यादतियों का नतीजा है। मान्यवर 23 जून को सुल्तानपुर के जिला कारागार में छापा पड़ता है उसे छापे में कई बंदियों को पेड़ से बांध कर पीटा जाता है। वहां चाकू बरामद होता है मोबाइल बरामद होते हैं। मान्यवर, आप देखें 25 तारीख को यह बात होती है और 48 घण्टे से भी कम समय में यह बातें सामने आती हैं और जेल से मोबाइल के चार्जर बरामद होते है, असलहे बरामद हुए हैं जिससे वहां गोली चलने की की बात कही जा रही है। 48 घण्टे से कम समय में मोबाइल और असलहे वहां कैसे पहुंच गये? 23 जून को जब छापा मारा गया तो कैदियों ने जिलाधिकारी से पूरी बातें कहीं और बताया कि उन्हें घटिया किस्म का खाना मिलता है और वे लोग 48 घण्टे से भोजन नहीं कर रहें हैं। उन्होंने उनकी बातों का संज्ञान नहीं लिया जिस कारण वहां की बदहाली बराबर जारी रहीं। जिस कारण कैदियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। मान्यवर, कानून व्यवस्था का राज कायम हो यह सब लोग चाहते हैं और यह सरकार का अधिकार है कि अपराधों पर अंकुश लगाया जाये। लेकिन जैसा कि माननीय प्रमोद तिवारी जी ने भी कहा कि ऐसे बहुत से कैदी हैं जो मामूली अपराधों में बंदी हैं उनकी बुरी तरह से पिटाई की गयी। 23 ता0 को एक कैदी सत्य. प्रकाश की पिटाई हुई है सत्यप्रकाश ने 25 जून को अदालत में पेशी के दौरान पिटाई की बात कही और वहां जो पिटाई हुई है उसी बीच जेल में हंगामा शुरु हो गया। पेशी के बाद जेल पहुंचने पर इसकी पिटाई की गयी।

श्री अध्यक्ष-

यह सब बातें तो माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कह दी है।

श्री अनूप सण्डा-

इसी तरह से दलपत यादव की पिटाई हुई है। कैदियों को सबक सिखाने के लिये बुरी तरह से पिटाई की गयी है। मान्यवर, यह ठीक है कि सरकार ने जांच की घोषणा की हैं। लेकिन आप देखें ए0डी0जी0 जांच कर रहें थे वहां जांच कार्यवाही के दौरान डी0जी0पी0 पहुंच गये और उन्होंने कह दिया कि कैदियों की सरासर गल्ती है प्रशासन इसमें निष्पक्ष रहा है और वह इस मामले में स्वच्छ है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इसमें कोई न्यायिक कमेटी बना दी जाये जो इस मामले की जांच करें। इसी के साथ-साथ सुल्तानपुर के वर्तमान जिला प्रशासन को वहां के

कार्यों से विरत किया जाये और उन्हें कहीं और सम्बद्ध किया जाय। जिससे मामले की जाँच निष्पक्ष हो सके।

(श्री राम किशुन के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल की चयनित है। उनको मैंने बुला लिया है। आप अभी बैठ जायं।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आभारी हूँ कि अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर मुझे कार्य स्थगन प्रस्ताव रखने की अनुमति दी। मान्यवर, 22 मई की घटना है, सायंकाल 5.00 बजे गोरखपुर का जो सबसे व्यस्ततम बाजार है गोलघर का, वहाँ 3 बम विस्फोट हुये एक साथ तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर। दिन मंगलवार का था। गोरखपुर का सारा शहर मंगलवार को बन्द रहता है सिवाय गोलघर के। बम रखने वाले ने जानबुझकर दिन मंगलवार का चुना क्योंकि वह जानते थे कि इस समय सबसे ज्यादा भीड़ गोलघर में होती है। समय 7.00 बजे का था, उस समय सबसे अधिक भीड़ गोलघर में होती है और स्थान, एक बम पेट्रोल टंकी के बगल में रखा गया और दो बम ट्रांसफार्मर के नीचे रखे गये। हम लोग घटना की सूचना प्राप्त कर गोरखपुर गये थे। हम लोगों का उद्देश्य यहां इस विषय को लाने का दूसरा है। घटना के बाद 3-4 दिनों के बाद एसएसपी गोरखपुर ने 1-2 अपराधियों के स्केच पब्लिक के सामने अखबार में छपवाया। 7-8 दिन बीतने के बाद उन्हीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 3 दूसरे अपराधियों का दूसरा स्केच छपवा दिया और यह कह दिया कि जो पहले स्केच छपवाये गये वह सही नहीं थे। वह स्केच बनारस के लोगों के द्वारा बनाये गये थे और यह हमने मुम्बई के लोगों को बुलवाकर बनवाया है। घटना के 16-17 दिन के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को यह महसूस हुआ कि उनके पोस्टर छपने चाहिये और 16 दिन के बाद उनके पोस्टर दीवालों पर छपवाने के प्रयास किये गये। कहाँ छपे हम लोगों को नहीं मालूम कम से कम मैंने तो कहीं पोस्टर नहीं देखा। मैं जो विषय लाना चाहता हूँ वह बहुत दुखद है। ऐसी किसी भी घटना में किसी भी वरिष्ठ अधिकारी की दृष्टि यह होती है कि जितनी तेजी से कार्यवाही होगी अपराधियों के पकड़े जाने की सम्भावना उतनी अधिक होगी। 4 दिन के बाद 7 दिन के बाद एक स्केच जारी करना 8 दिन बाद उसकी जगह दूसरा स्केच जारी करना, 16 दिन के बाद उनकी समझ में आना कि पोस्टर छपना चाहिये और साथ ही अखबार में यह बयान देना कि मैंने जानबूझ करके नागरिकों के लिये इनाम नहीं रखा है नागरिक राष्ट्रभक्ति की भावना से प्रेरित हो करके इन अपराधियों को पहचान करके मुझे नाम बतायेंगे। स्वाभाविक रूप से जब कोई अधिकारी ऐसी बचकाना हरकत करेगा तो जनता/नागरिकों के मन में यह बात आयेगी कि कहीं न कहीं कोई ऐसी बात है जिसको लेकर

सही जाँच नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश का सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वहाँ गया और एक लाइन का बयान कि महानगर गोरखपुर के हर घर में अवैध असलहा रहता है यहाँ की यही स्थिति है। यह डी0जी0पी0 उत्तर प्रदेश का बयान था। गोरखपुर के हर नागरिक पर टिप्पणी करके वह लौटकर के चले आये। मैं इस सारे मुद्दे को लेकर इसलिये आ रहा हूँ कि गोरखपुर की स्थिति से हम सब परिचित हैं। नैपाल का बार्डर है, आईएसआई की गतिविधियां, माओवादी की गतिविधियां यह सब अपने चरम पर होती हैं। पूरा उत्तर प्रदेश नकली नोटों के व्यवसाय से पूरी तरह से ग्रसित है। अभी 10 दिनों पहले करीब 50 या 60 टन सिक्के पकड़े गये थे। नकली नोटों की खेप वहाँ लगातार मिलती है पूरा एक तंत्र चलता है। जो सुईयों के माध्यम से नागरिकों को बेहोश करके सीमान्त इलाकों में लूटने का काम करता है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने यह बयान दिया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आई0एस0आई0 की गतिविधियां बहुत अधिक हैं। मैं सदन से कहना चाहता हूँ कि एक माह हो गये या तो शासन यह बतायें कि वह इस सारे प्रकरण की जांच करके अपराधियों को बेनकाब कर सकती है या नहीं और यदि नहीं कर सकती है तो अपनी असफलता को स्वीकार करे और इस घटना की जांच के लिये सी0बी0आई0 को यह पूरा मामला सौंपें जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। क्योंकि एक अत्यन्त प्रतिष्ठित अखबार ने अपने पहले पृष्ठ पर टाप पर यह खबर छपवाई है। स्वाभाविक रूप से किसी अधिकारी ने लीक की होगी तभी छपा है। जो अपराधी है उनको पकड़ लिया जायेगा। मेरा आपसे आग्रह सिर्फ इतना है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री हम लोगों के संज्ञान में यह तथ्य दें क्या शासन इन अपराधियों को बेनकाब करने की स्थिति में है या नहीं है और अगर नहीं कर पाती है तो इसकी जांच सी0बी0आई0 को सौंपी जायेगी या नहीं ?

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इस घटना से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 22-05-2007 को सायंकाल गोलघर थाना कैण्ट में सीरियल बम विस्फोट की घटना घटित हुयी थी। घटना में कुल 6 व्यक्तियों को साधारण चोटें आई थीं। इस घटना के सम्बन्ध में मुकदमा अपराध सं0-812/07 धारा 307 भा0द0सं0 तथा 3/4/5 विस्फोटक अधिनियम तथा 7 क्रिमिनल ला एमेडमेंट एक्ट थाना कैण्ट पर पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण हेतु जनपद की एस0ओ0जी0 टीम तथा एस0टी0एफ0 की टीम लगाई गयी। घटना में प्रयुक्त साईकिलें स्थानीय दुकानदारों से खरीदना तस्दीक हुआ। दुकानदारों से पहचान के आधार पर 3 अपराधियों के बनारस/मुम्बई से विशेषज्ञ बुलाकर स्केच जारी किये गये उनके पोस्टर्स सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किये गये। प्रशासन द्वारा अभियुक्तों का पता बताने वाले को रू0 10 हजार का पुरस्कार दिये जाने की घोषणा भी की गयी है। प्रदेश में और प्रदेश के बाहर बम विस्फोट की घटनाओं के सम्बन्ध में जानकारी कर अभियुक्तगण का पता लगाने का प्रयास

किया गया। मुम्बई, दिल्ली, मुरादाबाद, सीतापुर आदि जगहों पर अभियुक्तगणों की तलाशी हेतु टीम भेजी गयी है। मान्यवर, लगातार एस0टी0एफ0 पूरी मुस्तैदी के साथ इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं, उनकी जाँच में लगी हैं और निश्चित रूप से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूरी तरह से इस पर गंभीरता के साथ ध्यान दिया जायेगा और पूरा प्रयास करके ऐसे लोगों को, जो लोग प्रदेश की हालत को, कानून व्यवस्था को नकारने का काम करते हैं, ऐसे लोगों की तलाश करने में पूरी मुस्तैदी से कार्यवाही की जायेगी। यह कार्यस्थगन का मामला नहीं बनता इसलिये इसे अग्राह्य किया जाय।

(डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

बहुत स्पष्ट स्थिति आ गयी माननीय अग्रवाल साहब, सरकार की तरफ से।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, बस एक बात कहना चाहता हूँ। गोरखपुर की पुलिस मुम्बई गयी, तेलीबंदर इलाके में गयी। कुछ दिन रहकर चली आई, दो खबरें आई, उनके पास पैसा नहीं था, इसलिये उनको लौटना पड़ा या किसी क्षेत्र इलाके में उनकी घुसने की हिम्मत नहीं थी, इसलिये उनको लौटना पड़ा। इसीलिये मैं इस विषय को यहाँ लाया हूँ, अगर गोरखपुर की पुलिस, गोरखपुर की एस0टी0एफ0 यह महसूस करती है कि इस घटना के सूत्र बम्बई तक हो सकते हैं तो हो सकता है कि गोरखपुर और उत्तर प्रदेश का प्रशासन इसकी जाँच में सक्षम न हो, इसीलिये मैं माँग कर रहा हूँ अगर सरकार यह महसूस करती है और चाहती है कि वह घटना के तथ्य तक जायं तो क्या वह महसूस करती है कि इस घटना की जाँच सी0बी0आई0 को सौंपी जाय, आला अधिकारियों से जाँच कराकर रहस्य को बेनकाब किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय अग्रवाल साहब इस व्यवस्था पर भरोसा रखें। मैंने माननीय राधामोहन दास अग्रवाल जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती, इसलिये इसको अग्राह्य करता हूँ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल

माननीय अध्यक्ष जी, इस आ[illegible]नीय लोक महत्व की नोटिस के द्वारा मैं उत्तर प्रदेश में छात्र और छात्राओं की, जो पास हुए [illegible]

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट रुक जाये। यह ध्यानाक[illegible] के लिये हैं, इसका मैंने निर्णय ले लिया है फिर भी आप वरिष्ठ सदस्य हैं, कुछ बोलेंगे तो [illegible] सुनेंगे इसलिये मैंने आपको मौका दिया है, कृपया थोड़े समय में अपनी बात कहें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

श्रीमन्, हम तो वैसे भी संक्षेप में बोलते हैं, तथ्यों पर आधारित बोलते हैं। श्रीमन् इस वर्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् का हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट का रिजल्ट आया है, उसमें करीब 90 प्रतिशत से ऊपर छात्र छात्रायें पास हुये और जो आकड़े आये हैं पिछले वर्ष की तुलना में करीब पौने दो लाख हाईस्कूल में ज्यादा बच्चे पास हुये और करीब एक लाख 80 हजार इण्टरमीडिएट में ज्यादा बच्चे पास हुये। पिछले साल भी यह बात उठी थी और उस समय 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाने की बात की गयी थी कि 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाने के आदेश कर दिये गये हैं जिससे कि उन लोगों को आगे शिक्षा के लिये एडमीशन मिल सके। मैं एक दिन माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी का बयान पढ़ रहा था उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत सीटें और बढ़ाई जायेंगी जिससे कि बच्चों को दाखिला मिल सके। लेकिन अभी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। वैसे भी अभी जो कालेज हैं उसमें जो मौजूदा व्यवस्था है वहीं अपूर्ण है। मौजूदा छात्रों को पूर्ण सुविधा नहीं मिल रही है अगर यह बढ़ाने की बात कर रहें हैं तो उसके लिये क्या सुविधा देंगें, कहाँ से टीचर आयेगें, ईवनिंग शिफ्ट करेगें या दिन में ही लड़कों को ज्यादा क्लास में बैठाकर पढ़ायेगें। मौजूदा जो सीटें हैं, अगर वह 50 प्रतिशत बढ़ा दी गयी तो कितनी सीटें होगीं और कितने लोग पास हुये हैं, अगर इसी की तुलना कर लें आप, तो बहुत अधिक संख्या में ऐसे छात्र हैं, जिनको उत्तर प्रदेश में आगे शिक्षा के लिये एडमीशन नहीं मिल पायेगा। शिक्षा तो हमारा मौलिक अधिकार है। अगर शिक्षा भी सरकार हमको नहीं दे सकेगी तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा। यदि अधिकारों का हनन होगा तो निश्चित है कि आन्दोलन होंगे और स्थिति विस्फोटक हो जायेगी। आज जगह-जगह कॉलेजों के सामने जाम लगा है, छात्र आन्दोलन कर रहे हैं, उग्र हो रहे हैं और उससे जनमानस के बीच में जो हालात बन रहे हैं वह अच्छे नहीं हैं। सरकार को इस सदन में घोषणा करना चाहिये कि जितने बच्चे पास हुये है, उनमें से जो पढ़ना चाहते हैं उन सभी को दाखिले का प्रबन्ध किया जा रहा है। अगर प्रबन्ध नहीं हो पा रहा है तो उनके भविष्य का क्या होगा ? मैं इस बिन्दु पर सरकार का पक्ष जानना चाहता हूँ, यह अविलम्बनीय है, दाखिलें का सवाल है। माननीय अध्यक्ष जी आपके जिले में भी यही पोजीशन होगी। मान्यवर, मैंने फीगर भी दे दी है कि कितने ज्यादा बच्चे पास हुये हैं तो माननीय शिक्षा मंत्री जी बताये कि कितने बच्चे पास हुये हैं और उन बच्चों को कैसे दाखिला देकर उच्च शिक्षा दिलायेंगे।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेश धर त्रिपाठी)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य नरेश चन्द्र अग्रवाल जी की चिन्ता जायज है और निश्चित रूप से इस समय प्रदेश में जुलाई के महीने में प्रवेश की समस्या बढ़ेगी। कारण यह रहा है कि पिछलें दिनों जो सरकार रही है उसने स्वकेन्द्र परीक्षा प्रणाली को अपनाया और मुझे

कहने में कोई संकोच नहीं है कि नकल इतनी बढ़ गयी कि माध्यमिक कक्षा की परीक्षाओं में 10 प्रतिशत छात्र ही फेल हुये और 90-92 फीसदी छात्र पास हुये। सात-आठ साल पहले 56 और 58 फीसदी बच्चे पास होते थे, शायद यह बहस इससे पहले इस सदन में हो चुकी हैं कि हमारे छात्र जो पास हो करके आगे जा रहें वह सीधे प्रार्थना-पत्र नहीं लिख पाते हैं। मान्यवर, स्वकेन्द्र परीक्षा के माध्यम से पूरी माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था चरमरा गयी थी और आज की तारीख में छात्र-छात्रायें पास हो करके आ रहे हैं। यह सच है कि शिक्षा उनको मिलनी चाहिये, शिक्षा मौलिक अधिकार है और मैं अग्रवाल साहब को अवगत करा दूँ कि 25 जून में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, क्षेत्रीय अधिकारियों को यह राजाज्ञा दे दी गयी है कि कोई भी एक छात्र अगर वह पढ़ना चाहता है तो उसे शिक्षा मिलनी चाहिये। शासन ने तय किया है कि दो पालियों में प्रवेश दिये जायेंगे। एक भी विद्यार्थी जो बी0ए0, बी0कॉम0 करना चाहेगा प्रदेश की सरकार उसे शिक्षा देगी वह शिक्षा से वंचित नहीं रह पायेगा। अग्रवाल साहब वरिष्ठ सदस्य हैं, आपका भी विद्यालय हैं, इंस्टीट्यूट चल रहा है मैं तो चाहूँगा कि जितना सरकार बढ़ा रही है, उतना आप भी बढ़ायें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, आप परमीशन दें, हम तो तैयार हैं।

*श्री राकेश धर त्रिपाठी-

मान्यवर, बी0ए0, बी0कॉम0, बी0एस0सी0 की शिक्षा और लड़कों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। हम निःशुल्क शिक्षा देने जा रहे हैं। दूसरा बिन्दु जो माननीय अग्रवाल साहब ने उठाया है, उसमें मुझे कहना है कि जुलाई के पहले सप्ताह से ही प्रवेश फार्म सबको मिलना शुरू हो जायेगा। पौने दो लाख लड़कों के लिये सांध्य कॉलेज कक्षाओं को चलाने की अनुमति दे दी गयी है और स्ववित्तपोषित जो विद्यालय हैं उनके लिये भी शासनादेश जारी कर दिया गया है। एक बात जो जरूरी है कि जो मैनेजमेंट फीस वगैरह में मनमानी करते थे अब शासन ऐसा नहीं करने देगा और इसके अतिरिक्त जो आपका आदेश होगा किया जायेगा।

*श्री आर0ए0 उस्मानी-

मान्यवर, अभी प्रबोधन कार्यक्रम में कहा गया था कि सदन के अन्दर नये सदस्यों को बोलने का अधिकार मिलेगा। मान्यवर, नये सदस्यों ने जो भी सूचनायें लगायी हैं। जिन नये सदस्यों ने सवाल लगाये हैं नियम-51 या नियम-300 के अन्तर्गत उनको आपने अस्वीकार कर दिया। अभी उच्च शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि इसके पूर्व की सरकार ने स्वकेन्द्र परीक्षा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कराकर नकल करायी है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आपको मालूम होगा कि बहुत पहले एक माध्यमिक शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, इसी लखनऊ में वह चुनाव हार गये। उन्होंने स्वकेन्द्र परीक्षा को खत्म किया था। आज वह बहुत बड़े नेता हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई चर्चा नहीं हो रही हैं, आप बैठिये।

श्री आर0ए0 उसमानी-

मान्यवर, लखीमपुर खीरी-55 श्रीनगर मेरी विधान सभा क्षेत्र है। मेरी विधान सभा में एक भी महाविद्यालय नहीं हैं मैं महाविद्यालय खुलवाने के लिये प्रयास कर रहा हूँ लेकिन शासन के अधिकारियों द्वारा उसे दबाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें। नये सदस्य के नाते आपका सम्मान कर रहा हूँ।

श्री राजेश कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है, अभी यहाँ पर आरोप लगाया गया कि नये सदस्यों को बोलने नहीं दिया जाता है। हम लोग जब इधर बैठते थे पिछली सरकार में, उस समय के अध्यक्ष जो सदन में बैठे हुये हैं, 5 साल तक हम लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, पिछला दृष्टान्त देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मेरे ऊपर लगाया गया यह आरोप गलत हैं।

श्री अध्यक्ष-

नये सदस्य थे बोल गये। कोई आरोप की बात नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष जी, मैंने एक स्पष्टीकरण माँगा था, अभी यह बात आयी कि चाहे स्ववित्त पोषित संस्था हो या कोई संस्था हो मनमाने ढंग से फीस निर्धारित करने का अधिकार नहीं दिया जायेगा। इससे पहले सरकार ने तय किया होगा कि कितनी फीस निर्धारित होगी ? सत्र शुरु होने जा रहा है, जुलाई आने वाली है, सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया। कुछ आपने तय किया होगा कि कितनी फीस लेगें कितनी नहीं लेगें ? अगर यह आप सदन में बता दें तो इससे छात्रों को भी पता लग जायेगा।

डॉ0 अजय तोमर-

मान्यवर, यह जो मंत्री जी ने बताया है.....

श्री अध्यक्ष-

कृपया आसन ग्रहण करिये। यह कोई चर्चा नहीं हो रही है। माननीय हुकुम सिंह व नरेश अग्रवाल जी की सूचना थी, दोनों माननीय सदस्यों को ग्राह्यता पर सुन लिया, उन्होंने अपने विचार रख दिये। आप बैठिये, कोई चर्चा नहीं करवा रहा हूँ।

डॉ0 अजय तोमर-

माननीय अध्यक्ष जी, केवल एक मिनट का समय लेना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने द्वितीय पाली में कक्षायें चलाये जाने की बात कही है हमारे प्रदेश में क्वालीफाइड शिक्षकों की दिक्कत आ जाती है तो क्या उसके विषय में कोई दिशा-निर्देश माननीय मंत्री जी अपने स्तर से देंगे। प्रथम पाली के जो शिक्षक द्वितीय पाली में अध्यापन करेंगे तो उनको अतिरिक्त व्यवस्था दी जायेगी ताकि शिक्षकों की कमी की स्थिति में अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से हो सके। क्या कोई ऐसी नीति बनेगी ?

श्री अध्यक्ष-

अब बैठिये, आपकी बात आ गयी।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मैं सिर्फ दो चीजें जानना चाहता हूँ उच्च शिक्षा मंत्री जी यह बता दें कि कितने छात्र-छात्राओं ने इण्टरमीडिएट की परीक्षा पास की है और इस समय मौजूदा कालेजों में कितने छात्रों के प्रवेश की कैपासिटी है ?

हायर एजूकेशन के जो मैनेजमेंट के कालेज है उनके यहाँ कितनी सीटें उपलब्ध हैं ? मंत्री जी द्वितीय पाली की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल जी आप कहाँ से कहाँ बढ़कर चले गये। प्रवेश के सम्बन्ध में सूचना थी मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रवेश की समस्या नहीं होने देंगे। मैंने इस सूचना पर श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल को सुना व मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है इसलिये इसे अग्राह्य करता हूँ।

श्यामदेव राय चौधरी जी मैंने आपकी सूचना पर ध्यानाकर्षण कर दिया।

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि लड़कों की शिक्षा व्यवस्था तो हो जायेगी लेकिन बालिका शिक्षा के लिये क्या व्यवस्था करेंगे। दूर दूर से लड़कियाँ आती हैं उनके लिये क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो नियम 56 में प्रस्ताव दिया है उसमें बताया है कि वाराणसी के लोहता कस्बे में व बनारस के अन्य क्षेत्रों में डायरिया फैलने से लगभग एक दर्जन लोगों के मरने की सूचना है। इसकी पृष्ठभूमि में दो कारण बताये गये हैं भीषण गन्दगी फैलने, सफाई न होने व नगरों में पेयजल की आपूर्ति हो रही है उसके प्रदूषित होने से यह हो रहा है। वाराणसी नगर निगम के नगर आयुक्त ने यह बयान दिया कि जल संस्थान द्वारा ठीक ढंग से क्लोरीनेशन नहीं हो रहा है। वाराणसी में जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है वह बहुत ही घनी आबादी वाला क्षेत्र है गलियों का क्षेत्र है वहां पेयजल की बहुत कमी है वहाँ पर सफाई ढंग से नहीं हो पाती है। वाटर लाइनों के कम दबाव के कारण सीवर लाइनों के जुड़ जाने के कारण जो 15 मिनट तक पानी की आपूर्ति होती है वह बिल्कुल गन्दे और प्रदूषित जल की आपूर्ति होती है इस कारण मेरे क्षेत्र में भी यह हैजा और संक्रामक रोग फैल रहा है। इस कारण सैकड़ों लोग डायरिया रोग व पेट की बीमारी से पीड़ित हैं। जो सरकारी चिकित्सालय हैं उनमें सामान न रहने के कारण यह लोग निजी चिकित्सालयों में चिकित्सा करा रहें हैं। इसके अतिरिक्त भी कई लोगों और कई बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। इसलिये इस प्रस्ताव को मैंने रखा है। इसकी अविलम्बनीयता है, लोकमहत्व का विषय है इसलिये मैं चाहता हूँ कि इस प्रश्न पर सदन का कार्य रोककर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें। इसकी रोकथाम के लिये जो समुचित निर्देश हो शासन स्तर से दिये जाने की अपेक्षा करता हूँ।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है इस सम्बन्ध में संक्रामक रोगों के निवारण हेतु कार्य योजना 2007 शासनादेश 3-4-2007 निर्गत की गई है जिसमें चिकित्सा व्यवस्था एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मण्डलीय अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारियों को प्रभावी निर्देश दिये जा चुके हैं। सदस्य द्वारा उठाये गये प्रकरण पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निदेशक संचारी रोग बी0बी0डी0 को निर्देश दिये गये हैं तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाराणसी को भी निर्देश दिया गया है। शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है

श्री अध्यक्ष-

श्री श्यामदेव राय चौधरी और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसको मैं अग्राह्य करता हूँ। अगली सूचना खन्ना जी की है खन्ना जी जरा जल्दी कर दीजियेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने कार्य स्थगन में जो मेरे द्वारा सूचना दी गयी है उस पर बोलने का अवसर दिया।

श्री लालजी वर्मा-

यह किस समय की घटना है यह तो पूछ लें।

श्री अध्यक्ष-

बाद में बता देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, 14/15 दिसम्बर, 2006 की घटना है। लेकिन कभी-कभी मान्यवर, जैसा मैंने इसमें लिखा है मुलिमों की आज तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। स्टेट बैंक का कर्मचारी जो 19 साल का था रात्रि में चार लोगों के साथ, स्टेट बैंक के कर्मचारियों के साथ बैठकर उसने खाना खाया और उसके बाद उसमें एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली। उसके बाद बैंक के कर्मचारियों के द्वारा उसके घर में फोन किया गया बिना उनके घर वालों के आये मान्यवर, एक रिपोर्ट बैंक के उन्हीं कर्मचारियों द्वारा, जिनके साथ वह बैठा था उन्होंने एक तहरीर थाने में देकर एक मुकदमा कायम करा दिया। मृतक के पिताजी के द्वारा जो प्रार्थना-पत्र दिया गया उसमें उन चारों लोगों का जिक्र है जिनके साथ बैठकर उसने खाना खाया। कभी-कभी सरकमस्टान्सेज होते हैं जो बोलते हैं। आखिरकार [illegible] कौन-कौन शामिल हो सकते हैं। यह केस भी मान्यवर बिल्कुल वैसा ही है जिसमें [illegible] हैं। केस खुला है उन्होंने बाकायदा नामजद तहरीर देकर उन लोगों को आरोपित [illegible] मेरे बेटे के कत्ल में यह-यह लोग शामिल हैं। लेकिन आज तक मान्यवर 6 महीने [illegible] बाद मुल्जिमानों की गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से यह [illegible] करता हूँ कि अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कौन-कौन लोग प्रकाश में आये हैं। उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 खन्ना साहब, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया है कार्यवाही होगी। इसलिये संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है मैं इसको अग्राह्य करता हूँ। [illegible] सरकार का हो गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

संसदीय कार्य-मंत्री जी से कुछ कहलवा दें।

श्री [illegible]-

सरकार का ध्यानाकर्षण हो गया है इसमें निश्चित कार्यवाही होगी। यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है इसको अग्राह्य करता हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

कुछ संसदीय कार्यमंत्री जी कह दें। मैंने पूछा है कौन-कौन लोग प्रकाश में आये हैं।

श्री अध्यक्ष-

ध्यानाकर्षण हो गया है आप जानते हैं ध्यानाकर्षण के बाद कार्यवाही त्वरित स्तर पर होती है। जब न हो तब आप उनसे बात करें। सदन में आ गया है पुरानी घटना थी सुन लिया गया है। ध्यानाकर्षण हो गया है।

मा0 राम किशुन यादव जी की सूचना को निरस्त कर दिया गया है। लेकिन अगर वह कुछ कहना चाहते हों तो दो मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, इतना जरूर कहना चाहूँगा जब आपने अनुमति दी है और मैं चाहूँगा कि जो सूचना को निरस्त ही कर दिया है तो उसको स्वीकार ही कर देते तो आगे बोलते। जब अस्वीकार कर दिया फिर आप अनुमति दे देंगे। सरकार की मंशा के मुताबिक यह सूचना होगी। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जानबूझकर लिंग भेद के आधार पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है बंदौली जनपद के थाने में और एक घटना की बात नहीं है मैं दर्जनों घटना दे दूँगा मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं आप इसकी जाँच करा लें....

मान्यवर, रास्ते से लोग कार्य करके जा रहें हैं, जाति विशेष के व्यक्तियों को थाने में बैठाकर जलील किया जाता है, शौचालय की सफाई कराई जाती है। जलालनगर थाने के अन्तर्गत तमाम घटनायें घटी हैं, वहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों के इशारे पर यह हो रहा है [illegible], जो [illegible]डया निवासी है, 15-20 लोगों ने पकड़ कर सार्वजनिक रूप से उसको अपमानित किया फिर [illegible] दिया। जो लोग थाने में अपनी फरियाद लेकर जाते हैं उनको 107-16 में बन्द कर दिया जाता है। सवरू यादव थाने में गया, उससे पूछा गया कि किस पार्टी से हो, बताया कि [illegible]वादी पार्टी का कार्यकर्ता [illegible] उसका भी 107-16 में चालान कर दिया गया। वहीं का टिंकू जिसके मकान पर कब्जा हो [illegible], वह दरोगा के पास सूचना देने गया, पुलिस अर्ली है, उसको एकतरफा 107-16 में गिरफ्तार कर लिया गया। मान्यवर, भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ यह कार्यवाही हो रही है। जब हम पुलिस अफसरों से पूछते हैं तो पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि ऊपर के आदेश हैं, दरोगा कहता है कि ऊपर के आदेश हैं। अगर

सरकार की यह मंशा है तो संसदीय कार्य मंत्री स्पष्ट करें कि एक जाति विशेष के लोगों को रहने का अधिकार नहीं है। मान्यवर, यह मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी पूर्ण [illegible] आ गयी है।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ आप इसकी जाँच करा लें। ऐसी दर्जनों घटनायें हमारे जनपद में घटित हुई हैं और हमारा जनपद नक्सल प्रभावित जनपद है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई है।

श्री राम किशुन-

मा0 अध्यक्ष जी, बात बड़ी गम्भीर है, निश्चित रूप से आज यह सत्ता में है कल कोई दूसरा होगा। अगर इस तरह शासन सत्ता चलायेंगे तो देश-प्रदेश का भला नहीं होगा। जब आपने शपथ लिया है कि हम लिंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे तो आप मेरे जनपद की जांच करा लीजिये, एक जाति विशेष के लोगों को जेल में भेजा जा रहा है। यह लोक महत्व का विषय है, आप इसकी जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष

घटना का पूरा जिक्र आ गया।

श्री राम किशुन

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप इसकी जांच करा लें और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करके उससे सदन को अवगत करायें आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद देता हूँ। इस सदन की जो सर्वोच्च कुर्सी है और उस पर एक विद्वान और कानून के जानकार बैठे है उनसे अपेक्षा है और ऐसे व्यक्ति से सदन को उम्मीद है कि आपकी तरफ से जो निर्देश जायेगा वह प्रदेश की जनता को राहत पहुँचाने वाला होगा, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

वैसे मैंने इस सूचना को निरस्त कर दिया है, यदि संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपने इस सूचना को पहले ही निरस्त कर दिया, यह अग्राह्य होने लायक है। लेकिन मैं इस बात का प्रतिवाद करता हूँ। यह सरकार जाति, वर्ग या धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी बल्कि सर्व समाज को साथ लेकर और सब के साथ समान

व्यवहार किया जायेगा। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को जो जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव करते रहें हैं उनको कष्ट होना स्वाभाविक है। इस सरकार में निश्चित रूप से ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा जिसमें किसी तरह का भेदभाव किया जाये बल्कि समान रूप से एक समान व्यवहार किया जायेगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा मैं उस पर कहना चाहता हूँ कि आप पिछले 3 सालों में लिखी गयी एफ0आई0आर0 की जांच करा लें कि क्या एक जाति विशेष के लोगों को थाने में बन्द किया गया था ?

श्री अध्यक्ष-

आपकी पूरी बात आ गयी।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह सही कही है। ऐसा नहीं होना चाहिये। धर्म, जाति के आधार पर किसी सरकार को काम नहीं करना चाहिये। माननीय सदस्य ने कहा कि आप अपने स्तर से रिकार्ड मंगाकर देख लें, सरकार के स्तर पर नहीं क्योंकि आप पर हमारा भरोसा ज्यादा है। आप अपने स्तर से रिकार्ड मंगाकर देख लें और तब सरकार को निर्देशित करें कि यह अच्छा नहीं है। मेरा कहना है कि या तो आप सदन की समिति बना दें और वह समिति वहाँ चली जाये और वह आपको रिपोर्ट दे दें।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अपराधी चाहे जिस जाति, धर्म का होगा निश्चित रूप से उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमें दर्ज होंगे। मान्यवर, 2 उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। मान्यवर, एक हमारे सांसद ने ऐसा काम किया और दूसरे हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के हरदोई के जिला अध्यक्ष जो कि अनुसूचित जाति से चमार बिरादरी के थे उन्होंने कानून का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी और मुकदमा दर्ज हुआ। निश्चित रूप से वर्ग के, जाति के या धर्म के आधार पर काम नहीं किया जा रहा है। सुश्री मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में किसी भी अपराधी को वर्ग या जाति के आधार पर बक्शने की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

सरकार ने आश्वस्त कर दिया कि इस तरह से नहीं होगा। अगर आपके पास ओर ब्यौरा हो तो वह आप दे दें।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि चमार जाति के लोगों ने बिन्द जाति के लोगों पर हमला किया।

श्री अध्यक्ष-

आपकी पूरी बात आ गयी है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने इस पर आश्वस्त भी किया है। अब मैं नियम 51 की सूचनायें ले रहा हूँ।

## नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 27 जून, 2007 को नियम 51 के अंतर्गत कुल 18 सूचनायें प्राप्त हुईं-पहली सूचना श्री हरपाल सिंह की जनपद जे0पी0 नगर की तहसील-हसनपुर के ग्राम चन्दनपुर स्थित शुगर मिल के द्वारा गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान शीर्घ कराये जाने तथा मिल में व्याप्त अनियमित्तओं को रोकने के सम्बन्ध में हैं, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। दूसरी सूचना श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन व पलिया के तराई इलाकों में बसे सिख परिवारों की जमीनों की बेदखली के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। तीसरी सूचना डॉ0 धर्मपाल सिंह की जनपद आगरा में यमुना नदी में गंगा दशहरे के पर्व पर 6 लड़कों की असामयिक मृत्यु के सम्बन्ध में हैं, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। चौथी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज में राज आयल एजेंसी द्वारा कोटेदारों को मिट्टी का तेल न उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। पाँचवीं सूचना श्री उमेश पाण्डेय की जनपद मऊ में बेलथरा रोड से मधुबन दोहरी घाट को जाने वाली सड़क पर रामपुर बेलौली स्थित टूटे पुल का निर्माण कराये जाने तथा बलिया दोहरी घाट मार्ग, जो मधुबन से होकर जाती है, को राज्य सड़क घोषित करने के सम्बन्ध में है, को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। छठी सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की आगरा महानगर में गुड़ की मण्डी से कालीबाड़ी होते हुये शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के पास से पुरानी इमरजेन्सी तक के जर्जर सड़क मार्ग को विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा शीघ्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। सातवीं सूचना श्री राजेन्द्र सिंह जी की जनपद-आगरा के विकास खण्ड-शमसाबाद व फतेहाबाद की गंभीर पेयजल समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में है, को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। आठवीं सूचना श्री पंकज मलिक की जनपद-मुज्जफरनगर के बघरा, चरथावल, पुरकाजी तथा मोरना विकास खण्डों के ओला पीड़ित किसानों के सरकारी एवं सहकारी बैंको के कर्ज माफ करने तथा किसानों को सहायता/अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में है, को ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। नौवीं सूचना श्री शंभू

चौधरी की जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र नोरंगिया के विकास खण्ड-खड्डा में चार वर्ष पूर्व निर्मित विद्यालयों में पठन-पाठन कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं, को ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। दसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना जी की जनपद-शाहजहाँपुर के विकास खण्ड-भावलखेड़ा के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण होने के बावजूद ग्रामवासियों को अपेक्षित लाभ न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री मदन चौहान, श्री यशपाल सिंह चौहान, डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल, डॉ0 आर0ए0उस्मानी, श्री राम किशुन, श्रीमती कृष्णा राज, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी।

अब हम उठते हैं कल दिनांक 28-06-2007 को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 2 बजकर 17 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 27 जून, 2007

**राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,**
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 262 विधान सभा (479)-01-10-07-813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।